ব্যক্ষালা হুড্ড (বিভাগ হৈপান)
Official issuesers View (155 - 154)
হিনি আনি গোল ন্যানা
Ministry of Low 8 issues
ব্যাধন স্থানা
Correction Section

भारत सरकार

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS



विधिक दस्तावेजों _{के}

मानक प्ररूप

Standard Forms
OF
Legal Documents

জিল্ব I Vol. I

1983 বাসমাথা অত্ত OFFICIAL LANGUAGES WING

प्रथम सस्करण का प्राक्कथन

लगभग सभी मंतालयों/विभागों में अनेक ऐसी कानूनी दन्तायेजों का प्रयोग हो रहा है जो अग्रेजी भाषा में हैं। इस प्रकार कि इत्तायेजों में करार, संविदा, पट्टे, बंधपह, बंधक-पत्न, निर्वदा, आदि सम्मिलित हैं। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा कि अनुसार यह आवश्यक है कि ऐसी दस्तायेजों हिन्दी भाषा में भी हों। राजभाषा अधिनियम, 1963 की अपेक्षाओं का कि उत्तायालन हो इसके लिए यह आवश्यक है कि इन दस्तायेजों का हिन्दी में मानक प्रकप तैयार किया जाए। यह कार्य वर्ष कि इन दस्तायेजों का हिन्दी में मानक प्रकप तैयार किया जाए। यह कार्य वर्ष किया कि कार्यक्रम में सम्मिलित है। तदनुसार इस प्रकार की प्रक्वीस दस्तायेजों के हिन्दी में मानक प्ररूप तैयार किया जाए हैं और उनके अंग्रेजी पाठ के साथ उनका संकलन इस पुस्तक में किया गया है।

ा । यह संकलन अभी सम्पूर्ण नहीं है। इसी प्रकार के अन्य हिन्दीमानक प्ररूप बाद में प्रकाशित किए जाएंगे। ब्राशा है यह संकलन सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।

इस संबंध में आपके सुझावों का स्वागत है। कृपया इस पते पर पत्र-व्यवहार करें :---

संयुक्त सिषव और प्रारूपकार, राजभाषा खण्ड, विवि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली—110001

नई दिल्लो; 1 जून, 1978 एस० हरिहर अय्यर, सचिव, विद्यायी विभाग।

द्वितीय संस्करण का प्राक्कथन

बिक्रिक दस्तावेणों के मानक प्ररूप नामक संकलन की पहली जिल्द के प्रथम संस्करण का प्रकाशन जून, 1978 में किया गया था। इसका अच्छा स्वागत हुआ और इसकी सभी प्रतियां विदारित हो गई। संकलन के इस संस्करण में मुद्रण की गलतियों को ठीक कर दिया गया है और विद्वान प्रयोगकर्ताओं द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार सुद्वार कर दिया गया है।

इस संबंध में आपके मुझाबों का स्वागत है। क्रुपबा इस पते पर पत्न-व्यवद्वार करें :— संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, विधि, त्याय और कि्मपनी कार्य मंत्रालय, भगवान दोस मार्ग, नई दिल्ली-110001

> रु० बेंकट सूर्य पेरिझास्त्री, सविव, विद्यायी विभाग ।

नई दिल्ली; 28 सितम्बर, 1983

विषय सूची

_ I .	करार	पृष्ठ संस्या
	ा. मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम लेने के पूर्व किया जाने वाला करार (प्ररूप सा०वि०नि० 22)	1
ale -	2. मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्निम लेने के पूर्व किया जाने वाला करार—II (प्ररूप सा०वि०नि० 23)	2
ie William	3. केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग/प्रशासक/विभाग के प्रधान तथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के	_
	स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन उपक्रम/संगठन/निगम के बीच उस उपक्रम आदि के किसी कर्मचारी	1
	को केन्द्रीय सरकार में उसकी प्रतिनियुक्ति के दौरान, मोटर गाड़ी, मोटर साइकिल, आदि खरीदने	,
	के लिए अग्रिम की मंजूरी के समय निष्पादित किया जाने वाला प्ररूप (प्ररूप सा०वि० नि० 23-क)	4
	4. सरकार द्वारा नियुक्त समितियों और आयोग के गैर-सरकारी सदस्यों को दिए गए याता भत्ता के	
	अग्निम के समायोजन या लौटाए जाने के लिए करार (प्ररूप सा० वि० नि० 29).	6
	5. केन्द्रीय सरकार के सेवकों को आवंटित भूमि पर मकान बनाने के लिए अग्रिम की प्रथम किस्त लेने	
	के पूर्व उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले करारका विशेष प्ररूप	7
	6. पुस्तक के मूल लेखन के लिए करार	10
	7. पुस्तक के अनुवाद के लिए करार	14
	8. पुस्तक के अनुवाद और प्रकाशन की अनुभन्ति के लिए करार	17
	9. जोन सर्विदा के लिए करार (पूर्वोत्तर सीमा रेल)	20
Ι		
	1. प्र तिमूर्वायपत का प्ररूप—I (प्ररूप सा० वि० नि० 21)	22
	2. प्रतिमूचंधपद्म का प्ररूप—II (प्ररूप सा० वि० ति० 28)	24
	 নকর সিলিনুরি ভাষদর কাস ছব (সহুব লাও বিও নিও 30) 	25
	4. प्रतिभृति बंघपत्र का प्ररूप (प्रतिभृति के रूप में निक्षिप्त विश्वस्तता बंधपत्र) (प्ररूप सा० वि० मि० 31)	28
	5. लिखित वचनवंधका प्ररूप (प्ररूप सा०वि०नि० 32)	30
	6. मोटर गाड़ी के लिए बंधक-पत्न का प्ररूपप्रारंभिक अग्निम (प्ररूप सा० वि० नि० 24)	32
	7. मोटर गाड़ी के लिए बंधक-पत्न का प्ररूप—अतिरिक्त अग्रिम (प्ररूप सा० वि० नि० 25)	34
	8. मोटर गाड़ी खरीदने के लिए सरकार द्वारा पहले मंजूर किए गए समस्त अग्निम और उस पर व्याज को लौटाए	
	विना, पुरानी मोटर गाड़ी बेचने से प्राप्त रकम से खरीदी गई मोटर गाड़ी के लिए बंबक-पन्न का प्ररूप	
	(प्ररूप सा०वि० नि० 25-क)	36
	T	
1	II. qgi	
	1. पट्टेका करार	39
-	ृ2. शाय्वत पट्टा	44
	3. अस्थायी पट्टा	48
т	V. निविद्या के लिए आमंत्रण-पत्र	51
•		31
	V. विश्वस्तता प्रत्याभूति पालिसी (प्ररूप सा० वि० नि० 34)	5 6
,	र्था. प्रकीर्ण	
	 बीमा कम्पनी को, मोटर गाडियों आदि की बीमा पालिसियों में सरकार के हित की सूचना देने वाला 	
	पत्र (प्ररूप साठ वि० नि० 26)	59
	 कार्यभार के अन्तरण का प्रमाणपत (प्ररूप सा० वि० वि० वि० 33) 	60
	3. टेबल पंखा खरीदने के लिए अग्रिम की मंजूरी के लिए आवेदन का प्ररूप (प्ररूप सा० वि० वि० 27-क).	61
	- And the man of the first that and the first that the first the first the first the first the first the first	01

प्ररूप सा० वि० नि० 22

(नियम 207 देखिए)

मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्निम लेने के पूर्व किए जाने वाले करार का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूपमें (जिसे इसमें आगे "उधार लेने बाला" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके	्र वारिस, प्रशासक, निष्पादक और विधिक प्रति-
निर्धि भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें) अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज ता को किया गया ।	इसमें आगे ''राष्ट्रपति'' कहा गया है और इसके ारीख
उधार लेने वॉल ने मोटर गाड़ी खरीदने के लिए साधारण विस्तीय नियम कहा गया है, जिसके अंतर्गत उस नियम के उस समय प्रवृत्त संशोधन के (नी हैं) उपबंधों के अधीन
	प्रतिफलस्वरूप राष्ट्रपति के साथ यह करार विध्य के अनुसार लगाए गए ब्याज का संदाय यम में उपबंधित है, और ऐसी कटौतियां करने कि ती तारीख से एक मास के भीतर, उक्त द्वारा दो गई वास्तविक कीमत उधार की रकम उधार लेने वाले को पूर्वीक्त उधार की रकम के पक्ष में आडमान (गिरवी) रखने के लिए करार किया जाता है और घोषणा की जाती हर गाड़ी खरीदी और आडमान रखी नहीं जाती है या सरकारी नौकरी छोड़ देता है या उसकी
इसके साध्यस्वरूप बंधक करने वाले/उद्यार लेने वाले ने तथा भारत मंत्रालय/कार्यालय केश्री हस्ताक्षर कर दिए हैं।	के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
उक्त (उधार लेने बाले का नाम) ने	(उधार लेने वाले के हस्तासर)
(1)(साक्षी के हस्ताक्षर) (2)(साक्षी के हस्ताक्षर)	पदनाम कार्यालय
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए । राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री(अधिकारो का नाम और पदनाम)	
न (1) (साझी के हस्ताक्षर)	(अधिकारी के हस्ताक्षर)
(2) (साक्षी के हस्ताक्षर) की उपस्थित में हस्ताक्षर किए ।	पदनाम कार्यालय

1

प्ररूप सा॰ वि॰ नि॰ 23 (नियम 207 देखिए)

मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम लेने के पूर्व किए जान वाले करार का प्ररूप

यह करीर एक पक्षकार के रूप में
को आवेदन किया है और राष्ट्रपति उधार लेने वाले को इसमें आगे दिए गए निबंधनों और शर्तों पर उक्त रर्कम उधार देने के लिए सहमत हो गए हैं।
इसके पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है कि उधार तेने वाला राष्ट्रपति द्वारा उसे दी जाने वाली र० (
अनुसू ची
मोटर गाड़ी का बूर्णन
गाड़ी का नाम
वर्णन
सिलेंडरों की संख्या
इंजन सं ०
चैक्सिस सं०
लागत

the	इसके साक्यस्वरूप उधार लेने वाले ने और भारत के राष्ट्र मंत्रालय/कार्यालय के थीं	
	डक्त(उद्यार लेने वाले का नाम और पदनाम)	
	् ने	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
İ	* * .	(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)
	(1)	पदनाम
	(साक्षी के हस्ताक्षर)	कार्यालय
1 of	(2)	
1		
1	की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।	
Ţ	राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से	
	(अधिकारी का नाम और पदनाम)	
	ने	(अधिकारी के हस्ताक्षर)
1	(1)	पदनाम .
		कार्यालय
1	(2)	
[(साक्षी के हस्ताक्षर)	
	की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।	
the		

प्ररूप सा० वि० नि० 23-क

(नियम 192-क देखिए)

केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग/प्रशासक/विभाग के प्रधान तथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के ग्रधीन उपकम/संगठन√नियम के बीच उस उपक्रम ग्रादि के किसी कर्मचारी को केन्द्रीय सरकार में उसकी प्रतिनियुक्ति की ग्रविध के दौरान, मोटर गाड़ी, मोटर साइकिल ग्रादि खरीदने के लिए ग्रिप्रिम की मंजूरी के समय निष्पादित किए जाने वाले करार का प्ररूप

सरकार में उसका प्रातानयुक्त का श्रवाध के दौरान, माटर गाड़ा, माटर सोड़ाकल ग्रादि खरादन के लिए ग्राग्रिम की मंजूरी के समय निष्पादित किए जाने वाले करार का प्ररूप
एक पक्षकार के रूप में
श्री
उक्त उद्यार तेने वाला अधिकारी तारीखसे केन्द्रीय सरकार के अधीन क्षेत्रा करने के लिए प्रतिनियुक्त है और यह संभावना है कि वह इसमें आगे उल्लिखित उद्यार की प्राप्ति की तारीख से कम से कम तीन वर्ष तक केन्द्रीय सरकार के अधीन प्रतिनियुक्त रहेगा;
उद्यार लेने बाले अधिकारी ने साधारण चित्तीय नियम, 1963 के (जिसे इसमें आगे उक्त नियम कहा गया है जिसके अन्तर्गत इस समय प्रवृत्त उसका संशोधन भी है) उपबंधों के अधीन मोटर गड़ी खरीदने के लिए राष्ट्रपति को आवेदन किया है;
राष्ट्रपति उधारलेने वाले अधिकारी को उक्त नियम में दिए गए निबंधनों और शर्तो पर
्र इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है कि उधार लेने वाले अधिकारी को राष्ट्रपति द्वारा उधार दी गई

, !

r/ ie ie is

d :r

f

3

CL S

	COLUE	ਰਿਸ਼ਲ <i>ਕ</i> ਰਜੇ ਆ <i>ਕੇ ਵਿਸ਼</i> ਰ	ਾਕੇਵੇ ਗਈ ਤੇ ਕੀਤ ਬਤਰ ਕੇ	हेराष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से	
			मंद्रालय/कार्यालय केश्री	ा राष्ट्रपाल कालाए जार उनका आर स ने इस पर अपने	:-
	पुने हस्ताक्षर कर	दिए हैं।			
Wall Con-			कंपनी/निगम/सोसाइटी	। के लिए और उसकी ओर से	
in the state of			(नाम और पदनाम)	•••••	
	0 400		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(हस्ताक्षर)	
A COLON		. ने	•		
Birtag	(4)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
N. S. S.					
distribution of	$(2) \dots$	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Societa	की उपस्थिति में हर	स्ताक्षर किए।			
erzelez e					
As confiden			•		
Col Serve				(अधिकारी के हस्ताक्षर)	
16.2	भारत के राष्ट्रपति के	लिए और उनकी ओर से अ	अधिकारी का	ਰੋਟੋਗਰ ਹਵਾਲੇ	
Section Section	भारत के राष्ट्रपति के श्री		अधिकारो का(नाम और पदनाम)	वदनाम	
Sales Services	भारत के राष्ट्रपति के श्री			पदनाम कार्यालय	
الكوالصورية والمفارط والماري فيهادها	भारत के राष्ट्रपति के श्री	••••	(नाम और पदनाम)	_	
المتحافظ كالمتحافظ المتحادة فيتماء المداديات	भारत के राष्ट्रपति के श्री	ने	(नाम और पदनाम)	_	
The state of the s	ৰী	ने	(नाम और पदनाम)	_	
The state of the s	হ্বী (1)	i i	(नाम और पदनाम)	_	
The state of the s	ৰী	i i	(नाम और पदनाम)	_	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	হ্বী (1)	i i	(नाम और पदनाम)	_	
のできた。 日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	হ্বী (1)	i i	(नाम और पदनाम)	_	
The second of th	হ্বী (1)	i i	(नाम और पदनाम)	_	
The second secon	হ্বী (1)	i i	(नाम और पदनाम)	_	•

प्ररूप सा० वि० नि० 29 [नियम 268(1) देखिए]

मरकार द्वारा नियुक्त सिमितियों श्रीर खायोगों के गैर-सरकारी सदस्यों को दिए गए यात्रा भत्ते के श्रप्रिम के

कर के प्रकार करता है कि मांग की जाने क्ष कि तुर्त्त लौटा दूंगा । यदि मैं विनिर्दिष्ट यात्राएं किसी कारण के नहीं करता हूं तो मैं करार करता हूं कि मांग की जाने विद्युत्त की सम्पूर्ण राशि भारत के राष्ट्रपति को तुरन्त लौटा दूंगा । obe:

> (राजस्व स्टाम्प) सदस्य के हस्ताक्षर ।

2-25 OLLC/ND/83

al

ng :by on

Kirker.

201

केन्द्रीय सरकार के सेवकों को श्रबंटित भूमि पर मकान बनाने के लिए श्रग्रिम की प्रथम किस्त लेने के पूर्व उनके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले करार का विशेष प्ररूप

ject at the	यह करार एक पक्षकार के रूप में
ade lent the	एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में
the has	उक्त करार के अनुसार उघार लेने वाले से यह अपेक्षा को जाती है कि वह मूमि की कीमत का सदाय से प्रारम्म होने वाली सात वार्षिक किस्तों में करें। उद्यार लेने वाले ने उनमें से दी हैं।
wer	उधार लेने वाले ने इस प्रयोजन के लिए कि वह भूभि की कीमत का संदाय कर सके और उक्त भूमि पर मकान बना सके
opy	(केवल
first	यह करार 'इस बात का साक्षी है कि :
wer stral sion eing	1. सरकार, उद्यार लेने वाले को इस करार के निष्पादन के पश्चात्
ime tion tity/ tion um-	(क) उद्यार लेने वाला अपने बेतन में से सरकार को

- (ख) यदि मकान बनाने के लिए वस्तुतः दी गई रकम उस रकम से कम है जो उधार लेने वाले को प्राप्त हुई है तो उधार लेने वाला शेष रकम सरकार को तुरन्त लोटा देगा।
- (ग) उद्यार लेने वाला भूमि की पूरी कीमत का संदाय उस समय के भीतर और उस रीति से करेगा जिसका उपबंघ तारीखके करार में किया गया है, परन्तु उक्त करार में तत्प्रतिकृत्व किसी वात के होते हुए भी उधार लेने वाला पूरी कीमत का संदाय हर सूरत में अधिवर्षिता की आयुप्राप्त करने से पूर्व करेगा।
- (घ) अंतरण विजेख का निष्पादन और उसका राजिस्ट्रीकरण होते ही उद्यार लेने वाला उक्त नियमों से उपावद प्ररूप 4 में एक दस्तावेज का निष्पादन करेगा। इस दस्तावेज के द्वारा वह उसे (उद्यार लेने वाले को) अग्निम के रूप में दी गई रकम और उस रकम पर संदेय ब्याज के लिए प्रतिभृति के रूप में उक्त भूमि और उस पर बना या बनाया जाने वाला मकान सरकार को बन्धक कर देगा।
- (ङ) उधार लेने वाला पहली किस्त प्राप्त करने की तारीख से अट्ठारह मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाए उक्त मकान को बिलकुल उस अनुमोदित प्लान और विनिर्देश के अनुसार बनवाने का काम पूरा कर लेगा जिसके आधार पर अग्रिम की रक्म की संगणना की गई है और वह मंजूर की गई है और वह उस भूमि की बाबत आवश्यक अन्तरण विलेख प्राप्त करेगा जिस पर, उसकी पूरी कीमत का संदाय करने के बाद, मकान बनाया जाना है ।
- (च) यदि प्रतिमू उधार के संदाय से पूर्व या इस करार के उपबंधों के अधीन उन्मोचित किए जाने से पूर्व किसी भी कारण से सरकारी सेवा में नहीं रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या वह दिवालिया हो जाता है, तो उधार लेने वाला उसके बाद एक पखवाड़े के भीतर नया प्रतिभू देगा जो सरकार द्वारा अनुभोदित प्ररूप में सरकार के साथ तुरुत करार करेगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उस समय देय पूरी रक्षम एक ही बार में संदेय हो जाएगी और यदि और कोई किस्तें दी जानी बाकी हैं तो उन सभी का संदाय निलम्बित रहेगा और रह किया जा सकेगा।
- 2. प्रतिभू सरकार के साथ यह प्रसंविदा करता है कि यदि उद्यार लेने वाला इस करार के उपबंध के अनुसार भूमि की पूरी कीमत का संदाय करने में और भूमि का अन्तरण-विलेख प्राप्त करने में या उक्त मकान का निर्माण पूरा करने में या वन्धक-विलेख का निष्पादन करने में असफल रहता है या उद्यार लेने वाला दिवालिया हो जाता है या किसी भी कारण से सरकारी सेवा में नहीं रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय देय उद्यार की रकम और उस पर लगाया गया ब्याज सरकार को तुरन्त सोध्य और संदेय हो जाएमा और वह प्रतिभू से बसूल किया जा सकेगा। प्रतिभू सरकार को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वह उसके मासिक वेतन, छुट्टी वेतन और जीवन-निर्वाह भत्ते के बिलों से ऐसी किस्तों में जो सरकार द्वारा विनिध्यत की जाएं उसे बसूल करने तथा उसकी सेवा-निवृत्ति या सेवा-निवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु के समय शेष रकम की, जिसका संदाय न किया गया हो, उसके मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति उपदान में से जो उसे मंजूर किया जाए, वसूल कर ले।
 - प्रतिभू सरकार के साथ यह प्रसंविदा भी करता है कि—
 - (i) वह केन्द्रीय सरकार का एक स्थायी सेवक है,
 - (ii) उसके मकान बनाने के लिए या कोई अन्य उद्यार नहीं लिया है और न वह किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिभू बना है और यह कि जब तक यह उद्यार लौटा नहीं दिया जाता या उसे इसमें अंतर्विश्ट उपबंधों के अधीन उन्मोचित नहीं कर दिया जाता है तब तक वह अपने लिए किसी उद्यार के लिए आवेदन नहीं करेगा और न वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रतिभू बनेगा, और
 - (iii) सरकार को इस बात की पूरी स्वतंत्रता होगी कि वह प्रतिभू की सहमति से या उसकी जानकारी में अथवा उसके बिना, इस करार के किसी निबन्ध में परिवर्तन करें या समय-समय पर इसकी अवधि बढ़ाए या ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग करें जिसका प्रयोग सरकार उधार लेंने वाले के विरुद्ध कर सकती है तथा इस करार से संबंधित किसी निबन्धन या शर्त को लागू करें या उससे प्रविरत रहे। किंतू इस करार के अधीन प्रतिभू की बाध्यता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी परिवर्तन या सरकार द्वारा उधार लेने वाले के प्रति किसी उदारता के कारण या ऐसे किसी विषय या बात से प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त नहीं होगा, जो यदि यह उपवंघ न होता तो प्रतिभू से संबंधित विधि के अधीन प्रतिभू को अपने दायित्व से मुक्त कर देती।
- 4. प्रतिभू का दायित्व तब तक बना रहेगा जब तक उक्त भूमि और उस पर बनाए जाने वाले मकान सरकार को बंधक रहते हैं या जब तक कि अग्रिम और उस पर देय ब्याज की रकम सरकार को लौटा नहीं दी जाती हैं, जो भी पहले हो ।

d by

the ting fore

eute ernsaid

late i on ded nect

ned nent hen ded

ases
vith
able
pay,
the

rice

ouse

ther rein on;

ons tion hich

tion

ther ern-

ety,

es to 5. उस निमित्त सरकार के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना यदि कोई रकम उद्यार लेने वाले या प्रतिमृद्वारा सरकार को प्रतिसंदेय या संदेय हो जाती है तो सरकार उस रकम को भूराजस्य की वकाया के रूप में वसूत करने की हकदार होगी।

इस विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क सरकार द्वारा दिया जाएगा।

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है* (यहां भूमि का वर्णन तिष्ठिए)

इसके साक्ष्य स्वरूप	उधार लेने वाले और प्रतिभूने तथा भारत के	
पर अ पने- अपने हस्ताक्षर		
उद्यार लेने वार	ते ने	
(1)	(साक्षो का नाम, पता और	
	व्यवसाय)	(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)
	———— (साक्षी के हस्ताकार)	
(2)-	——— (साझी का नाम, पता और	
` •	व्यवसाय)	(प्रतिभूके हस्ताक्षर)
	——— (साक्षों के हस्ताक्षर) प्रति	म् कानाम — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
		<u>н</u>
की उपस्थिति में हस्ताक्षर	किए। मना	नय/कार्यालय
भारत के राष्ट्रपति के लिए	(और उनकी ओर से	
मंत्रालय/कार्यालय के श्री		ब्द्पति के लिए और उनको ओर से हस्ताक्षर क व्यक्ति के हस्ताक्षर)
(1)———	———(साक्षीकानाम, पतां और	
	व्यवसाय)	
	———(साक्षी के हस्ताक्षर)	
(2)	———(साक्षी का नाम, पता और	
`	व्यवसाय)	
	(साक्ष) के हस्ताक्षर)	,
• की उपस्थिति में हस्ताक्ष	· farr 1	

उद्यार लेने वाले द्वारा भरा जाए।

पुस्तक के मूल लेखन के लिए करार

करार का जाएन पक्षकार के रूप में श्री/श्रीमती/कुमारी....... t./ lled (स्थान का नाम) कार्यका कि निवासी है (जिसे इसमें आगे 'लेखक' कहा गया है और इसके अंतर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, उसके वारिस, निष्पादक, :raan, कर्मां अप्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जो भारत सरकार के शिक्षा dia महोलय में वैज्ञानिक तथा तकनीकी कब्दावली आधोग के अध्यक्ष के माध्यम से कार्य कर रहे हैं (जिन्हें इसमें आगे his ुआज तारीख को किए गए करार का ज्ञापन । ्रिक्षे:लेखक ने सिंधी माषा में जनमक पुस्तक (जिसे इसमें आगे उक्त पुस्तक कहा गया the है) लिखने का वचनबंध किया है और वह उस पुस्तक को इसमें आगे दिए हुए निबंधनों और शर्तों पर और प्रतिफल के लिए, . प्रकाशक से प्रकाशित कराना चाहता है। 🊎 **अदः पक्षकारों** द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है :—-:he ां लेखक इसमें आगे तय पाए गए निबंधनों और शतों पर लेखन कार्य करेगा और उसे पूरा करेगा और वह उक्त ηk पुस्तक की सभी प्रकार से पूर्ण गण्डुलिपि इसमें आगे उल्लिखित समय के भीतर प्रकाशक को सौंप देगा। , 2. लेखक उक्त पुस्तक में, जहां कहीं उपलम्य हो, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार की गई nial र्टकनीकी भव्दावली का प्रयोग करेगा। उक्त गुस्तक की भाषा ययातंभव स्वाभाविक और सरल होगी तथा उसकी शैली ct. ms. लेखक उक्त पुस्तक को प्रकाशक की अपेक्षानुसार उसमें उपयुक्त तस्वीरें, नक्शे, रेखाचित्र, ग्राफ और अन्य चित्र देकर सचित्र बनवाएगा। यह काम वह प्रकाशक द्वारा अनुमोदित वर्तमान वाजार दरों पर करेगा। लेखक पाण्डुलिपि के to साय सिबी-अंग्रेजी शब्दावली, अनुक्रमणिका तथा प्रकाशक के निदेशानुसार अन्य परिशिष्ट लगाएगा। यदि लेखक अपेक्षा करता है और सुसंगत निर्देश पुस्तकें उपलम्य हैं तो प्रकाशक लेखक को वे पुस्तकें उघार देगा। e. 5. लेखक, प्रकाशक द्वारा कार्य सांपे जाने की सूचना की तारीख से.......दिन के भीतर पाण्डुलिपि का प्रथम \mathbf{m} प्रारूप पूरा करेगा। पाण्डुलिपि का प्रथम प्रारूप तैयार होते ही लेखक उसकी एक प्रति प्रकाशक को और विधीक्षा के लिए दो प्रतियां le प्रकाशक द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा। प्रकाशक का विनिश्चय अंतिम और लेखक पर आबद्धकर होगा तथा y प्रकाशक द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी के स्पष्ट सुझावों और निदेशों को लेखक तुरन्त कार्यान्वित क**रेगा।** 7. लेखक उक्त पुस्तक की अंतिम पाण्डुलिपि, उन विनिश्चयों, सुझावों और निदेशों को ध्यान में रखते हुए तैयार करेगा जो प्रकाशक द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ने इस निमित्त दिए हैं । सभी प्रकार से पूर्ण उक्त पुस्तक जिसमें ιe तस्वीरें, नक्कों, रेखाचित्र, ग्राफ और अन्य चित्र भी हों, प्रकाशक द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी के नमूने वाली प्रति पर ιs दिए गए सुझावों और निदेशों की सूचना की तारीख से 90 दिन के भीतर प्रकाशक को मुद्रण और प्रकाशन के लिए भेज दी जाएगी।

8. प्रकाशक उक्त पुस्तक के प्रूफ कागज, "खण्ड 7" में यथाउपबंधित सम्पूर्ण कृति की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर लेखक को भेज देगा। लेखक उन प्रफ कामजों के उसको भेजे जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर उनका पुनरीक्षण करके उन्हें ठीक करेगा। इस काम के लिए लेखक को कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा । पुन रीक्षित प्रूफ मिलने के 90 दिन के भीतर प्रकाशक उक्त पुस्तक को प्रकाशित कराएगा।

е

9. उनत पुस्तक के प्रकाशित होने पर लेखक को उसकी अधिक से अधिक दस उगहार प्रतियां प्राप्त करने का हक होगा ।

10. प्रकाशक, लेखक को नीचे लिखी दरों पर पारिश्रमिक का संदाय करेगा:--

(क) मृल पुस्तकों लिखने के लिए :

तीन सौ शब्दों के प्रति मानक पृष्ठ के लिए 10 ह० (केवल दस रुपए) से 12 ह० (केवल बास्ह रुपए) तक ।

(ख) सिंधी-अंग्रेजी शब्दावली और पाण्डुलिपि के परिशिष्ट के संकलन के लिए : प्रति तीन सी शब्द के लिए 3 रु० (केवल तीन रुपए)।

(ग) विषय सूची तैयार करने के लिए : प्रति मृद्रित पृथ्ठ के लिए 1 रु० (केवल एक रुपया)।

(घ) टाइप कराने का खर्चः

पहली प्रति के लिए, 300 शब्दों के प्रति मानक पृष्ठ के लिए 0.75 रुपए (पचहतर पैसे) तथा दूसरी और उसके बाद की प्रतियों के लिए 300 शब्दों के प्रति मानक पृष्ठ के लिए 0.12 रुपए (बारह पैसे) ।

(ङ) प्रकाशक कला कार्य और रेखा चित्रों के लिए संदाय वर्तमान बाजार दरों पर तय करेगा।

ि 11. पारिश्रमिक का संदाय इस प्रकार किया जाएगा: कुल संदेय पारिश्रमिक का 90 प्रतिशत भाग तब दिशा जाएगा जुब लेखक "खंड 7'' में यथा उपबंधित अंतिम पाण्डुलिपि भेज देगा तथा बाकी 10 प्रतिशत तब दिया जाएगा जब लेखक "खंड 8'' में यथाउपबंधित मुफ-शोधन का कार्य पुरा कर क्षेगा।

े 12. उक्त पुस्तक के लिखने में लेखक देवनागरी लिपि या अरबी लिपि का प्रयोग कर सकता है । प्रकाशक उक्त पुस्तक को देवनागरी लिपि या अरबी लिपि या दोनों ही लिपियों में प्रकाशित करने का अधिकार आरक्षित रखता है।

13. अपर बताए गए अनुसार किए जाने वाले संदायों के प्रतिफलस्वरूप, उत्तर पुस्तक की पाण्डुलिपि में तथा चित्रों, फोटो, रेखाचित्रों, नवशों और पाण्डुलिपि को तैयार करने के लिए उपयोग में लाई गई अन्य सामग्री में- भी स्वामित्व और पूरा प्रतिलिप्यधिकार (कापी राइट) प्रकाशक में निहित होगा। प्रकाशक उत्तत पुस्तक में पूर्ण प्रतिलिप्यधिकार (कापी राइट) का उपभोग करेगा और उसे विश्व के किसी भाग में उत्तत पुस्तक के प्रकाशन, उत्पादन, पुनरुत्पादन, अनुलेखन और उत्तत पुस्तक या उसके किसी भाग का किसी भी भागा में अनुवाद करने या संभेप तैयार करने का एकमात और अन्य अधिकार होगा। उत्तत पुस्तक के उत्पादन, प्रकाशन, प्रचार और विश्व को सम्पूर्ण अधिकार प्रकाशक में निहित होगा। लेखक उत्तत पुस्तक को सर्दव गोपनीय मानेगा और उसका अथवा उसके संबंध में किसी अधिकार का, जिसमें उसका या उसके किसी भाग या भागों के अनुलेखन का अधिकार भी है, विक्रय नहीं करेगा।

14. लेखक, प्रकाशक को यह वारंटी देता है कि उक्त पुस्तक उसागी मूल कृति है और उससे किसी भी विद्यमान प्रतिलिप्यिधिकार का कोई उल्लंघन नहीं होता है, उसमें कोई आपित्तजनक, अश्लील या अपमान लेखीय सामग्री नहीं है तथा उसमें के जिन कथनों का तथ्य होना ताल्पियत है वे सभी कथन सही हैं और लेखक को यह करार करने की पूरी सक्ति है तथा वह (लेखक) प्रकाशक को होने वाली हानि, क्षिति या नुकसान के लिए, जिसके अन्तगंत इस वारंटी के किसी भंग के परिणामस्वरूप प्रकाशक द्वारा किए गए विधिक थ्यय या खर्च भी है, प्रकाशक की क्षितपूर्ति करेगा। लेखक यह वारंटी भी देता है कि उसने इस करार में समाविष्ट उक्त पुस्तक में किसी अधिकार की बाबत न तो कोई समनु-देशन किया है और न कोई अनुकृति दी है।

15. यदि उक्त पुस्तक के प्रथम संस्करण के प्रकाशन के दस वर्ष के भीतर उस पुस्तक की प्रतियां बिकती नहीं हैं, तो प्रकाशक उक्त पुस्तक की उन सभी प्रतियों का व्ययन ऐसी रीति से कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

16. यदि पांच वर्ष की अवधि के मीतर किसी समय उक्त पुस्तक की बिना विकी प्रतियों की संख्या एक सी या उससे कम है तो प्रकाशक को यह हक होगा कि वह लेखक से यह कहे कि वह (लेखक) उक्त पुस्तक का पुनरीक्षण, संशोधन या परिवर्धन करें जिससे कि उसमें विषय से संबंधित नवीनतम और अवतन जान हो और वह पाठक के लिए अधिक उपयोगी तथा प्रकाशक के लिए अधिक लाभकारी हो। लेखक सभी आवश्यक परिवर्तन प्रकाशक द्वारा विहित समय के मीतर करेगा। प्रकाशक ऐसे पुनरीक्षण के लिए लेखक को, ऊपर "खण्ड 10" में नियत आधार पर संदाय करेगा। किन्तु "खण्ड 10(क) और (ख)" के अधीन संदेय वैयक्तिक पारिश्रमिक उक्त पुस्तक के लिए उक्त "खंड 10 (क) और (ख)" के अधीन उसको (लेखक को) संदेय वैयक्तिक पारिश्रमिक के एक तिहाई से कम और आधे से अधिक नहीं होगा।

per

ted

be on

ca-

the

ials
hall
of
all
ver.
the

any

inal
ight
ight
ify
her
ade

sed

the ; in

ore ges ion)(a)

the

nal

of

sed ren for

on.
of

tyle vercre-

the and ers ted

his the

ion hall of ling

ider tra-

has ... , his 17. यदि उन्त पुस्तक या किसी भाषा में उसका अनुवाद या संक्षिप्त संस्करण, जो प्रकाशक ने प्रकाशित किया है, किसी समय अप्राप्य हो जाता है तो लेखक उसका नया संस्करण प्रकाशित करने की लिखित प्रस्थापना प्रकाशक को कर सकता है। यदि प्रकाशक उस पुस्तक का द्वितीय संस्करण या उससे हैं छह मास के भीतर उसका कोई पश्चात्वर्ती संस्करण प्रकाशित करने के लिए छह मास के भीतर लिखित रूप में सहमत नहीं होता है तो लेखक को यह हक होगा कि वह प्रकाशक को प्रथम संस्करण की पुस्तकों के विकय मूल्य के आधार पर सवा छह प्रतिशत स्वामिस्व (रायल्टी) देकर उसका 1000 प्रतियों का एक संस्करण अपने खर्च पर प्रकाशित करें या किसी अन्य अभिकरण से प्रकाशित कराए।

18. यदि लेखक उक्त पुस्तक के पूर्वगामी खण्ड में उल्लिखित प्रकाशन का प्रबंध स्वयं करता है, तो लेखक को उन सभी स्टीरियो, ब्लाकों, इलेक्ट्रोटाइप प्लेटों या अग्य प्लेटों को खरीदने का हक होगा जिनका उपयोग उक्त पुस्तक को सचिव बनाने के लिए किया गया है। ये वस्तुएं वह उस उचित कीमत पर खरोद सकेगा जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलो आयोग का अध्यक्ष अवद्यारित करें। यदि लेखक उक्त स्टीरियो, ब्लाक आदि तीन मास के भीतर नहीं खरीदता है तो प्रकाशक को यह हक होगा कि वह अपनी इच्छानुसार किसी भी रोति से उनका व्ययन कर दे।

19. यदि लेखक की मृत्यु हो जाती है या वह उक्त पुस्तक का, उसके दितीय या पश्चात्वर्ती संस्करण के लिए पुनरीक्षण करने में असमर्थ है तो प्रकाशक को यह स्वतंत्रता होगी कि वह उक्त पुस्तक को किसी ऐसे सक्षम व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षित करा ले जिसे वह नियुक्त करे। किन्तु ऐसी दशा में लेखक की पत्नी/विधवा या वच्चों को यह हक होगा कि उन्हें उस रकम के एक तिहाई भाग का संदाय किया जाए जो उक्त पुस्तक का पुनरीक्षण करने के लिए उक्त सक्षम व्यक्ति को संदेय होगी। शेष दो तिहाई रकम का संदाय उक्त सक्षम व्यक्ति को किया जाएगा।

20. प्रकाशक, मुद्रकों और जिल्दसाओं के उपयोग के लिए चित्रों, फोटो, नक्कों, तस्वीरों आदि के ब्लाक उपलब्ध करेगा। ये वस्तुएं प्रकाशक की पूर्ण सम्पत्ति होंगी और लेखक को अपने किसी ऐसे प्रकाशन के लिए उनका उपयोग करने का हक नहीं होगा जो उस प्रकाशक ने प्रकाशित या प्रायोजित नहीं किया है।

21. प्रकाशक उक्त पुस्तक का मुद्रण, उत्पादन और प्रकाशन ऐसी रीति से और शैली में करेगा जो वह स्विविका-नुसार ठीक समझता है। टाइप जैकेटों के मुद्रण की रीति, समानंकरण, विज्ञापन, विकय और विकय के निबंधनों के तथा मुफ्त प्रतियों की संदेश और वितरण के बारे में सभी ब्यौरे प्रकाशक के एकमात्र विवेक पर छोड़ दिए जाएंगे।

22. उक्त पुस्तक का मूल्य प्रकाशक नियत करेगा।

23. प्रकाशक की ओर से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और प्रकाशक की ओर से की जाने वाली अन्य सभी कार्रवाइयां प्रकाशक की ओर से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का अध्यक्ष या ऐसा कोई अधिकारी जिसे उस समय वैज्ञानिक तथा तकनीकी आयोग के उक्त अध्यक्ष के कृत्य, कर्त्तंब्य और शक्तियां सौंपी गई हैं, अथवा प्रकाशक द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी दे सकेगा या कर सकेगा।

24 यदि इस करार के निबंधनों के अधीन लेखक को दी जाने वाली कोई सूचना लेखक के अंतिम ज्ञात पते पर परिदत्त कर दी जाती है या छोड़ दी जाती है या रिजस्ट्री डाक से मेज दी जाती है तो उस सूचना की बाबत यह समझा जाएगा कि उसकी विधिवत् तामील कर दी गई है। इसी प्रकार यदि प्रकाशक को दी जाने वाली कोई सूचना प्रकाशक के अंतिम ज्ञात पते पर परिदत्त कर दी जाती है या छोड़ दी जाती है या रिजस्ट्री डाक से भेज दी जाती है तो उस सूचना की बाबत यह समझा जाएगा कि उसकी विधिवत् तामील कर दी गई है।

25. यदि इस विलेख के अधीन या उसके संबंध में (ऐसे विषयों के बारे में छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए इसमें विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध है) कोई प्रश्न, विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो वह भारत सरकार के शिक्षा और युवा सेवा मंत्रालय के सिवब के या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के एकमान माध्यस्थम के लिए निर्देशित किया जाएगा। मध्यस्थ का अधिनिर्णय अंतिम और इस संविदा के पक्षकारों पर आबद्ध कर होगा। भारतीय माध्यस्थम अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध तथा उसके कानूनी उपांतर, जो उस समय प्रवृत्त है, इस खंड के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाहियों को लागू समझे जाएंगे।

26.	यह	करार	किया	जाता	है	कि	स्टाम्प	शुल्क	सरकार	दंगी	I	
										•		

	13	
	जक्त लेखक ने	
	(1)	
	(2)	
की	ं उपस्थिति में हस्ता क्षर ंकिएं।	
		(लेखक)
	भारत के राष्ट्रपति (प्रकाशक) के लिए और उनकी ओर से	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष ने
	(1)	
	(2)	-
की	ा उपस्थिति में हस्ताक्षर कि ए ।	
		•
,		
		(अध्यक्ष)
		वैज्ञानिक तथा तकनोकी शब्दावली आयोग
	•	
		• *
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-		
		•

पुस्तक के ग्रनुवाद के लिए करार

करार का ज्ञापन

	एक पक्षकार के रूप में श्री∫श्रीमती/कुमारी
	(नाम)
nri/	कोका/को पुत्न/पत्नी/पुत्नी है और
ich ore- for dia ors	
ion	अनुवादक ने
	अतः पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है :—
to nal	 अनुवादक इसमें आगे तय पाए गए निबंधनों और शर्तों के अनुसार अनुवाद करेगा और उक्त पुस्तक को पूरा करेगा। वह उक्त पुस्तक की पूरी पांडुलिपि इसमें आगे उल्लिखित समय के भीतर प्रकाशक को सौंप देगा।
the du-	 अनुवादक उक्त पुस्तक में, जहां कहीं उपलम्य हो, वैज्ञानिक तया तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा तैयार की गई तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करेगा। उक्त पुस्तक की भाषा यथा संभव स्वमाविक और सरल होगी तथा उसकी अली विषय के अनुरूप होगी।
m-	3. अनुवादक प्रकाशक द्वारा कार्य सींपे जाने की सूचना की तारीख से 90 दिन के भीतर पाण्डुलिपि का प्रथम प्रारूप पूरा करेगा ।
to the	4. पाण्डुलिपि का प्रथम प्रारूप तैर्यार होते ही अनुवादक उसकी एक प्रति प्रकाशक को और दो प्रतियां प्रकाशक द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी को विद्यक्षा के लिए भेजेगा। प्रकाशक का विनिश्चय अन्तिम और अनुवादक पर आबद्धकर होगा तथा प्रकाशक द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी के स्पष्ट सुझावों और निदेशों को अनुवादक कार्यान्वित करेगा।
ons era- by ms,	5. अनुवादक उक्त पुस्तक दी अन्तिम पाण्डुलिपि उंन विनिध्चयों, सुधावों और निदेशों को ध्यान में रखते हुए तैयार करेगा जो प्रकाशक द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ने इस निमित्त दिए हैं । सभी प्रकार से पूर्ण उक्त पुस्तक जिसमें तस्वीरें, नक्शे, रेखाचित्र, ग्राफ और अन्य चित्र भी हों, प्रकाशक द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी के, नमूने वाली प्रति पर दिए गए सुधावों और निदेशों की सुचना की तारीख से 90 दिन के भीतर प्रकाशक को मुद्रण और प्रकाशन के लिए मेज दी जाएगी।
ays by late vise	6. प्रकाशक उक्त पुस्तक के पूफ "खण्ड 7" में यथा उपबंधित सम्पूर्ण कृति की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर अनुवादक को भेज रेगा। अनुवादक उन प्रूफ कागजों को उसको भेजे जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर उनका पुनरोक्षण करको उन्हें ठीक करेगा। इस काम के लिए अनुवादक को कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाहगा। पुनरीक्षित प्रूफ मिलने के 90 दिन के भीतर प्रकाशक उक्त पुस्तक को प्रकाशित कराएगा।
on. sed	7. उक्त पुस्तक के प्रकाशित होने पर अनुवादक को उसकी अधिक से अधिक दस उपहार प्रतियां प्राप्त करने का हक होगा ।
ıan	 प्रकाशक, अनुवादक को नीचे लिखी दरों पर पारिश्रमिक का संदाय करेगा :—
	(क) अनुवाद के लिए :
	300 शब्दों के प्रति मानक पृष्ठ के लिए 8.00 रुपए। 3—25 OLLC/ND/83

ge of

(ख) टाइप कराने के लिए:

पहली प्रति के लिए, 300 शब्दों के प्रति सानक पृष्ठ के लिए 0.75 रुपए तथा दूसरी और उसके बाद की प्रतियों के लिए 300 शब्दों के प्रति मानक पृष्ठ के लिए 0.12 रुपए (बारह पैसे) ।

d on nsla-

9. पारिश्वमिक का संदाय इस प्रकार किया जाएगा : कुल संदेय पारिश्वमिक का 90% भाग तब दिया जाएगा जब अनुवादक "खुंड 7" में यथाउपविचित्त अन्तिम पांडुलिपि भेज देगा और बाकी 10% तब दिया जाएगा जब अनुवादक "खण्ड 8" में यथा-- उपविचित पुरु शोधन का कार्य पूरा कर लेगा ।

luca-Dev-

10. उक्त पुस्तक के लिखने में अनुवादक देवनागरी लिपि या अरती लिपि का प्रयोग कर संकता है। प्रकाशक उक्त पुस्तक को देवनागरी लिपि या अरबी लिपि या दोनों ही लिपियों में प्रकाणित करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखता है।

the rials shall ht of idge-

11. ऊपर बताए गए अनुसार किए जाने वाले संदायों के प्रतिकलस्वरूप, उन्त पुस्तक की पांडुलिपि में तथा चित्रों, फोटो, रेखाचित्रों, नक्यों और पांडुलिपि को तैयार करने में लेखक द्वारा उपयोग में लाई गई अन्य सामग्री में स्वामित्व और पूरा प्रति-लिप्यधिकार (कापी राइट) प्रकाशक में निहित होगा । प्रकाशक उन्त पुस्तक में पूर्ण प्रतिलिप्यधिकार का उपभोग करेगा और उसे विश्व के किसी भाग में उन्त पुस्तक के प्रकाशक/उत्पादन का और उन्त पुस्तक का या उसके किसी भाग का किसी भी भाषा में अनुवाद करने या संक्षेप तैयार करने का एकमाल और अनन्य अधिकार होगा । उन्त पुस्तक के उत्पादन, प्रकाशन, प्रचार और विकय का सम्पूर्ण अधिकार प्रकाश में निहित होगा ।

style nents o the

12. प्रकाशक उक्त पुस्तक का मृद्रण, उत्पादन और प्रकाणन ऐसी रीति से और शैली में करेगा जो वह स्वविवेकानुसार ठीक समझता है। टाइप, जैक्टों के मृद्रण की रीति, समालकरण, विज्ञापन, विकय और विकय के निवन्यनों के तथा मुक्त प्रतियों की संख्या और वितरण के बारे में सभी व्योरे प्रकाशक के एक मात्र विवेक पर छोड़ दिए जाएंगे।

उन्त पुस्तक का मृत्य प्रकाशक नियत करेगा।

f the and as of d by

14. प्रकाशक की ओर से दी जाने वाली सभी सुचनाएं और प्रकाशक की ओर से की जाने वाली जन्य सभी कार्रवाइयां प्रकाशक की ओर से वैज्ञानिक तथा तकनीकी सब्दावली आयोग का अध्यक्ष था ऐसा कोई अधिकारी जिसे उस समय वैज्ञानिक तथा तकनीकी आयोग के उक्त अध्यक्ष के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियां सींपी गई है अथवा प्रकाशक द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी दे सकेगा या कर सकेगा।

to be
it his
f the

15. यदि इस करार के निबन्धनों के अधीन अनुवादक को दी जाने दाली कोई सूचना अनुवादक के अन्तिम झात पते पर परिदत्त कर दी जाती है या छोड़ दी जाती है या रिजस्ट्री डाक से भेज दी जाती है तो उस सूचना की बावत यह समझा जाएगा कि उसकी विधिवत् तामील कर दी गई है। इसी प्रकार यदि प्रकाशक को दी जाने वाली कोई सूचना प्रकाशक के अन्तिम जात पते पर परिदत्त कर दी जाती है या छोड़ दी जाती है या रिजस्ट्री डाक से भेज दी जाती है तो उस सूचना की बावत यह समझा जाएगा कि उसकी विधिवत् तामील कर दी गई है।

shall lia or les to aodir this

16. यदि इस विलेख के अधीन या इसके सम्बन्ध में (ऐसे विषयों को छोड़ कर जिनके विनिश्चय के लिए इसमें विनिर्दिष्ट स्प से उपबन्ध है) कोई प्रश्न; विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो वह भारत सरकार के शिक्षा और युवासेवा मंत्रालय के सिवव के या उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के एकमात माध्यस्थम के लिए निर्देशित किया जाएगा । मध्यस्य का अधिनिर्णय अंतिम और इस संविदा के पक्षकारों पर आबद्धकर होता । भारतीय माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध तथा उसके कानूनी उपान्तर, जो उस समय प्रवृत्त हैं. इस खंड के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाहियों को लागू समझे जाएंगे ।

17. यह करार किया जाता है कि यदि इस पर कोई स्टांप शुल्क देना होगा जो वह सरकार देगी।

.has

set,

उन्हें उस्त अनुवादक ने	
(1)	
(2) हो उपस्थित में हस्ताक्षर किए । _	
of the आपत के राष्ट्रपति (प्रकाशक) के लिए और उनकी ओर से वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग	ुवादक) के अध्यक्ष
विश्वास के रिष्ट्रपार्थ (प्रकाशक) के लिए जार उनका जार से वंशानक तथा तकनाका शब्दापणा जाया।	प जञ्जदा त
(2) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए	
111) # ,	
10gv. 1	ं तकनीकी शब्दावर्स योग

ısively opies.

.s. 750

effec-

orictor

ed any itories

id Ian.

agrees

censee

under

पुस्तक के अनुवाद अगेर प्रकाशन की अनुज्ञप्ति के लिए करार करार का ज्ञापन का निवासी है (जिसे इसमें आगे ''स्वत्वधारी'' कहा गया है और इसके अंतर्गत जसके विधिक प्रतिक्षित्र, जलराधिकारी और समनु-देशिती भी समझे जाएंगे, जब तक कि ऐसा संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के ntext राष्ट्रपति के (जिन्हें इसमें आगे ''अनुज्ञप्तिधारी'' कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी समझे जाएंगे ESI-जब तक कि ऐसा संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं [है) बीच आज तारीख.....को किए गए करार >pug-स्वत्वधारी ने अनुज्ञप्तिधारी को यह व्यपदिष्ट किया है कि उसे (स्वत्वधारी को) इसमें आगे बताई गई अनुज्ञप्ति देने का वैध right अधिकार और पूर्णहक है। अनुज्ञाप्तिघारी, स्वत्वघारी द्वारा किए गए उपर्युक्त व्यपदेशन के आधार पर इस करार को करने के लिए सहमत हो गया rictor अत: इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है। अनुज्ञप्तिघारी ने स्वत्वघारी को इसमें आगे उल्लिखित जो संदाय किया है उसके प्रतिफलस्वरूप स्वत्वघारी, अनुज्ञप्तिधारी को e. the निम्नलिखित पुस्तक का (जिससे इसमें आगे "पुस्तक" कहा गया है)भाषा में (जिसे इसमें आगे उक्त 1blish ries") भाषा कहा गया है) अनुवाद करने और उसे भारत गणराज्य और उसके अधीनस्य क्षेत्रों में (जिन्हें इसमें आगे ''उक्त राज्यक्षेत्र'' or to कहा गया है) पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने की ओर/या किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अथवा अभिकरण या अभिकरणों को, ee to जिन्हें अनुज्ञाप्तिघारी तय करेगा, ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करने की और/या ऐसे अनुवाद और पुस्तक रूप में उसके प्रकाशन ıation की व्यवस्था करने की अनन्य और अंतरणीय अनुज्ञप्ति देता है किन्तु जिस व्यक्ति या व्यक्तियों अथवा अभिकरण या अभिकरणों को ies to ऐसा अंतरण किया जाता है उनके नाम और पते की पूर्व सूचना स्वत्वधारी को दी जानी होगी : पुस्तक का नाम under-अनुज्ञप्तिबारीयहवचनबंधभीकरताहै कि वह यह ध्यान रखेगा कि ऐसा कोई अनुवाद (जिसे इसमें आगे ''अनुवाद'' कहा गया ration है) जो वह स्वयं करता है या जिसे उसने प्राधिकृत किया है, निष्ठापूर्वक और सही रूप में किया जाएगा तथा, स्वत्यधारी की लिखि e pro-पूर्व सहमति के बिना मूलपुस्तक में कोई परिवर्तन, संक्षेपण या पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। world o him की तारीख से तीन मास के बाद बन्द कर देगा।

यह उपबंध भी किया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी उक्त अनुवाद की प्रतियों का सारे विश्व में विकय कर सकता है परन्तू स्वत्वधारी उसे जिस देश का नाम लिखित रूप में अधिसूषित करता है उस देश में वह ऐसी प्रतियों का विकय उक्त मूल सूचना

- स्वत्वघारी इस बात से सहमत है कि उक्त पुस्तक के अनुदित पाठ में प्रतिनिप्यधिकारपितयों के मृद्रण आदेश के लिए इसमें आगे उपबंधित आरक्षणों के अधीन रहते हुए अनन्य रूप से अनुज्ञप्तिधारी को होगा ।
- इस करार पर हस्ताक्षर कर दिए जाने के पश्चात् अनुझिन्दिधारी, उन अधिकारों के लिए जिनके लिए इस में अनुझिन्द दी गई है स्वत्वधारी को 750 रु० (केवल सात सी पवास रुपए) की पूरी फीस का संदाय करेगा और ये अधिकार तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि स्वत्वधारी को वह संदाय प्राप्त नहीं हो जाता है।
- 4. स्वत्वघारी यह प्रत्याभूति (गारंटी) देता है कि इस करार के प्रयोजन के लिए वह उक्त पुस्तक का उक्त भाषा में अनुवाद करने के अधिकार का एकमात्र स्वत्वधारी है और उसने (स्वत्वधारी ने) किसी व्यक्ति या फर्म को उक्त पुस्तक का उक्त भाषा में अनुवाद करने और उक्त राज्यक्षेत्रों के भीतर उसे प्रकाशित करने के लिए कोई अनुज्ञप्ति या अधिकार नहीं दिया है तया उक्त पुस्तक स्वत्वधारी की सहमति या उपमति से उक्त राज्यक्षेत्रों में प्रकाशित नहीं की गई है और स्वत्वधारी यह करार करता है कि वह ऐसी हानि के लिए अनु इप्तिधारी या उसके अभिकर्ताओं या समनुदेशितियों की क्षतिपूर्ति करेगा और उन्हें क्षतिपूरित रखगा जो <mark>त्रिकृषिकारी या उसके अभिकर्ताओं या समनुदेशितियों को इस विलेख के अधीन दिए गए अधिकार के बारे में किसी व्यक्ति के दावे</mark> के कारण उठानी पड़े ।

arrange 'oresaid I period without

"Transotice apor on the the said

Transla

d copies

main ou ed writter not rectify ling copy

letermine nt, so lon f the pro

specifical

two copie

iod of cur work in th

greement rise provid nent betwe appointed he burden to meaning ration there may be, m at Arbitrati

ec.

1 and year f

5. अनुक्षित्वधारी यह वचनबंध करता है कि वह इस करार की तारीख से पांच वर्ष में या उसके पूर्व उन्त पुस्तक का उन्त राज्यक्षेत्र में उन्त भाषा में अनुवाद करेगा और/या उसे प्रकाशित करेगा और/या ऐसा करने के लिए और/या उसके अनुवाद और प्रकाशन की व्यवस्था करने के लिए अन्य व्यवित्यों को प्राधिकृत करेगा । यदि अनुक्षित्वधारी उन्त अवधि या परस्पर सहमति से बढ़ाई गई अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहना है तो इस करार में दिए गए सब अधिकार, कोई और सूचना दिए बिना स्वत्वधारी को प्रतिवित्तित हो जाएंगे ।

6. अनुज्ञान्तिधारी उक्त अनुवाद की सभी प्रकाक्षित प्रतियों पर, पुस्तक के बीर्षक, लेखक का नाम, संस्करण और स्वत्वधारी के संस्करण में प्रतिनिष्यधिकार की मूचना के पश्चात् "से अनुदित" शब्द निखवाएगा । यह जानकारी उक्त भाषा शीर्षक के नीचे या शीर्षक पृष्ठ (टाइटिल पेज) के पीछे या उक्त भाषा में प्रकाशित प्रत्येक प्रति के शीर्षक पृष्ठ (टाइटिल पेज) के सम्मुख अर्द्ध- शीर्षक पृष्ठ (हाफ टाइटिल) के पीछे दी जाएगी ।

 स्वत्वधारी द्वारा प्रकाशित पुनरीक्षित संस्करण (नए पुनरीक्षण) इस करार के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसी पुस्तकों से संबंधित अनुवाद अधिकार पक्षकारों के बीच और आगे बातचीत से तय किए जाएंगे।

8. अनुज्ञान्तिघारी,स्वत्वघारीको पुस्तकके अनुवाद की और यदि उसके पुनरीक्षित अनुवाद हों तो उनकी दो प्रकाशित प्रतिया मुफ्त देने की व्यवस्था करेगा ।

9. यदि अनुविश्विधारी या उसका प्रकाशक उक्त भाषा संस्करण की सभी मृद्रित प्रतियां समाप्त हो जाने देता है और वे दो वर्ष तक अप्राप्य बनी रहती है तथा पुस्तक को पुनः मृद्रित कराने के लिए स्वत्वधारी की लिखित सूचना मिलने के छः मास के भीतर ऐसा करने में असफल रहेगा या यदि वह इस करार के किसी निवन्धन का अतिक्रमण करेगा और ऐसे अतिक्रमण को सुधारने के लिए लिखित सूचना मिलने के तीन मास के भीतर उसका सूधार नहीं करेगा तो इस करार के अधीन दिए गए सभी अधिकार जिनके अंतर्गत प्रतिलिज्यधिकार भी है, स्वत्वधारी को प्रतिवर्तित हो जाएंगे।

10. अनुज्ञान्तिवारी इसमें दी गई अनुज्ञान्ति किसी अभिकर्ता या अभिकर्ताओं को, जिन्हें वह तय करेगा, उप पद्टे पर दे सकेगा, किन्तु जब तक यह करार प्रवृत्त रहता है तब तक अनुज्ञान्तिवारी इस करार को पूरा करने के लिए स्वत्ववारी के प्रति आबद्ध रहेगा।

11. इसके द्वारा दिए गए पुस्तक रूप में प्रकाशन के वर्तमान अधिकार को छोड़ कर पुस्तक में सभी अधिकार स्वत्वधारी ने विनिर्दिष्ट रूप से आरक्षित रखे हैं।

12. इस करार पर हस्ताक्षर हो जाने पर स्वत्वधारी उक्त पुस्तक के प्रकाणित किए जानेवाले नवीनतम संस्करण की दो प्रतियां अनुज्ञाप्तिधारी को मुप्त भेजेगा।

13. स्वत्वधारी यह करार और वचनबंध करता है कि वह वर्तमान अनुझप्ति के चालू रहने की पूरी अवधि के दौरान उक्त पुस्तक का उक्त राज्यक्षेत्रों में उक्त भाषा में अनुबाद करने और उसे प्रकाशित करने की ऐसी ही कोई अनुझप्ति न तो देगा और न समन्देशित करेगा।

14. यदि ऐसे विषयों को छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए अन्यथा उपबंध है, इस करार की विषय वस्तु वा इसमें अंतर्विष्ट किसी प्रसंविदा या खण्ड या बातों के संबंध में या बारे में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो वह पक्षकारों के बीच सहमित से नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्य के एकमाल माध्यस्यम् के लिए और यदि ऐसी सहमित नहीं होती है तो ऐसे दो मध्यस्यों के माध्यस्यम् के लिए निर्वेशित किया जाएगा जिनमें से एक-एक मध्यस्य विवाद के दोनों पक्षकारों द्वारा नियुक्त किया जाएगा। परन्तु मध्यस्य निर्वेश का भार स्वयं ग्रहण करने से पूर्व एक अधिनिर्णायक नियुक्त करेंगे तथा इस करार की बाबत यह समझा जाएगा कि यह भारतीय माध्यस्यम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10) के अर्थ में माध्यस्यम् के लिए करार है और उक्त अधिनिर्णायक अधिनिर्णायक अधिनिर्णायक अधिनिर्णायक अधिनिर्णायक अधिनिर्णायक अधिनिर्णायक अधिनिर्णायक अधिनिर्णायक अधिनिर्णाय देने की अविध को पक्षकारों की सहमित से समय-समय पर बढ़ा सकेगा और माध्यस्यम् की बैठकें भारत में होंगी।

15. यदि इस करार पर कोई हुटांप शुल्क देय होगा तो वह अनुज्ञान्तिधारी देगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकार इसमें ऊपर लिखी अरीख की यह विलेख निष्पादित करते हैं।

				19			
उब् त	स्वत्वधारी ने						
(1)	• • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
(2)		· · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · ·				
की उपस्थि	पति में हस्ताध	क्षर किए।	-				
					-		
भारत	के राष्ट्रपति व	हे लिए और				(40	त्वघारी)
उनकी ओर		•					
(1)							
(2)	· • · · · · · ·	• • • • • • • •					
	ते में इस्ताकर						
ंकिए गए ं	और परिदान	किया गया	ı				
.						(9	ानु ज्ञ प्तिघारी)
					*		

•

...

٠..

पूर्वोत्तर सीमा रेल

जोन संविदा के लिए करार

the character of the c	दारा कार्य कर रहे हैं. जिल्हें इसमें आगे
ेरित' कहा गया है, और दूसरे पक्षकार के रूप में ———————————————————————————————————	द्वारा कार्य कर रहे हैं, जिन्हें इसमें आगे
ेरित' कहा गया है, और दूसरे पक्षकार के रूप में ———————————————————————————————————	
the ther टेकेदार ने रेल के साथ यह करार किया है कि वह	–, जिस इसम अप्य ठकदार कहा गया है.
the ther टेकेदार ने रेल के साथ यह करार किया है कि वह	करार के अनच्छेद।
तक की ——————————————————————————————————	
तक की ————————— मास की अवधि के दौरान –	—— ў ————
	
rom सेक्शन	— —— किलोमीटर/और ———
rks, ————————————————————————————————————	ाल पर सभी नया कार्य,विद्यमान सं रचनाओं
sub- में परिवर्धन और परिवर्तन, विशेष मरम्मत कार्य और भवन निर्माण सामग्री का प्रद	य, जिनमें से प्रत्येक कार्यका संविदा मत्य
ain- 50,000 रुपए से अधिक न हो, तथा सभी साधारण मरम्मत और रख रखाव का व	
(जो इस संविदा के भाग रूप समझे और माने जाएंगे) लिखे होंगे जो उक्त अविध	
hall कार्यों को इससे संलग्न अनुसूची में बताई गई दरों पर तथा पूर्वोत्तर सीमा रेल संविदा	
ified कोई विशेष शर्वे और विनिर्देश हैं तो उनके अनुसार तथा यदि उक्त कार्य-आदेशों के स	
the जनके जनुरूप करेगा ! उनत का कार्यों निष्पादन ऐसा कार्य है जिसमें जनता हितबद्ध है ।	ान नाइ रचा । स्थ जारा । मन् बाल्म (स
mity -	
for- 📗 , यह करार इस बात का साक्षी है कि रेल जो भुगतान करेगी उसके प्रतिफलस्वरू	
कार्यों का निष्पादन सम्धक् रूप से, बहुत तत्परता, सावधानी और सही रूप से तथा रे	
s to हिकेदार इन कार्यों को कार्य-आदेशों में उनके लिए उल्लिखित तारीखों को या उनके	पूर्व उक्त विनिर्देशों और उक्त रेखा चित्नों
and (यदि कोई हों) के तथा संविदा की उक्त शतों के अनुसार पूरा करेगा। वह (ठेकेदार)	जनत कार्य-आदेशों में बताई गई सभी शतौ
tion का (जिन्हें इस संविदा का भाग रूप समझा और माना जाएगा, मानो वे पूर्ण रूप से	
ance करार करेगा और जनके अनुसार कार्य करेगा । रेल यह करार करती है कि यदि ठेकेदा	
^{धीति} के उन्हें नहीं में करेगा तथा उक्त निबन्धनों और प्रती का पालन करेगा और	
unis !	र उन कार्यों की बाबत देय रकम का अग्र-
	is an over the array on that the Male
	-
arms तान करेगी या कराएगी । .	
rms तान करेगी या कराएगी । . the इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार अचानक ऐसे अधिक व	
rms तान करेगी या कराएगी । . the इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार अचानक ऐसे अधिक व TO परा करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है य	उसे करने में असमर्थ साबित होता है तो
arms तान करेगी या कराएगी । . the इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार अवानक ऐसे अधिक व पूरा करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है य मंडल इंजीनियर अपने एकमाब विवेकानुसार उस कार्य को वापस ने सकता है औ	ाउसे करने में असमर्थ साबित होता है तो इंजोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से
arms तान करेगी या कराएगी । the इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार अवानक ऐसे अधिक व TO पूरा करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है या मंडल पंजीनियर अपने एकमान विवेकानुसार उस कार्य को वापस ने सकता है औ क्वा किन्न किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है। ऐसी दशा में इस प्रकार सौंप गए कार्य की	ाउसे करने में असमर्थ साबित होता है तो र जोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से बाबत ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा
तान करेगी या कराएगी । . इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार अचानक ऐसे अधिक व पूरा करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है या मंडल इंजीनियर अपने एकमाब विवेकानुसार उस कार्य को वापस ने सकता है औं किन्न किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है। ऐसी दशा में इस प्रकार सौंपे गए कार्य की कौर वह उस कार्य के बारे में जो अससे वापस निया गया है या किसी अन्य व्यक्ति	ाउसे करने में असमर्थ साबित होता है तो र जोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से बाबत ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा
तान करेगी या कराएगी । . इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार अवानक ऐसे अधिक व इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार अवानक ऐसे अधिक व पूरा करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है या मंडल इंजीनियर अपने एकमाब विवेकानुसार उस कार्य को वापस से सकता है और कार्य व्यविव को सींप सकता है। ऐसी देणा में इस प्रकार सौंपे गए कार्य की और बहु उस कार्य के कारे में जो अससे वापस लिया गया है या किसी अध्य व्यविव का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।	ाउसे करने में असमर्थ साबित होता है तो र जोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से बाबत ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा
तान करेगी या कराएगी । इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार जवानक ऐसे अधिक करिति हैं प्राप्त करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है या मंडल इंजीनियर अपने एकमान विवेकानुसार उस कार्य को वापस ले सकता है और किसी अन्य व्यक्ति को सींप सकता है। ऐसी देणा में इस प्रकार सींपे गए कार्य की और वह उस कार्य के बारे में को अससे वापस लिया गया है या किसी अन्य व्यक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा।	िउसे करने में असमर्थ साबित होता है तो र जोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से वाबत ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा त को सौंपा गया है, रेल से किसी प्रतिकर
तान करेगी या कराएगी । इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार जवानक ऐसे अधिक करिति हैं प्राप्त करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है या मंडल इंजीनियर अपने एकमान विवेकानुसार उस कार्य को वापस ले सकता है और किसी अन्य व्यक्ति को सींप सकता है। ऐसी देणा में इस प्रकार सींपे गए कार्य की और वह उस कार्य के बारे में को अससे वापस लिया गया है या किसी अन्य व्यक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा।	ाउसे करने में असमर्थ साबित होता है तो र जोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से बाबत ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा
तान करेगी या कराएगी । इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार जवानक ऐसे अधिक करिति हैं प्राप्त करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है या मंडल इंजीनियर अपने एकमान विवेकानुसार उस कार्य को वापस ले सकता है और किसी अन्य व्यक्ति को सींप सकता है। ऐसी देणा में इस प्रकार सींपे गए कार्य की और वह उस कार्य के बारे में को अससे वापस लिया गया है या किसी अन्य व्यक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा।	िउसे करने में असमर्थ साबित होता है तो र जोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से बाबत ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा त को सौंपा गया है, रेल से किसी प्रतिकर मारत के राष्ट्रपति के लिए,
तान करेगी या कराएगी । इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार अचानक ऐसे अधिक व पूरा करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है या मंडल इंजीनियर अपने एकमान्न विवेकानुसार उस कार्य को वापस ले सकता है और किल किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है। ऐसी दशा में इस प्रकार सौंप गए कार्य की और वह उस कार्य के बारे में जो उससे वापस लिया गया है या किसी अन्य व्यक्ति का दादा करने का हकदार नहीं होगा। .	ि उसे करने में असमर्थ साबित होता है तो र जोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से बाबत ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा त को सौंपा गया है, रेल से किसी प्रतिकर भारत के राष्ट्रपति के लिए, मुख्य इंजोनियर/इंजोनियर
तान करेगी या कराएगी । इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार जवानक ऐसे अधिक व इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार जवानक ऐसे अधिक व पूरा करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है या मंडल अंजीनियर अपने एकमान विवेकानुसार उस कार्य को वापस ले सकता है औ किल्ल किसी जन्य व्यक्तित को सींप सकता है। ऐसी दणा में इस प्रकार सींपे गए कार्य की कोर वह उस कार्य के बारे में जो अससे वापस लिया गया है या किसी अध्य व्यक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा । seer	ि उसे करने में असमर्थ साबित होता है तो र जोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से बाबत ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा त को सौंपा गया है, रेल से किसी प्रतिकर मारत के राष्ट्रपति के लिए, मुख्य इंजीनियर/इंजीनियर मंडल अधीकक
तान करेगी या कराएगी । इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार अवानक ऐसे अधिक व इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार अवानक ऐसे अधिक व पूरा करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है या मंडल इंजीनियर अपने एकमात्र विवेकानुसार उस कार्य को वापस ले सकता है और तिक्त किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है। ऐसी देणा में इस प्रकार सौंपे गए कार्य की सीर वह उस कार्य के बारे में जो अससे वापस लिया गया है या किसी अन्य व्यक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा । seer teer	उसे करने में असमर्थ साबित होता है तो जोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से बाबत ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा त को सौंपा गया है, रेल से किसी प्रतिकर मारत के राष्ट्रपति के लिए, सुख्य इंजोनियर/इंजोनियर मंडल अधीकक उप मुख्य इंजोनियर
तान करेगी या कराएगी । . इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार अचानक ऐसे अधिक व पूरा करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है या मंडल इंजीनियर अपने एकमाब विवेकानुसार उस कार्य को वापस ने सकता है औं किन्न किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है। ऐसी दशा में इस प्रकार सौंपे गए कार्य की कौर वह उस कार्य के बारे में जो अससे वापस निया गया है या किसी अन्य व्यक्ति	ि उसे करने में असमर्थ साबित होता है तो र जोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से बाबत ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा त को सौंपा गया है, रेल से किसी प्रतिकर मारत के राष्ट्रपति के लिए, मुख्य इंजीनियर/इंजीनियर मंडल अधीकक
तान करेगी या कराएगी । इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार अवानक ऐसे अधिक व इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार अवानक ऐसे अधिक व पूरा करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है या मंडल अंजीनियर अपने एकमात्र विवेकानुसार उस कार्य को वापस ले सकता है औ किल्लाकिसी अन्य व्यक्ति को सींप सकता है। ऐसी देणा में इस प्रकार सींपे गए कार्य की कोर वह उस कार्य के बारे में जो अससे वापस लिया गया है या किसी अन्य व्यक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा । seer meer	जिसे करने में असमयं साबित होता है तो जोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से बाबत ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेता त को सौंपा गया है, रेल से किसी प्रतिकर मारत के राष्ट्रपति के लिए, मुख्य इंजीनियर/इंजीनियर मंडल अधीकक जप मुख्य इंजीनियर
तान करेगी या कराएगी । इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार अवानक ऐसे अधिक व इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार अवानक ऐसे अधिक व पूरा करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है या मंडल इंजीनियर अपने एकमाव विवेकानुसार उस कार्य को वापस ले सकता है और तिक्त किसी अन्य व्यक्ति को सींप सकता है। ऐसी देणा में इस प्रकार सींपे गए कार्य की से और वह उस कार्य के बारे में जो अससे वापस लिया गया है या किसी अन्य व्यक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा । seer neer dent neer ठेकेदार के हस्ताक्षर के साक्षी	उसे करने में असमर्थ साबित होता है तो जोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से बाबत ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा त को सौंपा गया है, रेल से किसी प्रतिकर भारत के राष्ट्रपति के लिए, मुख्य इंजीनियर/इंजीनियर मंडल अधीकक उप मुख्य इंजीनियर वंडल इंजीनियर
तान करेगी या कराएगी । इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार अचानक ऐसे अधिक व इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार अचानक ऐसे अधिक व पूरा करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है या मंडल इंजीनियर अपने एकमान विवेकानुसार उस कार्य को वापस ले सकता है और किल्न किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है। ऐसी दृष्णा में इस प्रकार सौंपे गए कार्य के और वह उस कार्य के बारे में जो उससे वापस लिया गया है या किसी अन्य व्यक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा। seer dent neer dent neer ठेकेदार के हस्ताक्षर के साक्षी (साक्षी का नाम, पता और व्यवमाय)	उसे करने में असमर्थ साबित होता है तो जोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से बाबत ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा त को सौंपा गया है, रेल से किसी प्रतिकर भारत के राष्ट्रपति के लिए, मुख्य इंजीनियर/इंजीनियर मंडल अधीकक उप मुख्य इंजीनियर वंडल इंजीनियर
तान करेगी या कराएगी । इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार अचानक ऐसे अधिक व इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार अचानक ऐसे अधिक व पूरा करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है या मंडल इंजीनियर अपने एकमान विवेकानुसार उस कार्य को वापस ले सकता है और किल्न किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है। ऐसी दृष्णा में इस प्रकार सौंपे गए कार्य के और वह उस कार्य के बारे में जो उससे वापस लिया गया है या किसी अन्य व्यक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा। seer dent neer dent neer ठेकेदार के हस्ताक्षर के साक्षी (साक्षी का नाम, पता और व्यवमाय)	उसे करने में असमर्थ साबित होता है तो जोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से बाबत ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा त को सौंपा गया है, रेल से किसी प्रतिकर भारत के राष्ट्रपति के लिए, मुख्य इंजीनियर/इंजीनियर मंडल अधीकक उप मुख्य इंजीनियर वंडल इंजीनियर
तान करेगी या कराएगी । इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, यदि ठेकेदार अचानक ऐसे अधिक व पूरा करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है य मंडल इंजीनियर अपने एकमाब विवेकानुसार उस कार्य को वापस ले सकता है और क्रिक्ट इंजीनियर अपने एकमाब विवेकानुसार उस कार्य को वापस ले सकता है और क्रिक्ट उस कार्य के बारे में जो अससे वापस लिया गया है या किसी अन्य व्यक्ति का दादा करने का हकदार नहीं होगा । हिंदी किन्दीर के हस्ताक्षर के साक्षी	उसे करने में असमर्थ साबित होता है तो जोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से बाबत ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा त को सौंपा गया है, रेल से किसी प्रतिकर भारत के राष्ट्रपति के लिए, मुख्य इंजोनियर/इंजोनियर मंडल अधीकक उप मुख्य इंजोनियर पंडल इंजोनियर
तान करेगी या कराएगी । इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार जवानक ऐसे अधिक व पूरा करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है य मंडल अंजीनियर अपने एकमात्र विवेकानुसार उस कार्य को वापस ने सकता है और किन्न किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है। ऐसी दणा में इस प्रकार सौंप गए कार्य की और वह उस कार्य के बारे में जो इससे वापस निया गया है या किसी अन्य व्यक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा। किन्त किसी उन्य व्यक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा। किन्त किसी अन्य व्यक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा। किन्त किसी अन्य व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय) (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)	उसे करने में असमर्थ साबित होता है तो जोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से बाबत ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा त को सौंपा गया है, रेल से किसी प्रतिकर भारत के राष्ट्रपति के लिए, मुख्य इंजीनियर/इंजीनियर मंडल अधीकक उप मुख्य इंजीनियर ठेकेदार का नाम
तान करेगी या कराएगी । इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार जवानक ऐसे अधिक क पूरा करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है या मंडल इंजीनियर अपने एकमान विवेकानुसार उस कार्य को वापस ले सकता है औ प्राप्त करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है या मंडल इंजीनियर अपने एकमान विवेकानुसार उस कार्य को वापस ले सकता है औ प्राप्त करना बन्दी के बारे में जो अससे वापस लिया गया है या किसी अन्य व्यक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा । हिंदी प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा । हिंदी प्राप्त करने के हस्ताक्षर के साक्षी प्राप्त के हस्ताक्षर के साक्षी प्राप्त करने के हस्ताक्षर के साक्षी	उसे करने में असमर्थ साबित होता है तो जोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से बाबत ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा त को सौंपा गया है, रेल से किसी प्रतिकर भारत के राष्ट्रपति के लिए, मुख्य इंजोनियर/इंजोनियर मंडल अधीकक उप मुख्य इंजोनियर पंडल इंजोनियर
तान करेगी या कराएगी । इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुएभी, यदि ठेकेदार जवानक ऐसे अधिक व पूरा करना बहुत जरूरी है, उन कार्यों को करने में अनुचित रूप से सुस्ती दिखाता है य मंडल अंजीनियर अपने एकमात्र विवेकानुसार उस कार्य को वापस ने सकता है और किन्न किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है। ऐसी दणा में इस प्रकार सौंप गए कार्य की और वह उस कार्य के बारे में जो इससे वापस निया गया है या किसी अन्य व्यक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा। किन्त किसी उन्य व्यक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा। किन्त किसी अन्य व्यक्ति का दावा करने का हकदार नहीं होगा। किन्त किसी अन्य व्यक्ति का नाम, पता और व्यवसाय) (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय) (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)	उसे करने में असमर्थ साबित होता है तो जोन के भीतर का कोई कार्य ठेकेदार से बाबत ठेकेदार कोई दावा नहीं कर सकेगा त को सौंपा गया है, रेल से किसी प्रतिकर भारत के राष्ट्रपति के लिए, मुख्य इंजीनियर/इंजीनियर मंडल अधीकक उप मुख्य इंजीनियर ठेकेदार का नाम

कम सं० अनुमानित माला हार्यकी मर्दे इकाई दर्रे अकों और शब्दों में अकों और शब्दों में बंकों और शब्दों में व्यक्तों और शब्दों में देखें हैं विश्वास कर किया है कि स्वास के किया है किया है कि स्वास के किया है कि स्वास के किया है कि स्वास के किया है किया है कि स्वास के कि स्वास के किया है कि स्वास के किया है कि स्वास के किया है क	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		ाशनकाल्याचावदादाजाः 	नी है) अनुसूची	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	कम सं०	अनुमानित मात्रा	हायं की मदें	इकाई	दरें
1 2 3 4 5		अंकों और शब्दों में		अंकों और मब्दों में	वंकों बौर शब्द
	I	2	3	4	5

प्ररूप सा॰ वि॰ नि॰ 21 (नियम 181 देखिए) प्रतिभू-वन्धपत्र का प्ररूप

• •	ਸਤ ਸਭ ਕੀ ਭਾਰ ਦੀ ਤਿ. ਹੈ
• •	यह सब को ज्ञात हो कि मैं
eld.	जोवा पुत्र औरं
1a11	जिले
	ंके रूप में नियोजित हूं (जिसे इसमें
en-	आगे ''प्रतिभू'' कहा गया है), भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे ''सरकार'' कहा गया है, और इसके अन्तर्गत जनके उत्तरवर्ती
ent	और समनुदेशिती भी हैं) के प्रति, उसमें आगे उल्लिखित ब्याज सहित
DIS	६०रुपए) की रकम तथा अटर्नी
	और मुबक्किल के बीच के सब खर्ची और उन सब प्रभारों और व्ययों का, जो सरकार को करने या उठाने पड़े अथवा करने या
	उठाने पड़े हों, सरकार को संदाय करने के लिए वचनबद्ध हूं और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हूं। यह संदाय पूर्णतः और सही रूप में करने
	के दिया में आपोर को प्राप्त करने करने करने करने करने करने के दिया मुंगात और सहा रूप में करने
	के लिए मैं अपने को, अपने पारिसीं, निष्पादकों, प्रशासकों और प्रतिनिधियों को इस बिलेख द्वारा दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता हूं।
	इसके साक्ष्यस्वरूप में आज तारीख
• • •	. करता हूं ।
• • •	
wn	सरकार नेको जोको जोको
ıly)	
ken '	पुत्र औरका निवासी
1la-	है और इस समय के रूप में नियोजित
(2) ain	है (जिसे इसमें आर्ये ''उधार लेने वाला'' कहा गया है) उघार लेने बाले की प्रार्थना पर
ad-	(प्रयोजन) के लिए
u.u.	''
-	का अग्रिम देने का भारार किया है। उधार लेने वाले ने उन्त रकम का साधारण वित्तीय नियम, 1963 के नियम 198 और उस
	नियम के अधीन केन्द्रीय सरकार के विनिण्चय (1) और (2) के अधीन विहित्त दर और रीति से अग्निम दिए जाने के दिन से
nce	ं उस पर लगाए गए ब्याज या उस रकम के उतने भाग पर, जितना भाग उस समय देय हो, किन्तु जिसका संदाय न किया गया
ten.	हो, सरकारी उद्यारों के लिए नियत और चालू सरकारी दरों से लगाए गए व्याज सहित
	किस्तों में लौटाने का यचनबंध किया है।
-1.11	
vhile , or	इस बात के प्रतिफलस्वरूप कि सरकार उधार लेने वाने को पूर्वोक्त अग्रिम देने के लिए सहमत हो गई है प्रतिभू ने उपर्यक्त
ıstal	बन्धपत्न, नीचे लिखी शर्तों पर निष्पादित करने का करार किया है ।
time	
day	जक्त बन्घपत्न की कर्त यह है कि यदि उधार लेने वाला
	में नियोजित रहने के दौरान, सरकार को देय पूर्वीक्त
iuly	के अग्रिम की रकम का उस पर पूर्वोक्त रीति से लगाए गए ब्याज सहित या उस <u>रकम</u> के उतने भाग पर जितना उस समय देय हो
	किन्तु जिसका संदाय नहीं किया गया हो, सरकारी उधारों के लिए नियत और चाल सरकारी दरों मे अग्रिम की तारीख से
e to-	उक्त रकम का सम्यक् रूप से संदाय किए जाने तक पूर्वोक्त रीति से लगाए गए ब्याज सहित सम्यक् और नियमित रूप से किस्तों
	में संदाय करता है या कराता है तो यह बन्धपत्न शून्य हो जाएगा अन्यथा यह पूर्णतः प्रकृत और बलशील रहेगा ।
nain	
f the	. किन्तु यदि उद्यार लेने वाले की मृत्यु हो जाती है या दिवालिया हो जाता है या किसी समय सरकार की सेवा में नहीं
ırety	ै रहता है तो
1	का उक्त पुरामुलधन या उसका इतना मार्ग जिसका सदाय उस समय तक नहीं किया गया है तथा उक्त मूल धन पर देय
	च्याज, जो अग्रिम की तारीख से पूर्वोक्त रीति से लगाया जाएगा, सरकार को तुरन्त शोध्य और संदेय हो जाएगा और इस बन्धपत्र
ısion	के आधार पर प्रतिभ से एक किस्त में बसूल किया जा सकेगा ।
t the	मा लालार पर भाषां में में होता संदर्भ से नर्में वा समाना ।
· the	
	प्रतिभू, ने जो बाध्यता स्वीकार की है वह सरकार द्वारा, समय बढ़ाए जाने या उपन उधार लेने वाले के प्रति अन्य उदारता
	बस्ते जाने के कारण न तो उत्मोचित होनी और न किसी प्रकार प्रभावित होगी, चाहे ऐसा प्रतिभू की जानकारी में या उसकी
	सहमित से किया गया हो या नहीं।
	4—25 OLLC/ND/83

 . `	सरकार ने यह स्वीकार कर निया है कि इस दस्तावेज प्रभाज तारीख	,
 	· <u> </u>	(प्रतिभू के हस्ताक्षर)
 ·	(1)(साक्षी का (साक्षी के	नाम, पता और व्यवसाय) पदनामहस्ताक्षर) कार्याक्षर
	(2)(साक्षी का (साक्षी के	नाम, पता और व्यवसाय)
	की उपस्थिति में हस्काक्षर किए और परिदान किया । मैं,भारत के र	

...

प्ररूप सा॰ वि॰ नि॰ 28

	[नियम 265 के नीचे भारत सरकार का विनिश्चय (2) देखिए]
	यह सब को जात हो कि हम (1)**
	(जिसे इसमें आगे 'बाघ्यताघारी' कहा गया है) और (2) †
called	(जिसे इसमें आगे 'प्रतिभू' कहा गया है) भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे 'सरकार' कहा गया है) के प्रति†† रु० की
≥d the	राशि के लिए बचनबद्ध और पूर्णतः तथा दृढ़तापूर्वक आबद्ध हैं। इस रकम का संदाय पूर्णतः और सही रूप में करते के लिए हम
pay-	स्वयं को, अपने-अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों, विधिक प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों को संयुक्ततः और पृथक्तः आबद्ध
ective	करते हैं । सरकार ने मृतक *
	तक उनकी थात्रा के लिए और उक्त मृतक के निजी सामान को \$
ereby	: तक ने जाने के लिए याता व्यय के अग्निम मद्धे ††
	हु० की रकम का (जिस रकम की प्राप्ति बाध्यताधारी इसके द्वारा अभिस्वीकार करता है) बाध्यताधारी को संदाय कर दिया है ।
ley to	. उक्त बन्धपत की भर्त यह है कि यदि उक्त बाब्यलाधारी पूर्वोक्त अग्रिम के उचित व्यय का हिसाब, जब कूट्स्ब एक ही
e said	दृद्ध में यात्रा करता है तो कुटुम्ब द्वारा \$
	के भोतर, या जब कुटुम्ब एक से अधिक दलों में याता करता है तो अन्तिम दल द्वारा याता पूरी करते के एक मास के भीतर
1	या इस अग्रिम की प्राप्ति की तारीख के पश्वात् छह मास को अवधि की समाप्ति के एक मास भीतर, जो भी पहले हो, सरकार को
shall	समाधानप्रदरूप में दे देता है, तो यह बंधपत्र शून्य और निष्प्रभाव हो जएगा, अन्यथा यह बंधपत्र पूर्णतः प्रवृत्त, प्रभावी और
en the	्बलशील रहेगा । यह विलेख इस बात का भी साक्षी है कि
batch.	(क) भारत के राष्ट्रपति या किसी अधिकारी की ओर से बाध्यताधारी के प्रति किसी प्रविरति, समय बढ़ाए जाने या
chever	उसके प्रति उदारता बरते जाने के कारण उक्त प्रतिभू, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि और समन्देशिती
id and	उन्त बंधपत्र के अधीन अपने दायित्व से किसी तरह उन्मोचित नहीं होंगे चाहे ऐसा प्रतिमुकी जानकारी या सहमित से किया
vitness	्रें गथा हो या नहीं ।
	्ष) इस बंघपत्न पर स्टास्प गुल्क सरकर देगी ।
or any	्ख) इस यवन्त्र पर स्थान पुरस संस्कृत समान
s from	वित्र विष्यवाचारा
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	2,
	की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया ।
	उक्त प्रतिमृने
	³⁰ 1
	2
	की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया ।

**उस व्यक्ति का नाम लिखिए जिसे अग्रिम दिया गया है। प्रतिभूका नाम लिखिए। ††दिए गए अग्निम की रकम लिखिए । *मृतक सरकारी सेवक का नाम लिखिए ।

esident ρſ

\$सरकारी सेवक का वह सामान्य निवास स्थान लिखिए, जहां तक नियमों के अनुसार याता अनुजय है।

......

को उपस्थिति में, भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूं।

प्ररूप सा० वि० नि० 30

(नियम 276 के नीचे भारत सरकार का विनिश्चय देखिए)

नकद प्रतिभूति बन्धपत्र का प्ररूप

) as	यह सब को ज्ञात हो कि मैं,
)	भारत के राष्ट्रपति, उनके उत्तरवितयों और समनुदेशितियों (जिन्हें इसमें आगे 'सरकार' वहा गया है) के प्रति
tors	हo (कंपए) की रकम का सरकार को संदाय करने के लिए बचनबद्ध और
	आबद्ध हुं। इसका सदाय पूर्णत: और सही रूप में किए जाने के लिए में स्वयं को, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और विधिक
	प्रतिनिधियों को आबद्ध करता हूं । तारीखको इस पर हस्ताक्षर किए गए ।
.day	2. उक्त आबद्ध व्यक्तिको तारीखकोको
	. कार्यालय में और वह इस समय उसी पद पर
	काम कर रहा है। उक्त ऐसे पद पर होने के परिणामस्यरूप
by .(here:	
keep	और उस सब सम्पत्ति और धन के साथ, जो उसके हाथ में या कब्जे में या निवंत्रण के अधीन आती है अपने संव्यवहार का सही
to his	और यथार्य लेखा रखने और देने के लिए आबद्ध है। ये लेखा ऐसे प्ररूप और रीति में रखे जाएंगे जो सम्यक्रूप से नियत प्राधिकारी
from	द्वारा समय-समय पर विहित की जाए । वह ऐसी विवरणियां, लेखा और अन्य दस्तावेजें तैयार करते और देने के लिए भी आबद्ध
turns,	है जिनको समय-समय पर उससे अपेक्षा की जाए।
1	
1	3. उक्त वे, साधारण वित्तीय नियम, 1963 के नियम 270
	के अनुसरण में उक्त नकद
••••••••	अपेक्षित है और जिस पर उसे किसी समय नियुक्त किया जाए, कर्तव्यों के और ऐसे अन्य कर्तव्यों के, जिनकी अपेक्षा पूर्वीक्त
	किसी पद पर रहने के दौरान उससे की जाए, सम्यक् रूप से और निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए और ऐसी सब हानि, स्नति;
perfor-	नक्सान, खर्चे या व्ययों के प्रति, जो उक्तके या उसके अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या
and of h may	किन्हीं व्यक्तियों के या उन व्यक्तियों के जिनके लिए वह उन्तरदायी है अवचार, उपेक्षा, असावधानी या किसी अन्य कार्य या लोप
mnify-	के कारण किसी रूप में सरकार को किसी प्रकार उठाने पड़े या संदत्त करने पड़ें, सरकार को प्रतिभूत और क्षतिपृश्वि करने के
in any	प्रयोजन के लिए प्रतिभृति के रूप मेंको परिदान कर दिए हैं और उसके पास जमा कर
ison of	दिए हैं।
son or	
1	4. उक्त : की रकम का उपयुक्त बंघपत्र
. 9	निष्पादित किया है। उसमें शर्त यह है कि उक्त, उक्त पद के और उस पद से संबंधित
entered	अन्य कर्तव्यों का या ऐसे कर्तव्यों का जिनकी उससे विविध्यं क अपेक्षा की जाए, सम्यक् रूप से पालन करेगा और उक्त
ance by	के और पूर्वोक्त सब और हर अन्य व्यक्ति और व्यक्तियों के कार्यों या व्यतिकर्मों
of other	से या उनके कारण हुई हानि के लिए सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा।.
Govern-	in a single series and the first of the series
	5. इस बंघपत की मर्तयह भी है कि यदि उक्त
	ने पूर्वाक्त रूप म
3	सर्वदा सम्यक् रूप से पालन और निर्वहन किया है और यदि वह, उक्त पद या किसी ऐसे अन्य पद पर रहने के दौरान जिसके
as	लिए प्रतिभृति अपेक्षित है और जिस पर उसे नियुक्त किया जाए या जिस पर वह कार्य करे, उनके सब और प्रत्येक कर्तव्य का
he shall	लिए आपनुष्य जनाना है परिवास करते हैं। और ऐसे अन्य कर्तव्यों का, जिनकी पूर्वोक्त किसी पद पर रहने के दौरान उससे समय-समय पर अपेक्षा की जाए, सर्वदा सम्यक्
which he	हप से पालन और निवंहन करेगा और
r duties	धन के लिए प्रतिभृतियों को, जिनका सरकार को संदाय या परिदान किया जाना हो, और जो ऐसे पद के कारण उसके कब्जे
aid, and	में या नियंत्रण में आएं, सम्यक् रूप से संदाय करेगा और उस सब धन, कागजपत्र और अन्य सम्पत्ति का, जो उक्त पद के कारण
securities	जसके कब्जे में या नियंत्रण में आए सम्यक् रूप से लेखा देगा और उनका परिदान करेगा तथा यदि उक्त
r control	े उसके
nd other	ा कारिका क्षित्रहरू अभासिक यो विद्याल अतिमान उपर
the said sentatives	कर मनत की का रकम
accounts	्र के के स्वाप्त को जिस्का कोरी काशिया और उसके विकास के लायालय या अतिस

tion and ury, , at or ent, this	ज्ञात निवासस्थान पर छोड़ दी जाए, चौबोस घंटे के मीतर सरकार को संदाय करेगा या कराएगा और इसके अतिरिक्त वह सरकार को ऐसी सब और हर होनि, क्षति, नृकसान अनुयोजनों, वादों, कार्यवाहियों, खर्चों, प्रमारों या व्ययों की भी जो इसके पण्चात् किसी समय या किन्हीं समयों पर पूर्वोंकत किसी पद या किन्हीं पर उक्त
the as y as ime eof,	इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है और घोषणा को जाती है कि पूर्वोक्त रूप में परिदान और जमा की गई
.or	•
ffice I by ited intry it or aths case any tent son the	6. यह भी करार किया जाता है कि यदि उक्त
be ond sgal the tate all	यदि इस बंधपत्र की शर्तों में से किसी शर्त के भंग होने का पता उक्त प्रतिभूति के लौटाए जाने के पण्चात् चलता है तो <u>उक्त</u> प्रतिभूति के किसी समय लौटाए जाने से यह नहीं समझा जाएगा कि इस बंधपत्र पर या उसके अधीन सरकार द्वारा उक्त या उसको मृत्यु के पश्चात् उसके बारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों या विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति प्रभावित हुई है या उस पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ा है, और यथास्थिति उक्त या उसकी सम्पदा का उत्तरदायित्व सदैव बना रहेगा और सरकार की किसी भी समय पूर्वोक्त सब हानि या नुकसान के लिए पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति को जाएगी।
be the or oss the	7. इसकी किसा भी बात से और इसके द्वारा दी गई प्रतिभृति से यह नहीं समझा जाएगा कि वह

er sum

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

द्वारा आवश्यक समक्षा जाए, मांग का जान पर सरकार का सदाय करना आर सरकार का यह हक हागा कि वह पूर्वाक्त रूप में संदेय अतिरिक्त रकम को किसी भी ऐसी रीति से वसूल कर ले जो अनुवात हो ।
उक्त आबद्ध व्यक्ति ने
1 (साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
·····(साक्षी के हस्ताक्षर) को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर सेंंने, जो इस निमित्त उनके द्वारा निर्दिष्ट या प्राधिकृत व्यक्ति हैं,
(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय) (साक्षी के हस्ताक्षर)

प्ररूप सा० वि० नि० 31

(नियम 276 के नीचे भारत सरकार का विनिश्चय टेखिए)

प्रतिभूति बन्धपत्र का प्ररूप

}	(प्रतिभूति के रूप में निक्षिप्त विश्वस्तता बंधपत्र)
1	यह सब को ज्ञात हो कि मैं, भारत के राष्ट्रपति, उनके उत्तरवर्तियों और समनुदेखितियों (जिन्हें इसमें आगे 'सरकार' कहा गया हैं) के प्रति
e gg / ll r e dl	
e dd) ff dd :- ss ma .	3. उक्त
d e	4. उक्त
e dd e t · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5. इस बंधपत्न की शर्त यह भी है कि यदि उनत

keep	And the second of the state of
osts,	और/या खयानत की रकम की मांग की जाने के प्रश्वात् जो लिखित होनी चाहिए और उक्त के कार्यालय के अंतिम ज्ञात निवास-स्थान पर छोड़ी जानी चाहिए, चौबीस धंटे के भीतर सरकार को संदाय करेगा या कराएगा और
æor	
fore-	इसके अतिरिक्त वह सरकार की ऐसी सब और हर हानि, क्षति, नुकसान, अनुयोजनों, बादों, कार्यवाहियों, खर्ची, व्यय या प्रभारों को भी
ason	जो इसके पत्रचात् किसी समय या किन्हीं समयों पर पूर्वीकत किसी पद या किन्हीं पदों पर उक्ब
ince,	की सेवा या नौकरी के दौरान उक्त
'Sons	व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों के या उन व्यक्तियों के जिनके लिए वह उत्तरदायी है किसी कार्य, गदन, खयानत, कुप्रबंध, उपेक्षा,
1d of	असफलता, अवचार, व्यतिक्रम, अवज्ञा, लोप या दिवालिएपन के कारण सरकार को, यथास्थिति, हो, उसके द्वारा उपगत हो, उसे
	उठाना पड़े, उस पर लाया जाए, चलाया जाए, उसके विरुद्ध प्रारंभ किया जाए या उसके द्वारा संदंख किए जाएं सर्देव क्षतिपूर्ति
ereto	करेगा, उनसे उसे बचाएगा और उनसे उसे हानियुक्त रखेगा, तो यह बन्धपत्र शून्य और निष्प्रभाव हो जाएगा अन्यथा यह पूर्णबया
and	प्रवृत्त होगा और रहेगा ।
addi-	6. इसके पक्षकारों द्वारा यह घोषणा और उनके बीच यह करार किया जाता है कि पूर्वोक्त रूप में परिदान और जमा
other	
btain	किया गया उक्त विश्वस्तवा बंधपन सं॰
said	में क्षतिपूर्ति और अन्य प्रयोजनों के लिए, सरकार को दिए गए उक्त बंधपत के अलावा भाग के और अतिरिक्त प्रतिमूति के
me in	ह्रप में और उसके लिए, उस समय उक्त अधिकारी या सरकार के नियंत्रण में होगा और रहेगा। सरकार को या उस निमित्त
	सम्यक्रम से प्राधिकृत अधिकारी को इस बात की पूर्ण शक्ति होगी कि वह उक्त विश्वस्त्रता बंधपत पर या उसके फलस्वरूप
said	वसूल या प्राप्त की जा सकते वाली रक्षम या रकमों को या उनके पर्याप्त भाग का संदाय या उस बंबपन्न की सब प्रसुविधाएं और
force	फायदे प्राप्त करे और उन्हें पूर्वोक्त रूप में सरकार की क्षतिपूर्ति करने में और उसके लिए लगाए ।
fthe	7. इसके पक्षकारों द्वारा यह पोषणा की जाती है और उनके बीच यह करार भी किया जाता है कि उक्त
	7. इसके पक्षकी रिद्वारी यह पावणा का जाता है जान वाच वह करार मा जिल्हा जाता है। के उपन
shall	. उक्त कम्पनी द्वारा दिए गए उक्त विश्वस्तता अन्धपत्न के प्रीमियम का, जैसे-जैसे ये शोध्य होते जाएं संदाय करके और उक्त कम्पनी
under	के उससे संबंधित नियमों का पालन करके, पूर्णतः प्रवृत्त रखेगा ।
shall	 यदि इस वन्धपत की भर्तों में से किसी शर्त के भग ाने का पता उक्त विश्वस्तता बंधपत के एड् किए जाने या उसका
l	. समय बीत जाने के बाद चलता है तो उक्त विश्वस्तता वंघपत के किसी समय रह कर देने या उसका समय बीत जाने से यह
ist all	नहीं समझा जाएगा कि उक्त बंघपत्र पर या उसके अधीन सरकार द्वारा उक्त के विरुद्ध कार्रवाई
	नहां समझा जाएगा कि उत्तर प्राप्त कि निर्माण करने का अधिकार प्रभावित हुआ है या उस पर प्रतिकृत प्रभाव पड़ा है, किन्तु उक्त
shall	करने की आर्थकार प्रभावित हुआ है या उस पर नाजकूत नेपाल पुरा है। उनिष्णु उपयोग्यास सदैव बना रहेगा और सरकार की पूर्वोक्त सब हानि या नुकक्षान के लिए पूर्ण रूप से सदैव क्षेतिपूर्ति की जाएगी।
resaid	3
d that	9. इसकी और इस प्रकार जमा किए गए विश्वस्तता बंघपत्न की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह
tained	ह० की उक्त रक्तम या उसके किसो भाग या किन्हीं भागों के समगहरण के लिए पूर्वोक्त विषयों
pay to	के उन्हों जन्मके दायित्व को सीमित करती है। यदि उक्त रकम पूर्वोक्त विषयों या
essary	🧎 😅 में के किसी के बारे में उनके द्वारा उठाई गई किसी हानि या नुकसान के लिए सरकार की पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करने के
afore-	िक्या वर्षणीयत हैं तो उक्तयथापूर्वोक्त हानि या नुकसान की पूर्ति करने के लिए
in any	ह० के उक्त विश्वस्तता वंधपत के अतिरिक्त ऐसा अतिरिक्त राशि जो
	द्वारा आवश्यक समझी जाए, मांग करने पर सरकार को संदत्त करेगा और सरकार को यह हक होगा कि वह पूर्वोक्त रूप में
	संदेय ऐसी अतिरिक्त राशि को अपनी इच्छानुसार किसी भी रीति से बहुल कर ले।
ture	सद्य एसा जाताराज जान में राज र र र र
	उन्त आबद्ध व्यक्ति ने हस्ताक्षर
• • • • • •	
	1
	की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।
	2. भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से
	2. भारत के राष्ट्रभाव के कार करके कर है के का विकास सकते होता विस्तित में पाधिकत सकति हैं
	श्री
	की जपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

प्ररूप सा० वि० नि० 32

(नियम 157 के नीचे टिप्पण और नियम 158 के नीचे भारत सरकार का विनिश्चय देखिए) लिखित वचनबन्ध का प्ररूप

7	पूरी तौर से केंद्रीय सरकार के स्वामित्व के अधीन उपकम/निगम द्वारा उस समय जब उसे उधार मंजूर किया जाए निष्पादित
е Сец-	किए जाने वाले लिखित वचनवन्य का प्ररूप।
4	
	भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913/कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कंपनी, (कम्पनी का नाम)
lay of	
····by	के अधिनियम सं॰ और अभिनाम से निगमित
its re-	निकाय जिसका कार्यालय
)	के अधीन र्राजस्ट्रीकृत सोसाइटी
regis-	है, (जिसे इसमें आगे 'कम्पनी/निगम' कहा गया है और इसके अंतर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) द्वारा भारत के
	्राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे 'राप्ट्रपति' कहा गया है, और इसके अंतर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) को तारीख
ssigns)	को किए गए लिखित वचनबन्ध का ज्ञापन ।
cessors	
	्रिः उक्त कंपनी/निगम आदि नेपयों)
	के उद्यार के लिए राष्ट्रपति को आवेदन किया है ।
- 1	ुः राष्ट्रपति ने उक्त कंपनी/नियम आदि को, भारत सरकार के
1	ं (ं
• • • • • •	(संलग्न) में विहित निबंधनों और शर्तों पर
terms	्रकी रकम उद्यार देना स्वीकार कर लिया है ।
	जक्त कंपनी/निगम आदि द्वारा यह करार किया जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा उसे उधार दिए गए
4	रु० (केवल
	अरैर शर्तों के अनुसार इस बार्त के लिए सहमत है कि वह :
of the	6 C-VV
terms	(i) उद्यार वार्षिक समान किस्तों में लौटाएगा और प्रथम किस्त उद्यार की
	प्राप्ति की तारीख सेवर्ष बाद प्रतिसंदेय होगी ;
	(ii) प्रत्येक वर्ष लौटाए जाने वाले मूलघन पर
lments,	ब्याज का संदाय करेगा ; ओर
sary of	
	(iii) ऊपर (i) के अनुसार उद्यार की किस्त और/या ऊपर (ii) के अनुसार व्याज का संदाय करने में व्यातिकम
incipal	
	शास्तिक दर पर व्याज का संदाय करेगा ।
above	
%	यह करार और घोषणा भी की जाती है कि उक्त कंपनी/नियम आदि, राष्ट्रपति की लिखित सहमति के बिना, अपनी भूमि
, ,	या मवनों या अन्य संरचनाओं के किसी भाग को और/या ऐसे संयंत्र, मशीनरी या किन्हीं अन्य नियत आस्तियों को जिनका
	स्वामी वह है, विल्लंगमप्रस्त या उसका अन्य संक्रमण नहीं करेगा, उन पर आडमान के रूपे में कोई धारणाधिकार या भार सजित
oration	नहीं करेगा, उन्हें बंधक नहीं रखेगा, उन्हें किसी भी प्रकार से गिरवी नहीं रखेगा, और न उन पर किसी भी प्रकार का विल्लंगम
ortgage	स्जित करेगा ।
ny kind y other	, 1174 1777
i orner	. यह भी करार किया जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा पूर्वोक्त उधार दी गई उक्त मूल रक्तम उक्त कम्पनी/निगम आदि द्वारा
	केवल उस प्रयोजन या उन प्रयोजनों के लिए, जिसके/जिनके लिए पूर्वीक्त रकम मंजूर की गई थी, उपयोग में लाई जाएगी और
oresaid	विसी भी अध्य प्रयोजन के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाएगा।
oresaid.	5—25 OLLC/ND/83

day

इस	ते सा	ध्यस्य क्ष	1 वह	विनेख	ऊपर	লিন্ত্ৰী	तारीख	कोउ	क्त कंपनी	/निगम	ने निष्प	।दिल किय	त ।			
<i>:</i> .					<i>.</i> .		कंपनी/ि	नगम अ	रदिके लि	ए ओर	उसकी ओ	रसेकी.			<i></i>	
							(नाम	न और	पदनाम)				(हस्ता	क्षर)इंपनी	/निगम	की
मुद्रा	ने															
1.	٠							· · · ·								
2.								.								
की	उपि	यति में	हरद	ाक्द (कस् ।											

प्ररूप सा० वि० नि० 24 (नियम 207 देखिए)

i	माटर गाड़ा के लिए बन्धक-पत्र का प्ररूप—प्राराम्मक श्राप्रम
.one	यह करार एक पक्षकार के रूप में(जिसे इसमें असे 'उधार लेन वाला'
	क्हीं गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, प्रशासक, निष्पादक और विधिक प्रतिनिधि भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में
rs &	िभारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे 'राष्ट्रपति' कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवती और समनुदेशिति भी हैं) के
ient"	बीच तारीख — को किया गया ।
ower.	ं उधार लेने बाले ने एक मोटर गाड़ी खरीदने के लिए और एक (उस) मोटर गाड़ी की बावत सीमा शुल्क का संदाय करने के
iase a	
Rules	िलिए केन्द्रीय सरकार के साधारण वित्तीय नियम, 1963 के (जिसे इसमें आगे 'उबत नियम' कहा गया है जिसके अन्तर्गत उस समय
to as	प्रवृत्त उसके कोई संशोधन या परिवर्धन भी है) नियम 199 से 211 तक के निवन्धनों पर ———————————————————————————————————
time	्रिआप्रिम के लिए आवेदन किया है और वह मंजूर कर दिया गया है और उधार लेने वाले को उक्त उधार जिन मर्तों पर दिया
anted	िगया है/दिया गया था उनमें से एक यह है कि उधार लेने वाला उसे उधार दी गई रकम के लिए प्रतिभृति के रूप में उक्त
Pre-	मोटर गाड़ी राष्ट्रपति को आडमान (गिरवी) रखेगा और उधार लेने वाले ने पूर्वोक्त रूप में दिए गए उधार की रकम से या
hased	ें उसके भाग से मोटर गाड़ी जिसकी विशिष्टियां इसके नीचे लिखी अनुसूची में दी गई हैं, खरीद ली है और/या सीमा शुल्क
parti-	दे दिया है।
	E alan 6
	👺 यह करार इस बात का साक्षी है कि इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त प्रतिकल के लिए उबार लेने वाला यह प्रसंविदा करता
con-	है कि वह पूर्वोक्त हु० की रकम या उसके उस भाग का जो इस विशेख की तारीख
• • • • • •	तक शोष रह जाता है हथए की समान किस्तों में प्रत्येक मास के प्रथम दिन संदाय करेगा
equal	िकार समय देव और श्रोष राशि पर उक्त नियम के अनुसार लगाया गया क्याज देगा। उद्यार लेने वाला इस बात के लिए
est on	
3 and	सहमत है कि ऐसी किस्तें उक्त नियम द्वारा उपबंधित रीति में उसके वेतन से मासिक कटौतियां करके वसूल की जा सकेगी
salary	ुजयबायदिवह बाप्हमाह से अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्त हो कर भारत से ताहर चला जाता है या भारत से बाहर
out of	किसी पद पर उसका स्थानान्तरण हो जाता है और ऐसा होने पर सक्षम प्राधिकारी ने अग्रिम की शेष रकम और/या पूर्वीक्त व्याज
ompe-	20 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

भारत में रुपए में लौटाने की इजाजत दे दी है तो उधार लेने वाला करार करता है कि वह राष्ट्रपति को ऐसी वकाया रकम का eदाय उस लेखा अधिकारी के जिस की नहीं में पूर्वोक्त उधार का लेखा रखा गया है, उसके पक्ष में लिखे गए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्रत्येक मास की पन्द्रह तारीख तक धन भेज कर करेगा और उक्त करार के हो अनुसरण में उधार लेने वाला मोटर गाडी का, जिसकी विभिष्टियां नीचे लिखी अनुसूची में दी गई हैं, उक्त अग्रिम औ उसर पर व्याज के लिए प्रतिभृति के रूप में उक्त नियम की अपेक्षानुसार राष्ट्रपति को समनुदेशन और अन्तरण करता है।

afore-

to the

of the

nce of

cle the ivance

ice of e pro-

respect

Motor

instal

s after

ice or

Vehicle all take

incipal

afore-

esident

of the

e may

out of

e therer made

my to

ER that

उद्यार लेने बाला यह करार करता है और यह घोषणा करता है कि उसने उन्त मोटर गाड़ी की पूरी कीमत और/या पूरा संदेय सीमा शुरुक दे दिया है और वह पूर्ण रूप से उसकी सम्पत्ति है और उसने उसे गिरवी नहीं रख। है और जब तक उबते अग्रिम के संबंध में कोई धन-राशि राष्ट्रपति को संदेय रहती है तब तक वह उक्त मोटर गाड़ी को न तों बेचेगा, न गिरवी रखेगा और न उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को छोड़ेगा । यह भी करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि मृलधन की उक्त किस्तों में से कोई किस्त या व्याज देय हो जाने के पश्चात् दस दिन के भीतर पूर्वोवत रूप में नहीं दे दिया जाता है या वसूल नहीं कर लिया जाता है या यदि उधार लेने वाले की किसी समय मृत्यु हो जाती है, या वह सरकारी सेवा में नहीं रहता है अथवा यदि उद्यार लेने बाला उक्त मोटर गाड़ी को बेच देता है या गिरबी रख देता है या उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को छोड़ देता है अथवा वह दिवालिया हो जाता है या अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता या ठहराव कर लेता है अथवा यदि कोई व्यक्ति उधार लेने वाले के खिलाफ किसी डिकी या निर्णय के निष्पादन में कार्यवाही आरम्भ करता है तो उक्त मूलधन की पूरी रकम जो उस समय देय हो किन्सु जिसका संदाय न किया गया हो, पूर्वोक्त रूप में लगाए गए व्याज सहित तुरन्त संदेय हो जाएगी जार इसके द्वारा यह करार किया जाता है और धोषणा की जाती है कि इसमें इसके पूर्व उल्लिखित घटनाओं में से किसी के होने पर राष्ट्रपति उक्त मोटर गाड़ी का अभिग्रहण कर सकेंगे और उस का कब्जा ले सकेंगे तथा या तो उसको हटाए बिना उस पर कब्जा रख सकेंगे या उसे हटा सकेंगे और सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राइवेट संविदा द्वारा उसे बेच सकेंगे तथा वेचने से प्राप्त रकम में से उक्त उद्यार का उस समय शेष भाग और पूर्वोक्त रूप में लगाया गया और देय कोई ब्याज और इसके अधीन अपने अधिकारों को बनाए रखने, उनकी रक्षा करने या उन्हें प्राप्त करने में उचित रूप से किए गए सब खर्च, प्रभार, व्यय और संदाय अपने पास रख सकेंगे तथा यदि कोई रकम शेष रहती है तो उसे उधारी लेने वाले, उसके निष्पादकों, प्रशासकों या वैयक्तिक प्रतिनिधियों को दे देंगे, परस्तु उक्त मोटर गाड़ी का कब्जा लेने या उसको वेचने की पूर्वोक्त शक्ति सें, उधार लेने वाले पर या उसके वैयक्तिक प्रतिनिधियों पर उक्त शेष रकम और ब्याज के लिए, अथवा यदि मोटर गाड़ी बेच दी जाती है तो उत्तनी रकम के लिए जिल्ली

judíď

et sal

nsure y dis enera Moto

lent i

ie sai

to th

दुन से प्राप्त गुढ आगम देय रकम से कम पड़े राष्ट्रपति के बाद लाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तथा मुद्द लेने बाला यह भी करार करता है कि जब तक कोई धनराणि राष्ट्रपति को देय हो और वाकी रहे तब तक उधार लेने तहीं उकत मोटर गाड़ी का अग्नि, चोरी या दुधंटना से या हड़ताल, बलवे और लोक-शान्ति के किसी प्रकार भंग होने से हानि तुनुक्सान के लिए किसी बीमा कम्पनी में, जो संबंधित महालेखाकार द्वारा अनुमोदित की जाए, बीमा कराएगा और उसे चालू दूर्या तथा महालेखाकार को समाधानप्रद रूप में इस बाद का साक्ष्य पेश करेगा कि उस मोटर बीमा कम्पनी को, जिसमें उनत दिन्द गाड़ी का बीमा कराया गया है यह सूचना मिल चुकी है कि उस पोलिसी में राष्ट्रपति हितबह हैं। उधार लेने बाला दुनी करार करता है कि वह मोटर गाड़ी को नष्ट या क्षतिप्रस्त नहीं करने देगा या होने देगा अथवा उसमें उचित टूट-कूट से विक टूट-कूट नहीं होने देगा तथा यदि उबत मोटर गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचता है या उसके साथ कोई दुषंटना होती है सिद्धार लेने बाला उसकी तुरन्त मरम्मत कराएगा और उसे ठीक करा लेगा।

- 4			
(Application)		अनुसूची	
-	र मोटर गाड़ी का वर्णन	20	
-	गाडी का नाम		•••••••
• • •			
3	वर्णन		
	सिलेंडरों की संख्या.		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	इंजिन सं०		
• • •	चैतिस स०		
	लागत		*****************
• • • •	राजे मध्यप्रकार वंशक करने कार्च व्यक्त	वेदे जाने ने और स्वयन के ल	
	क्षित्रहरू । इसके साद्यस्थल विशेष करने वास/उदार क्षित्रहरू इसके क्षेत्रकार / कार्याच्या के की	पामपाल मजार मारत का र	ाष्ट्रपति के लिए तथा उनकी और से
- 1	क्ष्मचालय/कायालय के श्रा		. ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
••••	चुंक्त		
dent	ने		*******************
-			(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)
	(1)		अमि पदनाम
	<u> </u>	(साक्षी के हस्ताक्षर)	
	(2)(साक्षीकानाम		
•••••	18.00- 18.00- 18.00-	((()	
ower)			
1	ं को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए /		
4			
1	राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से	(अधिकारी का जास)	
	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	और पदनाम	
	ने	जार प्रकाश	
1	7		
1			ं (अधिकारी के हस्ताक्षर)
	(1)	(
1		(साक्षी के हस्ताक्षर)	
••••	•		पदनाम
3			कार्यालय
er)	(2)		
	l'` '	(साक्षी के हस्ताक्षर)	
	की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।	. ,	

प्ररूप सा० वि० नि० 25 (नियम 207 देखिए)

मोटर गाड़ी के लिए बन्धक-पत्र का प्ररूप--- ग्रांतिरिक्त ग्राग्रिम

. 1	
called?	एक पक्षकार के रूप में श्री ————————————————————————————————————
ıclude	हिंदि का पुत है (जिसे इसमें आगे ''उधार लेने वाल।'' कहा गया है और इसके अन्तर्गत, उसके उत्तराधिकारी और समन्देशिती भी
ment"	हैं है जब तक कि ऐसा विषय या सन्दर्भ से अपर्वाजत या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति
is and	(जिन्हें इसमें आगे ''सरकार'' कहा गया है और इसके अन्तर्गत, उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं जब तक कि ऐसा विषय
	्या सन्दर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के बोच आज तारीख — को किया गया अतिरिक्त भार
the	का विलेख ।
secure	ि । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
at the	
ncipal	
	कि अग्निम को और विलेख में दो गई दर से ब्याज को प्रतिभूत करने के लिए विलेख में हो गई शर्तों पर मोटर गाड़ी सरकार को
rower	आडमान(गिरवी) रख दी है।
er the	उद्यार लेने वाले को सरकार द्वारा अग्रिम दिए गए
	हुद्धः त, मूर्य विराध के विवास के अनुसार जूरावर जार ज्यान वह
	ब्रभी भी सरकार को शोध्य है और संदेय है ।
on the	हों। इंडिंग उद्यार लेने वाले को उक्त मोटर गाड़ी भारत में लाने के सभय उस पर संदेय सीमाशुरूक के संदाय मुद्धे, साधारण बित्तीय
Rules"] India.	हिं नियम, 1963 (जिसे इसमें आर्य "उन्त नियम" कहा गया है) के नियम 199 से 211 तक के निबन्धनों पर
ilicia.	हुं निम्म, 1303 (भिन्न रेशन कार्य अस्ति कहा पड़ा हूं) निम्म 135 से 211 सम्म भाषा वर्ष
sum of	
same	उद्यार लेने वाले ने सरकार को आवेदन किया है कि उसे
	सरकार ने उसी प्रतिमूर्ति पर और इसमें आगे उल्लिखित निबन्धनों पर उसे उतनी रकम उद्यार देना स्वीकार कर लिया है ;
le with	उद्यार लेने वाले ने इस प्रकार अग्निम दी गई रकम से या उसके भाग से उक्त मोटर गाड़ी की बाबत सीमाशुस्क का संदाय
	कर दिया है ;
	Sur-
	यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है :— इ
	1. उक्त करार के अनुसरण में और उधार लेने वाले को अग्रिम दी गई————————————————————————————————————
hereb	
ie sum ils with	स्वरूप, उद्यार लेने वाला इसके द्वारा सरकार के साथ यह करार करता है कि वह सरकार को ———————————————————————————————————
1.5 WILL	की रकम या उसका शेष भाग जिसका संदाय इस विलेख की तारीख तक न किया गया हो और उस पर व्याज इसमें दो गई
	रीति से किस्तों में लौटा देशा।
	2. उद्यार लेने वाला सरकार को देय उक्त रकम
lue and	प्रत्येक मास के प्रथम दिन लीटाएगा और उस समय गोध्य और संदेय राणि पर उक्त नियमः के अनुसार लगाय। गया व्याज
ny par covere	तब तक देगा जब तक कि इसके द्वारा प्रतिभृत मूलघन या इस प्रतिभृति पर शोध्य उसके किसी भाग का सदाय शेष रहता है और
nt of h	and the same of th
red to	बसूल की जा सकेंगी अथवा यदि वह बारह मास के अधिक की अवधि के लिए भारत से वाहर प्रतिनियुक्त हो कर चला
ning un	
ver dot	ं की क्षेत्र रकम और/या पर्वोक्त ब्याज भारत में रूपए में लौटाने की इजाजत दे दी है तो उधार लेने वाला करार करता है कि
of ever	वह राष्ट्रपति को ऐसी बकाया रकम का संदाय जिसे लेखा अधिकारी की वही में पूर्वोक्त अग्रिम का लेखा रखा गया है, उसके
e kept.	पक्ष में लिखे गए वैक ड्रापट के माध्यम से प्रत्येक मास की पन्द्रह तारीख तक धन भेज कर करेगा।
rest sha	A sum of
Borrowe	3, इसक द्वारा यह करार किया जाता हुआर आपणा का जाता है। के याद मूलवर्ग का उनते किया किया किया किया किया किया के ज
with th	्र के को को लाक को कार्या है का उन सरकार ी सेना है उनके उनका है का करिए उनके के उनके उनके उनके उनके कार्या
inceme:	्याद उचार लग वाल का मृत्युहा जोता है या वह सरकारों सवा म नहां रहता है या बाद उचार लग वाला उक्त माटर गीड़ी
nt again	को बेच देता है या गिरबी रख देता है या उसमें अपने स्वत्व को छों ड़ देता है या वह दिवालिया हो जाता है या अपने लेनदारो
	9

•	
35	
के साथ कोई समझीता या ठहराव कर लेता है या यदि कोई व्यक्ति तिष्पादन में कार्यवाही आरम्भ कर देता है तो उक्त मूलघन की पू ब्याज जो उस समय इस विलेख और मूल विलेख के अधीन देय हो किन्तु	री रकम और उक्त नियम के अञ्चीन उस पर लगाया गया
The second secon	ने बाला यह घोषणा करता है कि वह मोटर गाड़ी जिसका या है, सरकार को एपए की ज्याज के लिए जो उपत मूल विलेख के अधीन प्रतिभूत है तथा रुक की उक्त राशि और उस पर ब्याज के तब तक नहीं होगा या हो सकेगा जब तक कि इस विलेख
CALL TO THE CALL THE	के द्वारा प्रतिभूत धन के संबंध में उल्लिखित और विवक्षित ोति से पूर्णरूप से लागूकी जाएंगी और प्रभावी होंगी मानो
अनुसूर्च	ì
मोटर गाड़ी का वर्णन	•••••
गाड़ी का नाम	***************************************
सिलंडरों की संख्या	
्रहें इंजिन सं ०	
्राण्या नागत स्थान	•••••
इसके साध्यस्यरूप बन्धक करने वाले/उधार लेने वाले ने तथा	राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर सेमन्नालय/
क्रिकार्यालय के श्रीने इ	इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
आज तारीखको	
ुं उनत	•••••
V:	(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)
्र र्	
2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A	¥
(साक्षी के हस्ताक्षर)	
(2)	
(साझी के हस्ताक्षर)	
ंकी उपस्थिति में हुस्ताक्षर किए ।	
को उपस्थिति में हुस्ताक्षर किए । राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से	
िकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।	(अधिकारी के हस्साक्षर)
्रकी उपस्थिति में हुस्ताक्षर किए । राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से (अधिकारी का नाम)	•
की उपस्थिति में हुस्ताक्षर किए । राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से (अधिकारी का नाम) ने और पदनाम	(अधिकारी के हस्ताक्षर) पदनाम कार्योजय
की उपस्थिति में हुस्ताक्षर किए । राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से (अधिकारी का नाम) ने और पदनाम (1)	पदनाम
की उपस्थित में ह्स्ताक्षर किए । राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से(अधिकारी का नाम) ते और पदनाम (1)(साभी के ह्स्ताक्षर)	पदनाम
की उपस्थिति में हुस्ताक्षर किए । राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से (अधिकारी का नाम) ने और पदनाम (1)	पदनाम

प्ररूप सा० वि० नि० 25-क

[नियम 205 के नीचे भारत सरकार का विनिश्चय 2(घ) देखिए]

मोटर गाड़ी खरीदने के लिए सरकार द्वारा पहले मंजूर किए गए समस्त श्रिप्रिम श्रीर उस पर ब्याज को लौटाए बिना, पुरानी मोटर गाड़ी बेचने से प्राप्त रकम से खरीदी गई मोटर गाड़ी के लिए बंधक-पत्र का प्ररूप

उधार लेने वाले ने, जिसे नई मोटर गाड़ी (जिसे इसमें आगे "नई मोटर गाड़ी" कहा गया है) की आवश्यकता है, अपनी पुरानी मोटर गाड़ी बेचने और नई मोटर गाड़ी खरीदने की अनुज्ञा के लिए राष्ट्रपति की आवेदन किया है, और उधार लेने बाले की पुरानी मोटर गाड़ी बेचने और उससे प्राप्त रकम का, साधारण वित्तीय नियम, 1963 (जिसे इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उस समय प्रवृत्त उसका कोई संशोधन या उसमें कोई परिवर्धन भी है) के निवधनों के अनुसार, ज्यपयोग नई मोटर गाड़ी खरोदने में करने के लिए इस शर्त पर अनुज्ञा दी गई है कि उधार लेने वाले द्वारा नई मोटर गाड़ी द्वारण्यित को इस प्रकार शोध्य और देय रकम के लौटाए जाने के लिए प्रतिमृति के रूप में राष्ट्रपति के पास बंधक रख दी जाएगी।

उधार लेने वाला यह करार और बोषणा करता है कि उसने उसत मोटर गाड़ी की पूरी कीमत और/या संदेय पूरा सीमा-ग्रिस्क दे दिया है और वह पूर्ण रूप से उतकी सम्पत्ति है और उसने उसे गिरवी नहीं रखा है तथा जब तक मूल धन के संबंध में कोई धन-राशि राष्ट्रपति को संदेय रहती है तब तक वह उकत मोटर गाड़ी को न तो बेचेगा, न गिरवी रखेगा और न उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को छोड़ेगा। यह भी करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि मूलधन की उक्त किस्तों में से कोई किस्त या ब्याज देय हो जाने के पश्चात् उसका दस दिन के भीतर पूर्वोक्त रीति से संदाय नहीं कर दिया जाता या वसूल नहीं कर तिया जाता या वसूल नहीं कर तिया जाता या वसूल नहीं कर तिया जाता या यदि उधार लेने वाले की मृत्युहो जाती है या वह किसी समय सरकारी सेवा में नहीं रहता या पादि उधार लेने वाला उक्त मोटर गाड़ी को बेच देता है या गिरवी रख देता है या उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को छोड़ देता है या वह दिवालिया हो जोता है या अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता या ठहराव कर लेता है या यदि कोई ब्यक्ति उधार लेने बाले के खिलाफ किसी डिश्वी या निर्णय के निष्पादन में कीर्यवाही आरंभ करता है तो उक्त मुलधन का शेष भाग, जो उस समय

pay-

inident the

after

after :gage

nawo'

the new sale after for

lotor and now pay

con.

to as ments nd in nt the ty for

e said
that
l will
and it
aid or
it any
ity in
t with

st the

cipal ared sion may пеуѕ ated , detors, king e the f the ND dent. theft oved atant ived : will gree

nage

and

ient

देव हो किन्तु जिसका संदाय न किया गया हो और मूलबन पर पूर्वोक्त रूप में लगाया गया ब्याज तुरन्त संदेय हो जाएगा तथा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि इसमें इसके पहले उल्लिखित घटनाओं में से किसी के होने पर राष्ट्रपति उक्त मोटर गाड़ी का अभिग्रहण कर सकेंगे और उसका कब्जा ले सकेंगे तथा या तो उसे हटाए बिना उस पर कब्जा रख सकेंगे या उसे हटा सकेंगे और सार्वजनिक नीलाम या प्राइवेट संविदा द्वारा उसे वेच सकेंगे और वेचने से प्राप्त होने वाली रकम में से उस मूलधन की उस समय शेव रकम और मूलधन पर पूर्वीक्त रूप में लगाया गया और देय ब्याज और इसके अधीन अपने अधिकारों को बनाएं रखने, उनकी रक्षा करने या उन्हें प्राप्त करने में उचित रूप से किए गए सब खर्चे, प्रभार, क्षय और संदाय अपने पास रख सकेंगे और यदि कोई रकम शोष रहती है तो उसे उधार लेने वाले उसके निष्पादकों, प्रशासकों या वैयक्तिक प्रतिनिधियों को दे देंगे परन्तु उक्त मोटर गाड़ी का कब्जा लेने या उसको बेचने की पूर्वोक्त प्रक्ति से, उद्यार लेने वाले पर या उसके वैयक्तिक प्रतिनिधियों पर उक्त भेष रकम और व्याज के लिए, अथवा यदि मोटर गाड़ी वेच दी जाती है तो उतनी रकम के लिए जितनी से प्राप्त शुद्ध आगम उस देय रकम से कम में पड़े, बाद लाने के राष्ट्रपति के अधिकार पर ब्रितिकुल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा उधार लेने वाला यह भी करार करता है कि जब तक कोई घनराशि राष्ट्रपति को मोघ्य और संदेष रहे तब तक उद्यार लेने वाला उनत मोटर गाड़ी का, अग्नि, चोरी या दुर्घटना से या हड़ताल, बलवे और लोकशांति के किसी प्रकार भंग होते से होते वाली हानि या नुकसान के लिए किसी बीमा कम्पनी में, जो संबंधित महालेखाकार द्वारा अनुमोदित की जाए, बोनाकराएगाऔर उसे चालूरखेगातयामहालेखाकार को समाधानप्रदरूप में इस बात का साध्य पेश करेगा कि उस मोटरबीस कमती को,जिक्षमें उक्त मोटर गाड़ी काबीसाकराया गया है, यह सुचना मिल चुकी है कि उस पालिसी में राष्ट्रपति हित**बढ़** हैं। उद्यार लेने वाला यह भी करार करता है कि वह उक्त मोटर गाड़ी को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं करने देगा या नहीं होने देगा अथवा उसमें उचित टूट-फूट से अधिक टूट-फूट नहीं होने देगा तथा यदि उक्त मोटर गाड़ी को कोई नुकसान पैंदुंचता है या उसके साथ कोई दुर्बटना होती है तो उधार लेने वाला उसकी तुरन्त मरम्मत कराएगा और उसे ठीक करा लेगा।

अनुसूची

मोटर गाड़ी का वर्णन	:	••••••
गाड़ी का नाम :		
वर्णनः		
सिर्जेंडरों की संख्या:	•	
इंजिन सं०:		
चैसिस सं॰:		
कीमतः	-	
•	•	ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए है। म
ाज, तारीख	की	
जिं, तारीख	की	
जं, तारीख		में (उद्यार लेने वाले के हस्ताक्षर
जिं, तारीख	की	
র	 ने	में (उधार लेने वाले के हस्ताक्षर और पदनाम पदनाम
র	को ने	में (उद्यार लेने वाले के हस्साक्षर ऑर पदनाम
जि, तारीख त	ने - (साक्षी के हस्ताक्षर)	में (उधार लेने वाले के हस्ताक्षर और पदनाम पदनाम
ाज, तारोख स्त (1) (2)	ने (साझी के हस्ताक्षर) (साझी के हस्ताक्षर)	में (उधार लेने वाले के हस्ताक्षर और पदनाम पदनाम

P.Dedill	,	
4		38
	राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से	
	(अधिकारी का नाम और पर	।दनाम) ————————————————————————————————————
	ने	(अधिकारी के हस्ताक्षर)
	(1)(साक्षी के हस्ताक्षर)	पदनाम कार्यालय
•••	(2)	
	(2)(साक्षी के हस्ताक्षर) की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।	
	the state of the s	
	Tree Control of the C	•
	<u>S-</u>	
	6 6 8.6	
	The state of the s	

~25 OLLC/ND/83

पट्टे का करार

ारिका एक प्रथम के इस में आहेत के दारामित (किसे कार्र
ारिक हैं। एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "राष्ट्रपति" कहा गया है और ब्सके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती औ
ब्राह्मिन हुन त्यार पार है अने पार कि होने सबसे से अपनाजतियों उसके विरुद्ध नहीं है। अहर देसरे एसकोर के इन्हें के राज के
11CXX.=86.
े Oraginalism या अशासक, विधिक प्रतिनिधि और अनेजात समनतेजित्तो की है जब उस कि सेकर कंकर के क्या कि क
हैं) के बीच आज तारीखः पुरात प्रपुर्विताना है, जब तक कि एसा सदम सं अपवाजत या उसके विरुद्ध नह
१९८७ मा किए गए करार की झापने t
the C.
thad the control of t
ione 🔐 उक्त आशियत पट्टदार ने राष्ट्रपति को आवेदन दिया है कि उसे राष्ट्रपति के नई राजधानी। दिल्ली में स्थित और दूसमें स्थान और
पूर्व मूखण्ड का इसमें आगे उल्लिखित पट्टा, लेने का अधिकारमंजूर किया जाए और राष्ट्रपति ने उसके आवेदन को इसमें आग
द्विलिखित निवंघनों और शर्तों पर स्वीकार कर लिया है।
t the tip.
the कि उन्त आश्रयित पट्टेदार ने भूमि और विकास अधिकारी के पास रिक्स आश्रयित पट्टेदार इसका संदाय इसमें आगे उल्लिखत
ा की। कर दी है। यह वह रकम है जिसके बारे में यह करार हुआ है कि उक्त आधायत प्रतिहार उसका संदाय उसके अस्ति कि
सट्टें की उसको (उक्त आशयित पट्टेदार को) मंजूरी के लिए प्रीमियम के रूप में राष्ट्रपति को करेगा। जमा की गई यह रकम उक्त
क्षाचील प्रिकेश करा के किया के किया के किया है है कि स्वार्थ के लिए में राष्ट्रियति की करेगी। जिसी की गई यह रक्त उक्त
ा the अधियत पट्टेदार द्वारा इस करार के निबन्धनों के सम्यक् पालन के लिए राष्ट्रपति को प्रतिभृति होगी।
nner de
数:
यह विलेख इस बात का साक्षी है कि राष्ट्रपति उक्त आश्रयित पट्टेदार के साथ और उक्त आश्रयित पट्टेदार राष्ट्रपति के साथ
क्षा पर प्रतिक पर्यापा के कि प्रतिक करिया के साथ अपने के साथ और उन्ते आशायत पर्देशीर राष्ट्रपांत के साथ
्रोतन्ति जिल्ला प्रसंविदा और करार करते हैं, अर्थात् :—
xtent
æ of
🐮 1. तारीख ''''' ''''' '' ''' ' ' ' ' ' ' ' ' '
किलेण्डर भास के दौरान उनत आशयित पटटेदार इसमें आगे अनुवंधित रीति में और विस्तार तक केवल निर्माण और कार्य का
हैं, जे प्रयोजन के लिए उक्त भूखण्ड में प्रवेश कर सकेगा। इस भूखण्ड का वर्णन इस प्रकार है अर्थात नई राजधानी दिल्ली में सूर्वण्ड संख्यांक : की भूमि व्यक्त क्षेत्रफल लगभग है, पूर्व में है, पूर्व में है, पूर्व में है, और पश्चिम में :
विकास में
भ मूखण्ड सङ्याक का भूम
है, तथा उसके उत्तर में : :
है, पूर्व में ' है, और पश्चिम में ' ' है, पूर्व में ' ' है, और पश्चिम में ' ' ' है
🎉 और यह भूखण्ड इससे उपाबद्ध नक्यों में लाल रेखा से बनाया गया है और उसमें लाल रंग भरा गया है ।
. the are
subs-
such 2. उक्त तारीख से मास की उक्त अवधि के भीतर उक्त
पान कर्मा कर्म प्राप्त कर्मा विकास कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म कर्म
torey बार्गायत पट्टेदार उनत भूमि पर कुल मिला कर एक या दोकुटुस्य के लिए एक प्राइवेट निवास गृह हे 3 दो मंजिले रहायशो भवन का
cond मिण अपने खर्च पर करेगा। यह निर्माण अच्छी और कुशल रीति से तथा नई और ठोस सामग्री से इस प्रकार किया जाएगा कि राष्ट्र-
है है जिस पर उनके द्वारों इस निमित्त नियुक्त अधिकारी का (जिसे इसमें आये उक्त अधिकारी कहा गया है) समाधान हो जाए। उस
ucted निवास गृह की दूसरी मंजिल पर उपयुक्त आकार की एक बरसाती होगी और वह निवास गृह पास पड़ोस के भवनों के अनुरूप होगा
sition पा उसमें सहायक उपगृह होंगे । उसमें सभी अपेक्षित और उचित दीवारें, मल व्यवस्था (सीवर) और नालियां तथा अन्य सुविधाए
anded संप्रकार और डिजाइन की होंगी जिसका लिखित अनुमोदन उक्त अधिकारी ने किया हो । ऐसे भवन का निर्माण सभी प्रकार से ऐसे
must हैंजाइन, नक्कों और विनिर्देशों के अनुसार तथा ऐसी स्थिति और जगह में होगा और उसकी व्यवस्था ऐसी रीति से की जाएगी जिसकी
only स्थापना पहले की गई हो और जो उक्त आशयित पट्टेदार ने उक्त अधिकारी को प्रस्तुत की हो तथा जिसका अनुमोदन उक्त अधिकारी
ve the लिखित रूप में किया हो। यह आवश्यक है कि उक्त भवन में प्रयुक्त सब सामग्री अच्छी और ठोस हो तथा उक्त अधिकारी ने उसका
ाड 1015 प्र and नेमोदन किया हो। काष्ठ केवल अच्छे सागौनं को होगा था ऐसे अच्छे प्रकार का होगा जिसकी मंजूरी उक्त अधिकारी देगा। सभी
प्र and प्राप्त पर्या । सन् विकास पर्या पर्या । सन् विकास समित समक्षी जाएगी । उनते परिसर के लिए सभी नालियां और सीचर
क्त अधिकारी और उचित नगरपालिका प्राधिकारी को समाधानप्रद रूप में ऐसी स्थिति में निर्मित, बनाई और विछाई तथा संयोजित
ी जाएंगी जिसका निर्देश उक्त अधिकारी ने दिया हो या जिसकी अपेक्षा उचित नगरपालिका प्राधिकारी करे ।

3. उन्त भूमि पर निर्मित किए जाने वाले भवनों के सिन्नमाण के लिए नक्यों, परिच्छेद (सेक्शन), खड़े नक्यों (एलीक्यान्स) और कितित्वें (एलीक्यान्स) अभैति कितित्वें (प्रतिक्रित्वें वारों तैयार किए जाएंगे के क्षित्वें वारों की लम्बाई, चीड़ाई, और मोटाई तथा काष्ट की घटक-माप अंकों में दिशत होगी और उसमें प्रकृत कीए जाएंगे किता वार्ण दिया जाएगा। ऐसे नक्यों, परिच्छेद, खड़े नक्यों और विनिर्देश उक्त अधिकारी को चार प्रतियों में प्रस्तुत किए जाएंगे किया सिन्नमाण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व उक्त तारीख सिन्ममाण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व उक्त तारीख सिन्ममाण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व उक्त तारीख सिन्ममाण कार्य प्रतियों में अनुमोदन कराना होगा। उक्त आशिवित पट्टेदार पूर्वोक्त रूप में अनुमोदित भवनों में, बाहर या भीतर, ऐसे कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं करेगा जिससे कि सिन्ममाण कार्य
ecter

cant

to H

ctur

ious

ildin

emis

office

4. उक्त आश्रयित पट्टेदार उचित नगरपालिका प्राधिकारी के, भवन से किसी भी प्रकार संबंधित सभी ऐसे नियमों, विनियमों द्वीर उपविधियों का अनुपालन करेगा जो समय-समय पर प्रवृत्त हों । यह परिसर · · · · · · · · · · की अधिकारिता के दुत्तर्गत आता है।

healt है 5. उस्त आशिष्य पट्टेदार उचित नगरपालिका प्रधिकारी के, स्वास्थ्य और स्वच्छता से किसी भी प्रकार संबंधित सभी ऐसे स्व को सूमी, विनियमों और उपविधियों का अनुपालन करेगा जो समय-समय पर प्रवृत्त हों। उन्त आशिष्यत पट्टेदार उन्त भूमि पर रिल्क क्षिक्त अभिकों और कर्म कारों के लिए पर्याप्त शौचालय के स्थान की व्यवस्था उचित नगरपालिका प्रधिकारी की अपेक्षानुसार ime किया अपया समय-समय पर ऐसी रक्षम का संदाय करेगा जो भूमि और विकास अधिकारी उन्त भूमि के निकट ऐसे स्थान की व्यवस्था और विकास अधिकारी उन्त भूमि के निकट ऐसे स्थान की व्यवस्था और विकास अधिकारी उन्त भूमि के निकट ऐसे स्थान की व्यवस्था और विकास अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना किसी श्रीमक विषय अनुमति के विना किसी श्रीमक विकास का किसी अपित किसी अपित किसी अपित करें। उन्त आशिष्य पट्टेदार उन्त अधिकारी की लिखित अनुमति देवी जाती है तो उन्त की अनुकान हों देगा। यदि ऐसी अनुमति देवी जाती है तो उन्त की अपेक्षायित पट्टेदार उसके निवन्दानों का कड़ाई के साथ अनुपालन करेगा।

office 6. उक्त अधिकारी यह तय और निर्धारित करेगा कि भवन के सामने का भाग कैसा और निचली मंजिलों का तल क्या होगा।
rty b चुक्त आश्चरित पट्टेदार उनका कड़ाई के साथ अनुपालन करेगा। राष्ट्रपति की अन्य सम्पत्ति की ओर सीमाएं और किराएदारों के

7. सिन्नर्माण के दौरान भवन उक्त अधिकारी के निरीक्षण के लिए भी सभी सभय खुले रहें गे।

 यदि भवनों या मल व्यवस्था और नालियों तथा उसके अन्य अनुलग्नकों को बनाने और पूरा करने के दौरान उन्त आश्रयित oth हा इटेंदार किसी ऐसी सामग्री का उपयोग करेगा जिसके बारे में उक्त अधिकारी की यह राय है कि वह आंध्रयित प्रयोजन के लिए दोव वा अनुपयुक्त है था यदि भवनों में, उरयुक्त रीति से अनुमोदित किए गए नक्शों, परिच्छेदों, खड़े नक्शों और विनिर्देशों से कोई buil खलन किया जाता है तो उक्त आशयित पट्टेदार उक्त अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित सूचना पाते ही जिसमें उससे यह अपेक्षा की गई aid tl क्विक वह ऐसी सब सामग्री हटा ले जो दोवपूर्ण या अनुपयुक्त समझी गई है,ऐसी सामग्री हटा लेगा और उसके स्थान पर ऐसी दोकर्रहित him s बीर उपयुक्त सामग्री लाएगा जिसका अनुमोदन उक्त अधिकारी कर देतया वह उपयुक्त विचलन को ठीक कर देगा। यदि उक्त and क्रमिवत पट्टेंदार सूचना मिलने के बाद सात दिन तक दोषपूर्णया अनुपयुक्त सामग्री के स्थान पर दोषरहित और उपयुक्त सामग्री क्याने में या उपर्युक्त विचलन को ठीक करने में उपेक्षा करता है तो उक्त अधिकारी के प्राधिकार और निर्देश के अधीन कार्य करने वाले लुधिकारियों और कर्मकारों के लिए यह विधिपूर्णहोगा कि वे ऐसी दोषपूर्ण और अनुपयुक्त सामग्री को हटा दें और उसके स्थान पर हुम्बरहित और डिपर्युक्त सामग्री ले आए और अनुमोदित नक्शों, परिच्छेदों, खड़े नक्शों और विनिदेशों से किए गए प्रत्येक विचलन को correc मी ठीक कर दें। ऐसे अधिकारी या उसके आदेश से इस प्रसंग में जो भी धन खर्च किया जाएगा उसका संदाय उक्त आधायित पट्टेदार कुरेगा। स्पट्ट रूप से यह घोषणा की जाती है कि इस करार के खण्ड 20 द्वारा राष्ट्रपति को दी गई शक्ति उपर इसमें इसके पूर्व दी गई स्वतंत्रता से किसी प्रकार प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ase XV 10. उक्त आशयित पट्टेदार इसके खण्ड 16 के अधीन राष्ट्रपति से पट्टाप्राप्त करने के पूर्व उक्त अधिकारी की पूर्व सहमति transfe के बिना, जो लिखित रूप में दी गई हो, इस करार या उक्त मूखण्ड को बाबत अनुकृष्ति के अधीन अपने किसी अधिकार अयवा तत्समय s und किसी अधिकार साम पर के मबन या सामग्री में अपने किसी अधिकार का, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समनुदेशन या

अन्तरण नहीं करेगा या, बन्धक नहीं रखेगा और किसी अन्य प्रकार से उससे विलग नहीं होगा अर्थवा उसका समनुदेशन या अन्तरन करने या बंधक रखने या उससे विलग होने का करार नहीं करेगा और न वह उक्त भूमिया उसके किसी भाग को उपपट्टे या उप-अनुज्ञप्ति पर ही देगा:

परन्तुं मंजूरी मिल जाने पर राष्ट्रपति को भूमि के मूल्य में अर्नाजित वृद्धि (अर्थात् सदस प्रीमियम और वर्तमान बाजार मुल्य का अन्तर) के एक भाग का दावा करने और उसे वसूल करने का हक होगा। इस बारे में राष्ट्रपति का विनिष्टय अन्तिम और अन्तरण के समय आबद्धकर होगा (चाहे ऐसा अन्तरण सम्पूर्णस्थान या उसके किसी भागका हो)। बसूल की जाने वाली रकम अनर्जित बृद्धि के पचास प्रतिशत के बराबर होगी।

11. राष्ट्रपति को उपर्युक्त अर्तीजत वृद्धि का पचास प्रतिशत भाग काटने के बाद उस भूमि पर बनी सम्पत्ति का क्रय करने का अग्रक्रयाधिकारहोगा।

12. उक्त आशयित पट्टेदार भूमि के किसी भाग में कोई उत्खनन (खुदाई) नहीं करेगा और वहां से उक्त भूमि पर भवनीं की नींव डालने या मेहराबदार डाट लगाने या बनाने के प्रयोजन को छोड़कर कोई पत्थर, रेत, बजरी, मृत्तिका या मिट्टी नहीं हटाएगा । <mark>यदि उनत भूमि से उनत</mark> आशयित पट्टेदार ने उपर्युक्त किसी प्रयोजन के लिए जो पत्यर, रेत, बजरी, मृत्तिका या मिट्टी हटाई है उसका उपयोग उक्त भवनों या सुविधाओं के निर्माण के लिए या उसके संबंध में नहीं किया जाता है तो वह सब ऐसे प्रत्येक मामले में राष्ट्रपति की सम्पत्ति होगी और उक्त आशयित पट्टैदार का उस पर कोई दावा नहीं होगा।

13. भूखण्ड पर खड़े वृक्ष सरकार की सम्पत्ति बने रहेंगे और उन्त अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना उन्हें न तो हटाया जाएगा और न उनका किसी और रीति से व्ययन किया जाएगा।

14. उक्त आशयित पट्टेदार उक्त अधिकारी की लिखित सहमति के बिना किसीभी प्रकार का कोई कुंआ नहीं बनवाएगा अौर न सिचाई के लिए या पीने के लिए जल के प्रदाय की कोई प्राइवेट व्यवस्था करेगा।

15. इस करार की अवधि के दौरान उक्त भूमि का उपयोग केवल उस प्रयोजन के लिए किया जाएगा जो इसके खण्ड 2 में स्पट्ट रूप से बताया गया है और पट्टे में इस संबंध में अन्तर्विष्ट की जाने वाली प्रसंविदा के निबंधनों के अधीन रहते हुए उक्त भूमि पर बनाए जाने वाले भवनों के किसी भाग का उपयोग इसके बाद किसी भी समय उक्त अधिकारी की लिखित पूर्व सहमित के बिना कुल मिलाकर एक या दो कुटुम्बों के लिए रिहायशी भवन या प्राइवेट निवास गृह से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा और न करने दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि पर या उक्त भवनों में ऐसा कोई कार्यन तो किया जाएगा न करवाया जाएगा और न करने दिया जाएगा जो उक्त अधिकारी के निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति या पड़ोस की किसी अन्य सम्पत्ति के पटटेदारों या अभिधारियों के लिए त्यू सेन्स या अवमानना, क्षोभ या असुविधा हो जाएगी या जिसका ऐसा होना सम्भाव्य है।

 जब जनत आशिवत पट्टेदार उनत अधिकारो का यह प्रमाणित करने वाला एक प्रमाणपत्न, जिस पर तारीख पड़ी हो और उक्त अधिकारी के हस्ताक्षरहों, पेश कर देगा कि उक्त भवन इसके खण्ड 2 के उपबंधों के अनुसार पूरे बन गए हैं और यदि इस करार की अन्य शर्तों का सम्यक् रूप से पालन किया गया है तथा यथा उपर्युक्त जमा की गई उक्त प्रतिमृति में से इस करार के उपबंघों के अनुसार कोई वसूलियां की गई हैं तो जब उक्त आशयित पट्टेदार ऐसी अन्य रकम का संदाय कर देगा जो इसमें इसके पूर्व वणित के अनुसार कोई बसूलियों को गई है तो जब उक्त आशायत पट्टदार एसी अन्य रक्तम की सदीय कर देशा जा इसमें इसके पूर्व वाणत प्रोमियम के रूप में उक्त आशायित पट्टेदार द्वारा संदेयं.....रुप की पूर्व राश्चिकी पूरा करने के किए अपेक्षित है तब राष्ट्रपति उक्त आशायित पट्टेदार को तारीख.....स्ट के वार्षिक किराए पर या उस रकम के बराबर वार्षिक किराए पर जो इससे संलग्न पट्टे के मृद्रित प्ररूप में दी हुई प्रसंविदाओं और शर्तों भू भारत के अधीन इसके बाद निर्धारित की जाए और जो अर्धवाधिक रूप से प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी और 15 जुलाई को संदेय होगा, पूर्वोक्त भवनों का और क्यों इसके एवं इस्किएन उपलब्ध कर किया है के स्वास करती का और इसमें इसके पूर्व उल्लिखित भूखण्ड का शाश्वत पट्टा मंजूर करेंगे और उक्त आशयित पट्टेडार उसे स्वीकार करेगा ।

17. परिस्थिति के अनुसार जहां तक सम्भव हो उक्त पट्टा, इससे संलग्न पट्टे के उस मुद्रित प्ररूप के अनुसार होगा जिसका उक्त 🐩 आज्ञायित पट्टेदार ने अनुमोदन कर दिया है और जिस पर उसने इस विलेख की तारीख को हस्ताक्षर किए हैं। उक्त पटटे में वैसी ही प्रसंविदाएं होंगी जैसी प्रसंविदाएं पट्टे के मुद्रित प्ररूप में उल्लिखित हैं और उस पट्टे में ऐसी अन्य उचित और समुजित संविदाएं, खण्ड ुँ और क्षर्तेभी होंगी जो राष्ट्रपतिया उसकी ओरसे पट्टेके स्वरूप औरऐसी बातों को जो इस विलेख की तारीख और उक्त पट्टे के

to ter

nt

d-

ıls :

id

he ıd, ses

)ve

or

iny nk-

ssly ıse, ous han

or. esi-

ned ions the the

ired

innder

orm form d to ıy :

a1

ie.

th

ıd

d

e d

ıΪ

:d

ŀе

ıŧ

e

Ŀ

निष्पादन की तारीख के बीचे पैदा हों ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझी जाएं या जो उनता पट्टे के निष्पादन के पूर्व प्रवृत्त होने वाले विधान मण्डल के किसी अधिनियम या उचित नगरपालिका प्राधिकारी या वैध रूप से गठित किसी अन्य प्राधिकारी के किसी नियम, विनियम या उपविधि द्वारा आवश्यक हो जाए ।

- 19. उक्त आभयित पट्टेदार को यह हक नहीं होगा कि वह यह अपेक्षा करे कि उसे अन्तरित किए जाने वाले उक्त भूखण्ड पर राष्ट्रपति का हक दिखाया जाए या उक्त आभयित पट्टा मंजूर करने के राष्ट्रपति के अधिकार का कोई सबूत दिया जाए।
- 20 इसमें इसके पूर्व जिस पट्टे के मंजूर किए जाने का करार किया गया है वह और उसका प्रतिरूप उक्त अधिकारी तैयार करेगा और उसके तथा इस करार के स्टाम्प और रिजस्ट्रीकरण का और इस करार की दूसरी प्रति का खर्च उक्त आश्रयित पट्टेदार देगा। उन सभी दस्तावेजों की रिजस्ट्रीकरण, हस्तांतरण पत्र रिजस्ट्रीर के पास कराया जाएगा और उसका खर्च उक्त आश्रयित पट्टेदार देगा।
- 21. यदि उक्त आधित पट्टेदार इसमें इसके पूर्व दी हुई अपनी सब प्रसंविदाओं या उनमें से किसी एक या अधिक का मंग करेगा या उनके पालन में ब्यतिकम करेगा तो राष्ट्रपित या उस निमित्त उनके नियोजन में किसी अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उक्त भूमि पर प्रवेश करे और उक्त भूमि तथा उस पर उस समय पाए जाने वाले सभी भवनों, निर्माण और सामग्री का कब्जा राष्ट्र- पित के पूर्ण उपयोग के लिए बनाए रखे और तब यह करार, जहां तक राष्ट्रपित के वचनवंद्यों का सम्बन्ध है, शून्य होगा और उपर्युक्त जमा की गई प्रतिभृति राष्ट्रपित को समपहृत हो जाएगी और वह उसे प्रतिधारित कर सकेंगे तथा वह पूर्णतः उनकी होगी किन्तु इससे उक्त आश्रयित पट्टेदार के विरुद्ध राष्ट्रपित के अन्य सभी विधिक अधिकारों और उपरारों पर कोई प्रतिकृत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 22. जैसा इसमें उपबंधित है उसके सिवाय उक्त अधिकारी की अनुजा के बिना कोई भी समपहरण या पुनः प्रवेश नहीं किया जाएगा और वह ऐसे समपहरण या पुनः प्रवेश के लिए तब तक अनुजा नहीं देगा जब तक कि पट्टाकर्ता ने पट्टेदार पर लिखित रूप में ऐसी सूचना की तामील न कर दी हो जिसमें :---
 - (क) उस भंग की विशिष्टि दी हो जिसके बारे में शिकायत की गई है,
 - (ख) यदि मंग उपचार योग्य है तो पट्टेदार से उस भंग का उपचार करने की अपेक्षा की गई हो,

और आशयित पट्टेदार उस सूचना की तामील की तारीख से उचित समय के भीतर उस भंग का, यदि वह उपचार योग्य है, उपचार करने में असफल हुआ हो। यदि समपहरण या पुन: प्रवेश होता है तो उक्त अधिकारी अपने विवेकांनुसार ऐसे निबन्धनों और शर्ती पर उस समपहरण से छूट दे सकेगा जिन्हें वह उचित समझे।

इस खण्ड की कोई बात अनधिकृत उपविभाजन के विरुद्ध प्रसंविदा के भंग के कारण पुनः प्रवेश को लागू नहीं होगी ।

- 23. इस करार के अधीन दी जाने वाली सभी सूचनाएं, सहमितयों और अनुमोदन लिखित रूप में होंगें (उन सूचनाओं, सहमितयों और अनुमोदनों को छोड़ कर जिनके लिए इसमें इसके पूर्व अन्यया उप्चित्त है) और उन पर उक्त अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे । यदि जिस परिसर को अंतरित करने का इसके द्वारा करार किया गया है उस परिसर पर वने किसी भवन या निर्माण पर, चाहे वह अस्यायी हो या अन्यया ऐसी सूचनाएं लगा दी जाती है या उक्त आजयित पट्टेदार के उस समय के निवास स्थान, कार्यावय के स्थान पर या उसके प्रायिक या अन्तिम ज्ञात निवास स्थान, कार्यालय या कारवार के स्थान पर परिवत्त कर दी जाती है या डाक से भेज दी जाती हैं तो ऐसी सभी सूचनाओं की बावत यह समझा जाएगा कि उनकी उक्त आश्रयित पट्टेदार पर सम्यक् रूप से तामील हो गई है।
- 24. जब तक उक्त पट्टे का निष्पादन नहीं कर दिया जाता है तब तक इस विलेख की किसी बात का यह अर्थ नहीं सराया जाएगा कि वह उस भूखण्ड का जिसकी अन्तरित करने का इसके द्वारा करार किया गया है या उसके किसी भाग का विधि की दृष्टि से ऐसा

अन्तरण है जिससे उक्त आशयित पट्टेदार को उसमें कोई विधिक हित प्राप्त होता है। किन्तु उक्त आशयित पट्टेदार को केवल इस करार का पालन करने के प्रयोजन के लिए उक्त भूमि पर प्रवेश करने का अधिकार होगा।

इसके साध्य स्वरूप भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से तथा उनके आदेश और निदेश से उक्त अधिकारी ने और उक्त आश्रयित पट्टेदार ने इस पर <u>ऊ</u>पर लिखी तारीख को हस्ताक्षर कर दिए हैं।

रा ्	भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से तथा उनके आदेश
	भौर निदेश से उक्त
(हस्ताक्षर)	ने (1)
	की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
(हस्ताक्षर)	थीर उक्तने
!	(1)
}	(2)
J	को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।
<u>, </u>	

रिहायभी पुनरीक्षित (4)

शाश्वत पट्टा

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे पट्टाकर्ता कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में
तारीख
नई राजधानी दिल्ली में मबनों के स्थानों के व्ययन के संबंध में भारत सरकार के अनुदेशों के अधीन, दिल्ली के मुख्य आयुक्त पट्टा कर्ता की ओर से नजूल भूमि के उस भूखण्ड का, जिसका वर्णन इसमें आगे किया गया है, पट्टेदार को इसमें आगे बताई गई रीति में अन्तरण करने को सहमत हो गए हैं।
यह करार इस बात का साक्षी है कि इस जिलेख के निष्पादन के पूर्व दिए गए
हुई पट्टेदार की ओर से की गई प्रसंविदाओं के फलस्वरूप पट्टाकर्ता, पट्टेदार को वह सम्पूर्ण भूखण्ड अन्तरित करता है जिसका क्षेत्रफल लगभग
है। यह ब्लाक नई राजधानी दिल्ली के निर्माण के लिए अर्जित भूमि में है। इस भूखण्ड का विस्तृत वर्णन इसमें आगे दी गई अनुसूची में किया गया है। अधिक स्पष्टता के लिए उस भूखण्ड की सीमाएं इस विलेख से संलग्न
नक्शे में लाल रेखा से बनाई गई हैं और उसमें लाल रंग भरा गया है। इस भूखण्ड का अन्तरण, भूखण्ड के या उससे अनुलग्न सभी अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों के साथ किया जाता है। पट्टेदार इसके द्वारा अन्तरित परिसर को तारीख से शाश्वत रूप से धारण करेगा। यह अन्तरण इस शर्त पर किया गया है कि पट्टेदार उक्त भखण्ड
का
15 जनवरी और 15 जुलाई को बराबर छमाही किस्तों में इम्मीरियल बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान पर करेगा
जो दिल्ली के मुक्ष्य आयुक्त इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित करें। ऐसा प्रथम संदायकी 15 तारीख को किया जाएगा।

यह पट्टा इसमें आगे दिए गए अपनादों, आरक्षणों, शर्ती और प्रसंविदाओं के अधीन रहेगा, अर्थात् :---

- 1. पट्टा कर्ता उनत मूमि में या उसके नीचे की खानों, खिनजों, कोयले, गोल्ड वाशिंग, खिनज तेलों और खदानों को इस पट्टे में सिम्मिलित नहीं करता है और उन्हें तथा सभी समय पर ऐसे सभी कायं और बातें करने का पूरा अधिकार और शिन्त अपने लिए आरिक्षित रखता है जो उनकी तलाश करने, उनके खनन, उनको प्राप्त करने, हटाने और उनका उपभोग करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समाचीन हैं। उसके लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह उनत भूमि के तल के लिए या उस पर तत्समय खड़े किसी भवन के लिए किसी उद्योगर अवलम्ब (खड़े सहारे) की व्यवस्था कर या ऐसी अवलम्ब छोड़े। यह भी उपबंध है कि पट्टाकर्ता इसके हारा आरिक्षित अधिकारों या उनमें से किसी के प्रयोग से सीधे होने वाले सक नुकसान के लिए पट्टेदार को उचित प्रतिकर देगा।
- 2. पट्टेदार अपने लिए, अपने वारिसों, निष्पादकों, प्रशासकों और समनुदेशितियों के लिए पट्टाकर्ता से निम्नलिखित रूप में प्रसंविदा करता है, अर्थात्:—
 - (1) पट्टेदार,पट्टाकर्ता को इसके द्वारा आरक्षित वार्षिक किराए का संदाय, उन तारीखों को और उस रीति में करेगा जो इसमें इसके पूर्व नियत की गई हैं।
 - (2) पट्टेदार समय-समय पर और सभी समय हर प्रकार के ऐसे सभी रेटों, करों, प्रभारों और निर्धारणों का संदाय और उन्मोचन करेगा जो इसके द्वारा अन्तरित परिसर पर या उस पर बनाए जाने वाले किन्हीं भवनों पर या उनके संबंध में भू-स्वामी या अभिधारी पर इस समय या इस पट्टे के जारी रहने के दौरान इसके बाद किसी समय निर्धारित, प्रभारित या अधिरोधित किए गए हैं या किए जाएं।

- (3) इसके द्वारा अन्तरित परिसर की वाबत देय किराए और अन्य संदायों की सभी वकाया की बसूली उसी रीति में की जा सकेगी जिस रीति में पंजाब रेवेन्य ऐक्ट, 1887 (1887 का अधिनियम 17) और तत्समय प्रवृत्त उसके किसी संगोधन अधि-नियम के उपवन्धों के अधीन भू-राजस्व की बकाया बसूली की जाती है।
- (4) पट्टेदार भवत संबंधी, जल निकास संबंधी और अन्य उपविधियों का जो नई राजधानी दिल्ली में तत्ममय प्रवृत्त हों, सभी प्रकार अनुपालन करेगा और उनसे आबद्ध होगा।
- (5) पट्टेदार, उक्त अन्तरित परिसर पर बनाए गए भवनों में, दिल्ली के मुख्य आयुक्त को या किसी ऐसे अधिकारी या निकाय की जिसे पट्टाकर्ता या दिल्ली का मुख्य आयुक्त इस निमित्त प्राधिकृत करें, लिखित पूर्व सहमति के विना ऐसा कोई परि-वर्तन या परिवर्धन नहीं करेगा जिससे उसके किसी स्थापत्य या संरचनात्मक विशिष्टियों पर कोई प्रभाव पड़े और न वह उक्त अन्तरित परिसर के किसी भाग पर, उन भवनों से भिन्न और उनको छोड़कर जो इस विलेख की तारीख को उस पर बने हैं, कोई भवन निमित करेगा या निमित करने देगा।
- (6) पट्टेदार मुख्य आयुक्त की लिखित सहमित के बिना किसी भी प्रकार का कोई कुंआ नहीं बनाएगा और न सिंचाई के लिए या पीने के लिए जल के प्रदाय की कोई प्राइवेट व्यवस्था करेगा।
- (7) पट्टेदार उपर्युक्त सहमित के बिना उक्त परिसर पर न तो किसी प्रकार का व्यापार या कारबार करेगा या करने की अनुज्ञा देगा और न उसका उपयोग एक या दो रहायशी फ्लैंटों वाले दो मंजिले रहायशी भवन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए करेगा या करने की अनुज्ञा देगा और न उस पर लोई ऐसा कार्य या बात करेगा या करने देगा जिससे दिल्ली के मुख्य आयुक्त की राय में भारत के राष्ट्रपति या नई राजधानी दिल्ली में उनके अभिधारियों के लिए किसी प्रकार का झोम या विष्त हो।
- (8) पट्टेदार द्वारा निर्मित सेवक क्वार्टरों का दखल दिल्ली के मुख्य आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना, मुख्य भवनों का दखल रखने वाले व्यक्तियों के वास्तविक सेवकों से भिन्न व्यक्तियों के पास नहीं होगा और न उसकी अनुज्ञा दी जाएगी।
- (9) पट्टेबर इसके द्वारा अन्तरित परिसर में, दिल्ली के मुख्य आयुक्त की या सम्यक् रूप से प्राधिकृत उक्त अधिकारी या निकाय की लिखित सहमति के बिना कोई उत्खनन (खुदाई) नहीं करेगा और इस पट्टे के जारी रहने के दौरान सभी समय उस परिसर को और उस पर के सभी भवनों को दिल्ली के मुख्य आयुक्त या सम्यक् रूप से प्राधिकृत उक्त अधिकारी या निकाय को समाधानप्रद रूप में स्वच्छ दशा में रखेशा।
- ैं (10) पट्टेबार इस पट्टे के जारी रहने के दौरान सभी समय उक्त भूमि पर निर्मित किए जाने वाले सभी मवनों को दिल्ली के मुख्य आयुक्त या सम्यक् रूप से प्राधिकृत उक्त अधिकारी या निकाय को समाधानप्रद रूप में अच्छी और ठीक मरम्मत की हालत में रखेगा।
- (11) पट्टेदार सभी उनित समयों पर दिल्ली के मुख्य आयुक्त को या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत उक्त अधिकारी या निकाय को या नई राजधानी दिल्ली में परिसरों को स्वच्छ हालत में रखने के लिए नियुक्त स्वच्छता कर्मचारी को उक्त अन्तरित परिसर पर आने जाने देगा और ऐसे स्वच्छता नियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा जो दिल्ली के मुख्य आयुक्त या सम्यक् रूप से प्राधिकृत उक्त अधिकारी या निकाय समय-समय पर विहित करे।
- (12) पट्टेदार इस पट्टे की समाप्ति पर परिसर और उन्त निवास-स्थान तथा जससे अनुलग्न भवन शांतिपूर्व क पट्टाकर्ता को सौंप देगा।
- (13) पट्टेदार इसके द्वारा अन्तरित उक्त परिसर के या उसके किसी भाग के किसी समनुदेशन या अन्तरण के पूर्व उस समनु-देशन या अन्तरण के लिए पट्टाकर्ती से या दिल्ली के मुख्य आयुक्त से या ऐसे अधिकारी या निकास से जिसे पट्टाकर्ता इस निमित्त प्राधिकृत करे, लिखित अनुमोदन प्राप्त करेगा तथा ऐसे सब समनुदेशिती और अंतरिती और पट्टेदार के वारिस इसमें दी हुई सभी प्रसंविदाओं और शर्ती से आबढ़ होंगे और वे उसके लिए सभी प्रकार से जवाबदार होंगे:

परन्तु पट्टाकर्ता को, अन्तरण के समय (चाहे ऐसा अन्तरण सम्पूर्ण भूमि का या उसके केवल एक भाग का हो) भूमि के मूल्य में अर्जीजत वृद्धि (अर्यात् संदत्त प्रीमियम और वर्तमान बाजार मूल्य के बीच के अन्तर) के भाग का दावा करने और उसे बसूल करने का भी हक होगा। बसूल की आने वाली रकम अनिजत वृद्धि की 50 प्रतिशत रकम होगी।

पट्टाकर्ती को, उक्त अनर्जित वृद्धि की 50 प्रतिगत रकम की कटौती करने के पश्चात् सम्पन्ति को क्रय करने का अग्रकयाधिकार होगा।

- 3. यदि किसी समय पट्टाकर्तां को या दिल्ली के मुख्य आयुंक्त की (जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा) यह राय है कि पट्टेंदार ने या उसके माम्यम से या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति ने खण्ड 2 के उपखण्ड (3), (9) और (10) में दी हुई प्रसंविदाओं या शर्तों को भंग किया है और यदि उक्त पट्टेंदार ऐसे किसी भंग का, पट्टाकर्ती या ऐसे अधिकारी द्वारा, जो उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, हस्ताक्षरित उस सूचना की प्राण्ति से सात दिन के भीतर, जिसमें उससे ऐसे मंग का उपचार करने की अपेक्षा की गई हो, पट्टाकर्ती या दिल्ली के मुख्य आयुक्त को समाधानप्रद रूप में ऐसे किसी भंग का उपचार करने में उपेक्षा करेगा या असकत रहेगा, तो पट्टाकर्ती के प्राधिकार या निदेश के अधीन कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मकारों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वे अन्तरित परिसर में प्रवेश करें और (क) उक्त परिसर पर निर्मित भवनों में किए गए परिवर्त नों या परिवर्धनों को हटा दें या नष्ट कर रहें, (ख) उक्त परिसर पर दिल्ली के मुख्य आयुक्त या सम्यक् रूप से प्राधिकृत उक्त अधिकारी की लिखित पूर्व सहमति के विता निर्मित भवन को हटा दें या नष्ट कर रहें, (ग) उत्खनन (खुदाई) को पाट दें या एसी मरम्मत करें जो आवश्यक हो। दिल्ली के मुख्य आयुक्त द्वारा या उसके आदेश से इस निमित्त जो भी धन खर्च किया जाएगा उस सबका संदाय उक्त पट्टेंबार करेगा। अभिव्यक्त रूप से यह घोषणा की जाती है कि इसके खण्ड 4 और 5 द्वारा राष्ट्रपति को यी गई शक्ति पर, इसमें इसके पूर्व दी गई स्वतंन्नता से किसी प्रकार प्रतिकृत प्रभाव नहीं पट्टेंगा।
- 4. यदि इसके द्वारा आरक्षित वार्षिक किराया या उसका कोई भाग, चाहे उसकी मांग की गई हो या नहीं, उक्त तारीखों के, जब वह देय हो गया हो, पश्चात एक कलेण्डर मास तक किसी समय बकाया और असंदत्त रहेगा, अथवा पट्टाकर्ता या दिल्ली के मुख्य आयुक्त की जिसका विनिध्चय अंतिम होगा, यह राय है कि पट्टोर ने या उसके माध्यम से या उससे ब्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति ने इसमें इसके पूर्व दी हुई और उसके द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रसंविदाओं या शर्तों में से किसी का भंग किया है तो उस दक्षा में इस बात के होते हुए भी कि इसके द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रसंविदाओं या शर्तों में से किसी का भंग किया है तो उस दक्षा में इस बात के होते हुए भी कि इसके द्वारा अनुपालन की जाने वालस पर बने भवनों के किसी भाग में, सम्पूर्ण परिसर या भवनों के नाम पर पनः प्रवेश के किसी पूर्व हेतुक या अधिकार का अधित्यजन कर दिया गया है, राष्ट्रपति या उनके द्वारा सम्बक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति या ज्यक्ति के लिए यह विधिष्ण होगा कि वे पुनः प्रवेश करें और तब यह अंतरण और इसकी हर बात समाप्त हो जाएगी तथा पट्टेदार किसी भी प्रतिकर के लिए या उस प्रीमियम के लौटाए जाने के लिए, जिसका संदाय उसने किया है, हकदार नहीं होगा।
- 5. जैसा इसमें उपबंधित है उसके सिवाय कोई भी समपहरण या पुनः प्रवेश दिल्ली के मुख्य आयुक्त की अनुझा के विना नहीं किया जाएगा और वहऐसे समपहरण या पुनः प्रवेश के लिए तब तक अनुझा नहीं देगा जब तक कि पट्टाकर्ती ने पट्टेबार पर लिखित रूप में ऐसी सुचना की तामील न कर दी हो जिसमें:----
 - (क) उस भंग की विशिष्टि दी हो, जिसके बारे में शिकायत की गई है,
 - (खं) यदि मंग उपचार योग्य है तो पट्टेदार से उस मंग का उपचार करने की अपेक्षा की गई हो,

और पढ़देदार उस सूचना की तामील की तारीख से उचित समय के भीतर उस भंग का,यदि वह उपचार योग्य है तो, उपचार करने में असफल न हुआ हो । यदि समपहरण या पुनः प्रवेश होता है तो मुख्य आयुक्त अपने विवेकानुसार ऐसे निबंधनों और शर्तों पर उस समपहरण के विरुद्ध राहत दे सकेगा ।

इस खण्ड की कोई बात अनिधकुत उपविभाजन के विरुद्ध प्रसंविदा के भग के कारण पुनः प्रवेश को लागू नहीं होगा।

- 7. इसमें इसके पूर्व प्रयुक्त 'पट्टाकर्ता' और 'पट्टेदार' पदों के अन्तर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल हो पट्टाकर्ता की दशा में उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती तथा पट्टेदार की दशा में उसके बारिस, निष्पादक, प्रशासक या प्रतिनिधि और अन्य व्यक्ति भी है जिसमें या जिनमें इसके द्वारा सृजित पट्टाधृति हित, समनुदेशन द्वारा या अन्यया तत्समय निहित है। 7—25 OLLC/ND/83

इसके साध्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने इस पर ऊपर लिखी तारीख को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।	•
अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है :	
भूखण्ड के उत्तर मेंहै।	
भृखण्ड के दक्षिण में	
भृखण्ड के पूर्व में	
भृखण्डके पश्चिम मेंहै।	
ने	
(1)	
	(हस्ताक्षर)
(2)	
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।	
भारत के राष्ट्रपति के आ देश और निदेश से दिल्ली के मुख्य आ युक्त के सचिव	
(स्थानीय स्वायत शासन) ने	
(1)	
	(हस्ताक्षर)
को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।	{
	रिहायशी
	पुनरीक्षित (2)
	1

ग्रस्यायी पट्टा

बह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे 'पट्टाकर्ता' कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके उत्तर- वर्ती और समनुदेशितो भी हैं, जब तक कि संदर्भ से अपर्वजित या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में (जिसे इसमें आगे 'पट्टेदार' कहा गया है और इसके अन्तर्गत, जहां संदर्भ के अनुकूल है, उक्त
खण्ड 1—इसमें आगे आरक्षित किराए के और पट्टेबार की ओर से की गई उन प्रसंविदाओं के जो इसमें आगे दी हुई हैं और जिन का पट्टेबार को अनुशालन करना है, प्रतिफलस्वरूप पट्टाकर्ता पट्टेबार को उस भूखण्ड का अस्थायी पट्टा मंजूर करता है जो पट्टा- कर्ता की पूर्ण सम्पत्ति है और जिसका क्षेत्रफल
परन्तु मूमि का यह पट्टा इस करार के प्रत्येक और सभी निबन्धनों और शर्तों के अधीन दिया गया है, अन्यया नहीं ।
खाड 2पट्टेदारमूमि और विकास अधिकारी, नई दिल्ली, या ऐसे अन्य अधिकारी के द्वारा, जी इस निमित्त निश्वत किया जाए पट्टाकर्ती को
खण्ड 3पट्टा तारीखसे प्रारम्भ होगा और प्रयम वर्ष का किराया उसी तारीख को भोध्य और संदेय होगा। पट्टावर्ष की अवधि के लिए मंजूर किया गया है। किन्तु वदि परस्पर सहमति या प्रविरति से वह उक्तको अवधि के बीत जाने के बाद प्रवृत्त रहने दिया जाक्षा है तो ऐसे उपांतर के अधीन रहते हुए जिसके लिए पट्टाकर्ता और पट्टेदार लिखित रूप में परस्पर सहमत हो जाएं, इस पट्टे के निबन्धन और शर्ते पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी रहेंगी:
परन्तुवर्ष की अवधि के दौरान, जब पट्टा प्रवृत्त रहेगा, यहपर पट्टा समझा जाएगा ।
खण्ड 4पट्टाकर्ता उक्त भूमि में या उसके नीचे की सभी खानों,खनिजों,कीयलों,खनिज तेलों,गोल्ड वाशिंग, उसके सभी वृक्षों और जलाने की लकड़ी, जल सर्राणयों और जलिकास प्रणालियों और उसके आ र-पार जाने वाले सभी सार्यजीनक मार्गों के और उन पर सभी विद्यमान अधिकारों को पट्टे से बाहर रखता है और उन्हें अपने लिए आरक्षित करता है।
खण्ड 5पट्टेदारसमी समय पट्टाकर्ता के जिंत अधिकारियों और सेवकों को बिना किसी रोक-टोक या बाधा के जस भूमि पर पट्टाकर्ता के लिए इसमें इसके ढारा आरक्षित सभी या किन्हीं अधिकारों के पूर्ण प्रकटन और उपभोग से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए तथा इस पट्टे के प्रत्येक और सभी निवन्धनों, शर्तों और अपेकाओं का अनुपालन कराने के प्रयोजन के लिए प्रवेश करने देगा। इसमें पट्टाकर्ता के लिए आरक्षित अधिकारों के और उसको प्रदत्त शक्तियों के अधीन की गई किसी बात के कारण पट्टेदारको, किराए में कमी द्वारा या किसी अन्य प्रकार से कोई प्रतिकर शोध्य नहीं होगां और नं वह वसूंच कर सकेगा।
खण्ड 6 पट्टेदार, पट्टाकर्ताकी लिखित पूर्व सहमति के बिना इस पट्टे के अधीन अपने सभी या किसी अधिकार का न तो विक्रय करेगा, न उसे बन्धक रखेगा, न उस पर कोई भार सृजित करेगा और न उसका उपपट्टा करेगा और न उसे अन्य प्रकार से अन्तरित करेगा ऐसी सहमित के बिना कियागया अत्येक अंतरण या अंतरण का प्रयास, पट्टाकर्ती के विरुद्ध शृग्य होगा।
क्षांड ७पटटेदार इस मूमि पर किसी भवन या संरचना का निर्माण नहीं करेगा । वह इस भूमि का उपयोग केवल
खण्ड 8—पट्टेदार समी समय

खण्ड 9— पट्टेबार दिल्ली के मुख्य आयुक्त की या ऐसे अधिकारी या निकाय की जिसे राष्ट्रपति इस निमित्त नियुक्त करे, लिखित अनुज्ञा के बिना किसी भी समय उक्त भूमि का उपयोगसे भिन्न किसी प्रयोजन के लिए न तो करेगा, न कराएगा और न किसी अन्य व्यक्ति को करने देगा।

be

70

πt

खण्ड 10--यदि मूल अवधि (एकवर्ष/.....वर्ष) बीतने के पूर्व किसी समय पट्टाकर्ता को उक्त मूमि की आवश्यकताके लिए होती है तो वह पट्टेंदार को एक मास की लिखित सूचना देकर इस पट्टें को समाप्त कर सकेगा तथा उस सूचना की अवधि समाप्त होने पर पट्टेंदार भूमि को शान्तिपूर्वक खाली कर देगा और उसका कब्जा दे देगा :

परन्तु पहटे के इस प्रकार समाप्त किए जाने पर और पहटेदार द्वारा उसका कब्जा शांतिपूर्वक दे दिए जाने पर (किन्तु अन्यया नहीं) पहटेदार को यह हक होगा कि उसे उस किराए का अनुपातिक भाग वापस दे दिया जाए जो दिना बीती अवधि के लिए अग्रिम दिया गया है तथा पट्टे के इस प्रकार समाप्त किए जाने के समय उस मूमि पर जो भी सामग्री मौजूद है उसके लिए उसे कोई प्रतिकर नहीं दिया जाएगा। उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह एक मास की सूचना की अवधि समाप्त होने के पूर्व ऐसी सामग्री हटा ले जो उसने वहां रखी ही।

खण्ड 11--यदि किसी समय कोई किराया बाकी रहता है या पट्टेदार इस पट्टे की किसी अन्य शर्त को जिसका उसे अनुपासन करना चाहिए, भंग करता है तो पट्टाकर्ती तुरस्त और कोई सूचना दिए बिना तया इस पट्टे की मल अविध (.....वर्ष) समाप्त होने पर या उसके बाद किसी भी समय पट्टाकर्ती एक मास की लिखित सूचना देकर इस पट्टे को समाप्त कर सकेगा और पट्टे की समाप्ति पर उसे उक्त मूमि पर अवेष करने का तथा उसका कब्जा फिर से ग्रहण करने और पट्टेदार को या उसके माध्यम से खारण करने वाले किसी व्यक्ति को वेदखल करने का पूरा अधिकार, शक्ति और प्राधिकार होगा। मिन के कब्जे के पुनर्ग्रहण पर वह सब सामग्री और चीजें जो कब्जे के पुनर्ग्रहण के समय उस भूमि में या पर हैं, पट्टाकर्ता में निहित होंगी और वे उसकी पूर्ण सम्पत्ति हो जाएंगी:

परन्तु पट्टाकर्ता अपने विवेकानुसार और अनुग्रहपूर्वक पट्टेदार को यह अनुज्ञा दे सकेगा कि वह सब सामग्री या चीजें ऐसे समय के मीतर और ऐसे निवन्धनों पर हटा ले, जो वह (पट्टाकर्ता) ठीक रुमने :

परन्तु यह और कि पट्टेदार को यह हक नहीं होगा कि वह पट्टाकर्ता द्वारा पट्टे के इस प्रकार समाप्त किए जाने के या उसके द्वारा भूमि का या भूमि पर विद्यमान सामग्री या चीजों के पुनर्गहण के या इसके द्वारा पट्टाकर्ता को प्रदत्त शक्तियों का विद्यपूर्ण प्रयोग करते हुए या किसी भी प्रकार उसके संबंध में पट्टाकर्ता द्वारा की गई किसी बात के बारे में किसी भी नुकसानी, प्रतिकर या संदाय की मांग करे, उसे प्राप्त करे या उसे बसुल करे।

सण्ड 12---इस बात के अधीन रहते हुए और जब तक कि पट्टेबार इस पट्टे के प्रत्येक और सभी निवन्धनों और आर्ती का पूरी तौर सेपालन करना है, पट्टाकर्ता उसे इस बात का आध्वासन देता है कि इसके द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि पर इस पट्टे के जारी रहने के दौरान उसका शांतिपूर्ण कब्जा और उपभोग होगा।

खण्ड 13—पट्टेंदार इस पट्टें को समाप्त करने के अपने आश्रय की एक मास की लिखित सूचना देकर इस पट्टें को समाप्त कर सकेगा और इस प्रकार दी गई सूचना को अवधि समाप्त होने पर पट्टाकर्ता को भूमि का कब्जा खण्ड 11 में उपविधित रीति से और उसके उपवधों के अनुसार पुनर्ग्रहण करने का पूरा अधिकार, शक्ति और प्राधिकार होगा।

खण्ड 14--पट्टा समाप्त होने पर या अबधि के पूर्व समाप्त कर दिए जाने पर पट्टाकर्ता के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह मूर्मि को उस दशा में लाने के लिए जिस दशा में वह इस पट्टे के निष्पादन के समय थी, मूर्मि पर से सब सामग्री और चीजों को हटा दे और उस पर या उसके संबन्ध में किए गए सभी व्यय को पट्टेदार से विधि के सम्यक् अनुक्रम में वसूल कर ले:

परन्तु इस खण्ड की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह पट्टेबार को पट्टे के समाप्त किए जाने के पूर्व किसी, समय, भूमि पर से अपनी सामग्री और चीजें स्वयं हटाने से और भूमि को उसकी मूल दशा में पुनः लाने से रोकती है या उसके लिए उसके हक को छीनती है।

खण्ड 15--भूखण्डपर खड़े वृक्ष सरकार की सम्पत्ति बने रहेंगे और भूमि और विकास कार्यालय की पूर्व अनु । प्राप्त किए बिना उन्हें न तो हटाया जाएगा और न किसी अन्य प्रकार से उनका व्ययन किया जाएगा।

लग्ड 16-यह परिसर दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगरपालिका समिति के क्षेत्र में आता है ।

खण्ड 17--पार्क के अन्दर की सड़कों का डिजाइन, पार्क के निर्माण के समय नई दिल्ली नगरपालिका समिति तैयार कर सकेगी।

खण्ड 18—पट्टेंदार, समय-समय पर अपेक्षित विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए सीमित अविद्य के दास्ते विशुद्ध रूप से अस्थायी स्वरूप की संरचनाओं को छोड़ कर इस भूमि पर कोई संरचना न तो बनाएगा और न बनाने देगा ।

सण्ड 19--जहां तक भूमि के उपयोग का संबंध है, सरकार की आवश्यकताओं को अधिमान दिया जाएगा।

खण्ड 20--सरकार एक मास की सूचना देकर अपने विकल्प पर इस विलेख की अवधि के दौरान किसी भी समय भूमि को नई दिल्ली नगरपालिका समिति की देखरेख और प्रबंध से पुनर्गहण कर सकेगी। ऐसा होने पर सरकार नई दिल्ली नगरपालिका समिति को बाड़ लगाने, जल प्रदाय प्रबंध आदि जैसे गूंजी स्वरूप के, यदि कोई हो, विकास के लिए प्रतिकर देगी जो निर्धारणों के अवक्षयण मून्य पर आधारित होगा।

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है :

इसके साक्ष्य स्वरूप इसके पक्षकारों ने इसमें आगे लिखी तारीखों को अपने हस्ताक्षर कर दिए	₹1
ने आज	
तारीखको	
(1)	(हस्ताक्षर)
(2)	
की उपस्यिति में हस्ताक्षर किए	
अौर परिदान किया ।	
भारत के राष्ट्रपति के आदेश	
सेने	
•••••	
	(हस्तोक्षर)
की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।	-

स्वीकृति के लिए तार दिए जाने की तारीख से

एक वर्ष

भारत सरकार खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय खाद्य विभाग (सेना कय संगठन) .नई दिल्ली—1 निविदा-ग्रामंत्रण श्रौर निविदाकारों को श्रन्देश नई दिल्ली तारीख..... व्यान दे: --जिस लिफाफे में यह निविदा भेजी जाए वह लिफाफा और इसके बाद का सब पत्र-व्यवहार निम्नलिखित को संबोधित और परिदत्त किया जाना चाहिए, अर्घात् :---मुख्य ऋय-निदेशक, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय, खारा विभाग, सेना ऋय संगठन, 🗸 नई दिल्ली-1 तारकापता सभी पत्र-व्यवहार मुख्य कय-निदेशक से उसके पदनाम से होना चाहिए, नाम से नहीं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य ऋय-निदेशक, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय, खाद्य विभाग, सेना ऋय संगठन, नई दिल्ली-1 सेवा में भारत के राष्ट्रपति की ओर से में, रक्षा सेवाओं के लिए नीचे दिए गए वर्णन के अनुसार के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए चल संविदा के आधार पर कीमत कोट करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं:— अपेक्षित संख्या/ परिमाण

ऊपर बताई गई अपेक्षित संख्या/परिमाण अनुमान पर आधारित है और उक्त अविधि के दौरान संविदा की जाने वाली/किया जाने वाला ठीक-ठीक संख्या/परिमाण मुख्य कथ-निदेशक, निविदा-स्वीकृति में विनिदिष्ट करेगा। इस संख्या/परिमाण को केता 50 प्रतिशत तक घटा/बढ़ा सकेगा।

 समय-समय पर ध्यासंशोधित संविद्या की शर्ते नामक पुस्तिका* (1968 संस्करण, पू० तथा नि० म० नि०—25) में दिए गए हैं संविद्या इस शर्त के भी अधीन होगी कि उसमें जहां कहीं भी पू० तथा नि० म० नि० के अधिकारियों के पदनाम आए हैं, वहां खाब, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंदालय के खाद्य विभाग के सेता कथ-संगठन के अधिकारियों के पदनाम अर्थात्, मुख्य कर-नि देशक, उप मुख्य कय-निदेशक, सहायक मुख्य कय-निदेशक, कथ-निदेशक, उप कय-निदेशक, सहायक क्य-निदेशक और अनुभाग अधिकारी (कय) रख दिए जाएंगे । जहां ऊपर निदिष्ट संविद्या की साधारण शर्ते परिशिष्ट में दिए गए नियन्धनों और शर्तों से भिन्न हैं, वहां परिशिष्ट में दिए गए नियन्धनों और शर्तों से भिन्न हैं, वहां परिशिष्ट में दिए गए नियन्धनों और शर्तों से भिन्न हैं, वहां

- (ख) मुख्य कय-निदेशक के अन्तर्गत उप मुख्य कय-निदेशक, सहायक मुख्य कय-निदेशक, कय-निदेशक, उप कय-निदेशक, सहायक क्य-निदेशक और अनुभाग अधिकारी (क्य) हैं।
- (u) (i) निविदाकार, निविदा द्वारा आमंत्रित सम्पूर्ण परिमाण के लिए या उससे कम किसी परिमाण के लिए निविदा दे सकते हैं।

निविदाकार को चाहिए कि वह किसी एक स्टेशन से प्रस्तावित सम्पूर्ण परिमाण के लिए एक से अधिक दरें कोट न करे अत्यथा मुख्य कय-निदेशक स्विविकानुसार ऐसी निविदाओं की उपेक्षा कर सकेगा। निविदाकार जारी की गई निविदा में उल्लिखित परिमाण से अधिक के विकय का प्रस्ताव नहीं करेगा। अन्यथा मुख्य कय-निदेशक उसकी निविदा की उपेक्षा कर सकेगा। इस निविदा में परिमाण/कीमतें माप-तौल की मीटरी पद्धति में प्रकट की जानी चाहिए।

- (ii) निषिदोकार को चाहिए कि वह विकय के लिए वस्तुतः प्रस्तावित परिमाण निविदा में दिए गए स्तम्भ में दिशत करे अन्यया कैता उसकी निविदा की उपेक्षा कर सकेगा ।
- (घ) यदि आप संलग्न परिशिष्ट में कथित अपेकाओं के अनुसार प्रदाय के लिए कोटेशन दे सकते हैं तो कृतना संलग्न विहित निविदा प्ररूप में इस कार्यालय को अपना कोटेशन दें। इस प्ररूप को पूर्णतः भरने और पेश करने के संबंध में अनुदेश नीचे दिए गए हैं। आपवादिक मामलों में और पर्याप्त कारणों के होने पर हो तार से भेजे गए कोटेशनों पर विचार किया जा सकेगा किन्तु यह तब जब कि विहित प्ररूप / प्ररूपों में उसकी पुष्टि डाक द्वारा कम से कम समय के अन्दर कर दी जाए।
- 2. विनिर्देशों और ड्राइंग की विशिष्टियां—निविदा के संबंध में आरी किए गए विनिर्देश और ड्राइंग, तथा साथ ही वे प्रकाशन जिनके लिए कोई गुल्क नहीं लिया जाता है और जिन पर "लौटा दिए जाएं" लिखा है, निविदा के साथ लौटा दिए जाने चाहिए, अन्यथा निविदा पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा। ये उस ठेकेदार को पुनः दिए जाएंगे जिसके साथ संविदा की जिएगें। और संविदा पूरी हो जाने के पश्चात उनकी वापसी की जिन्मेदारी उसी पर होगी।
- 3. निविदा तैयार करना—(क) प्ररूप अविकल रूप में लौटाया जाना चाहिए भले ही किसी मद के लिए कोटेशन दिया गया हो या नहीं। उसके पन्ने अलग नहीं किए जाने चाहिए किन्तु जब किन्हीं मदों के लिए निविदा न दी जा रही हो तो सम्बन्धित स्थान में "कोटेशन नहीं दिया जा रहा है" जैसे शब्द लिख दिए जाने चाहिए।
- (ख) यदि अपेक्षित प्रयोजन के लिए विहित प्ररूप में उपलब्ध स्थान अपर्याप्त है तो उसमें अतिरिक्त पन्ने जोड़े जा सकते हैं । ऐसे प्रत्येक पृष्ठ पर कम संख्यांक और निविदा संख्यांक लिखा होना चाहिए तथा उस पर निविदाकार के पूरे हस्ताक्षर भी होने चाहिए । ऐसे मामलों में अतिरिक्त पृष्ठों का हवाला निविदा प्ररूप में अवश्य दे दिया जाना चाहिए ।
- 4. तिविदा पर हस्ताक्षर— (क) निविदा प्ररूप पर एकमात्र स्वत्वधारी समुत्यान के मामले में एकमात्र स्वत्वधारी के, भागी-दारी समुत्यान के मामले में सभी भागीदारों के, अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब के समुत्यान के मामले में कर्ता के और परिसोमित दायित्व वाले समृत्यान के मामले में प्रवन्ध निदेशक/प्राधिकृत निदेशक/निदेशकों के हस्ताक्षर होने चाहिए । उस समृत्यान के मामले में, जिसका प्रबन्ध कोई अन्य ऐसा समृत्यान करता है जिसे "प्रवन्धित समृत्यान" की ओर से कार्य करने के लिए पूर्ण प्राधिकार है, निविदा प्ररूप पर "प्रबंधित समृत्यान" के स्थान पर प्रवन्ध अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- (ख) यदि उपरोक्त (1) का पालन संभव नहीं है तो निविद्याकार पर सम्यक्तः प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति हस्ताक्षर कर सकता है। उस दशा में यह निविद्याकार की जिम्मेदारी होगी कि वह (यदि उसकी निविद्या स्वीकार कर ली जाती है) निविद्या की स्वोकृति से दस दिन के अन्दर उपरोक्त (1) में विजित सभी व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की एक घोषणा प्रस्तुत करे कि जिस व्यक्ति ने निविद्या पर या उसके भागरूप किन्हीं अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं, उसे उस समृत्यान को जिसकी और से निविद्या प्रस्तुत की गई है, माध्यस्यम् खण्ड सहित, संविद्या सम्बन्धी सभी विषयों में आबद्ध करने का पूर्ण अधिकार है।
- (ग) निविदा प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति नियत समय के अन्दर उक्त घोषणा प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है और यदि वह एसा करने में असकल रहता है, तो कता, उसे उपलब्ध अन्य सिविल और दाण्डिक उपघारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले दिना संविदा रह कर सकता है और हस्ताक्ष रकर्ता को सभी खर्चों और नुकक्षानियों के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है।

^{ैं} इसकी प्रति प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, नई दिल्ली-110 054 से प्राप्त की जा सकती है ।



- (घ) जो रजिस्ट्रीकृत ठेकेदार अपेक्षित घोषणा पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं वे उक्त घोषणा प्रस्तुत करने से मुक्त हैं परन्तु यह तब जब कि निविदा पर, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में विणत ''अटनीं'' ने हस्ताक्षर किए हों।
- (ङ) निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को निविदा आमंत्रण की अनुसूची में उस पृष्ठ पर नियत स्थान पर भी हस्ताक्षर करने चाहिए जिसमें वस्सु की दर्रे और परिमाणों की विधिष्टियां दी गई हैं।
- 5. निविदा देना—(क) मूल निविदा दोहरे लिफाफे में बन्द की जानी चाहिए। अन्दर वाला लिफाफा सीलबन्द होना चाहिए और उस पर निविदा संख्वांक और उसके खुलने की तारीख स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। बाहर वाला लिफाफा, मुख्य कय-निदेशक को सम्बोधित होना चाहिए किन्सु उस पर ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे यह मालूम हो कि उसके अन्दर निविदा रखी है। किसी ऐसी निविदा पर, जिसमें उपर्युक्त अनुदेशों का पालन नहीं किया जाता है, विचार न करने का अधिकार जारिता है।
- (ख) प्रत्येक निविदाकार को केवल एक निविदा प्रस्तुत करने का हक है। इसमें ही वह आनुकल्पिक कोटे शन दे सकता है। यदि इस निविदा-आमंत्रण पर किसी वस्तु के प्रदाय के लिए कोई ठे केदार एक से अधिक निविदाएं प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत को गई सभी निविदाएं अस्वीकार की जा सके गी।
- 6. निविदाएं प्राप्त करने की अस्तिम तारीख—(क) यदि निविदा की अनुसूची में अन्यया विनिर्दिष्ट नहीं है तो निविदा इस कार्यालय में निविदा जुलने की तारीख को 3 वर्ज अपराह्म तक, अवश्य पहुंच जानी चाहिए। दस्ती रूप में भेजी गई निविदा नियत तारीख को 3 वर्ज अपराह्म तक इस कार्यालय में रखी निविदा-पटी में अवश्य डाल दी जानी चाहिए। नियत तारीख को 3 वर्ज अपराह्म के पश्चात् प्राप्त निविदाओं और/या संशोधनों पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही ऐसी निविदाए या निविदा के संशोधन नियत तारीख और समय से पूर्व डाक द्वारा भेज दिए गए हों।
 - (ख) निविदा, स्वी कृति के लिए अनुसूची/अनुसूचियों में नियत तारीख तक खुली रखी जानी चाहिए।
 - (ग) निविदाकारों के प्रतिनिधि निविदा खुलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
- 7. कीमत—(क) कोट की गई कीमत अनुसूची में दो गई प्रति इकाई के हिसाब से आुढ़ होनी चाहिए, तथा उसमें सभी पै किंग और परिदान प्रभार सम्मिलत होंगे और वह स्पष्ट रूप से अंकों और शब्दों में, भारतीय मुद्रा में उल्लिखित की जानी चाहिए।
 - (ख) कोट की गई कीमत में विकय-कर सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
- (ग) विक्रय-कर की दर का उल्लेख कोट की गई कीमत के साथ स्पष्ट रूप से किया जाए। ठेकेदारों की इसका भूगतान, विधिक इस से देय दर पर (संविदा के अधीन किए गए प्रदायों के लिए संविदा के अधीन देय कीमत के अतिरिक्त) किया जाएगा किन्तु वह भूगतान संबंधित राज्य सरकार द्वारा भूतलकी प्रभाव से मंजूर की गई किसी रिवेट या छूट के और संविदा की शतों के सुसंगत खण्डों के उपबंधों के अधीन होगा। यदि निविदाकार विक्रय-कर स्वयं देना चाहता है तो उसे स्पष्ट रूप से यह कथन कर देना चाहिए कि कोई विक्रय-कर नहीं लिया जाएगा और उसका भूगतान वह स्वयं करेगा। अववस्थकतान सार प्ररूप 'ध' विक्रता देगा।
- 8. परिदान भी शत--वह अवधि जिसके दौरान था वह तारीख जिस तक माल का परिदान अपेक्षित है, निविदा की अनुसूची में दो गई हैं।
- 9. अग्रिम घन--प्रत्येक निविदा के साथ, सहायक मुख्य कय-निदेशक (सेना कय संगठन) खाछ और कृषि मंत्रालय, खाछ विभाग, नई दिल्ली के पक्ष में पृथक् अग्रिम घन की वाबत पांच हजार रुपए की रकम का किसी अनु सूचित बैंक द्वारा जारी किया गया मांगदेय ब्राफ्ट या मांग पर जमा की रसीद या खजाना रसीट भेजी जानी चाहिए। पूर्व त्तर निविदा या निविदाओं के संबंध में पहले भेजो गए अग्रिम घन के समायों के के लिए अनु रोष्ठ पर था ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जा सकेगा, जिनके साथ अग्रिम घन नहीं भेजा जाएगा। निविदाकार निविदा प्रस्ताव को निविदा में विनिर्देश्व तारी खतक खुना रखेगा। यह मान निवा प्रस्तुत करने दी जा रही है कि वह, अपनी निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात अपने प्रस्ताव से पीछे नहीं हटेगा या उसकी शर्तो और निवन्ध में में ऐसे परिवर्त न नहीं करेगा जो मुख्य कय-निदेशक को स्वीकार न हीं। यदि निविद्दाकार उवत शर्त का पालन करने में असफल रहता है तो सरकार अग्रिम धन जन्त कर लेगी वा यदि निविद्दाकार विहित तारी खतक प्रतिभूति जमा करने में असफल रहता है तो सरकार अग्रिम धन जन्त कर लेगी वा यदि निविद्दाकार विहित तारी खतक प्रतिभूति जमा करने में असफल रहता है तो इस संविद्दा और विधि के अधीन सरकार के किरही अन्य अधिकारों पर प्रतिकृत प्रभाव दोने बनता, उसका संपूर्ण अग्रिम धन जन्त किया जा सकेगा। अग्रिम-धन सब असफल निविद्दाकारों को निविद्दाओं पर निर्णय होने के पश्चात् और सफल निविद्दाकार को, उसके द्वारा

प्रतिभूति जमा कर दिए जाने के पश्चात् यथासंभव शीध लीटा दिया जाएगा, किन्तु यदि सफल निविदाकार ऐसा आवेदन व उसका अग्रिम-धन प्रतिभूति निक्षेप का भागरूप मान लिया जाएगा, परन्तु यह तब अब कि वह विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण रकम पूरी केलिए शेष रही रकम नियत अवधि के अन्दर जमा कर दे। किसी भी दशा में, अग्रिम-धन की रकम पर कोई ब्याज देय नहीं हं

nce Vil

rai is

ı

P. Sale

- 10. संविदा की संगारित—इस निविदा-आर्मेतण के परिणिष्ट के खण्ड 17 में उल्लिखित मानक विच्छेद खण्ड और सं की साघारण गर्तों के अन्य सुसंगत खण्डों के उपबन्धों के अतिरिक्त, सरकार इस निविदा के परिणामस्वरूप की गई संविदा को, उ चालू अविधि के दौरान किसी भी समय, उस बाबत 6 दिन की सूचना देकर, रह करने का अधिकार आरक्षित करती है। निविदा दिए गए पते पर रिजस्ट्री रसीदी डाक सै भेजी गई ऐसी सूचना, संविदा रह करने के लिए पर्याप्त समझी जाएगी।
- 11. आप कर समाशोषन प्रमाणपत्र पेश करना—(क) निविदाकारों को चाहिए कि वे अपनी निविदा के साथ विहित प्र (उपाबंध 2) में आप कर समाशोधन प्रमाणपत्र और उपाबंध 1 के अनुसार घोषणा पेश करें। निविदा के साथ भेजा जाने वाला आय समाशोधन प्रमाणपत्र पूरी तरह से ठेकेदार द्वारा भरा जाना चाहिए और उस पर उसके हस्ताक्षर भी होने चाहिए। प्रमाणपत्र सर्वधित आयकर अधिकारी के भी प्रतिहस्ताक्षर होने चाहिए। यदि प्रमाणपत्र उपर्युक्त रूप से पूर्ण नहीं होगा तो उसे समाधान नहीं माना जाएगा।
- (ख) मृष्यं कप-निर्देशक उस निविदा को, जिसके साथां अपेक्षित आयकर समाशोधन प्रमाणपत नहीं होगा, विशेष मामले रूप में स्वीकार कर सकता है, परन्तु यह तब जब ऐसा न करने के बारे में निविदाकार द्वारा बताए गए कारणों से उसका समाध हो जाए। यदि मृष्यं कय-निदेशक उस निविदा को स्वीकार करने के बारे में निविदाकार द्वारा बताए गए कारणों से उसका समाध पृत्र नहीं है तो निविदाकार से नियत अवधि के मीतर होसा प्रमाणपत्व पेश करने को कहा बाएगा। यदि उसने ऐसा न किया तो संविद्य के केदार की जोखिम और खर्च पर स्वृत्य के जोखिम और खर्च पर, स्वतः ही रह हुई समझी जाएगी। संविद्या उस दशा में भी ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर रह के जा सकेगी जब ठेकेदार द्वारा पेश किया गया अयकर समाधोधन प्रमाणपत्व सभी वृष्टियों से पूर्ण नहीं होगा या किसी भी प्रकार से विद्युष्ण होगा। इस संबंध में मृष्ट्य कय-निदेशक का विनिष्ठय अन्तिम होगा।
- (ग) भागीदारी के आद्यार पर गठित फर्मों अपने संबंध में और साथ ही अपने सभी भागीदारों के संबंध में आयकर समाक्षोध-प्रमाणपत्र मेर्जेगी।
- (घं) जो फर्म आयकर सभाशोधन प्रमाणपत्न पहले ही प्रस्तुत कर चुकी है उससे नया प्रमाणपत्न देने की अपेक्षा तभी की जाएर्ग जब कि पिछले प्रमाणपत्न के जारी किए काने की तारीख से एक वर्ष से अधिक समय बीत गया हो।
- (ङ) हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब के स्वामित्व वाले किसी समृत्यान के मामले में, कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य के संबंध में अलग-अलग आयकर समाशोधन प्रमाणपत्न अपेक्षित नहीं होगा, परन्तु यह तब जब कुटुम्ब का कोई सदस्य स्वतंत्र रूप से कोई अलग कारवार न कर रहा हो। कुटुम्ब के कर्ता से अपेक्षित है कि वह---
 - (i) या तो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित इस आशय की घोषणा भेजे कि कुटुम्ब का कोई सदस्य कोई स्वतन्त्र कारबार नहीं कर रहा है; या
 - (ii) कुटुम्ब के ऐसे सदस्य के नाम बताए जो पृथकतः स्वतंत्र कारवार कर रहे हैं और उनमें से प्रत्येक का आयकर समाजोधन प्रमाणपत भेजे ।

मुख्य कय-निदेशक निम्नतम निविदा या किसी निविदा को स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं है और वह पूर्ण निविदा या उसके किसी माग अभवा प्रस्तावित परिमाण के किसी माग को स्वीकार करने का अपना अधिकार आरक्षित रखता है। उस दशा में भी निविदाकार को कोट की गई दर पर ही प्रदाय करना होगा।

- 12. मृष्य कय-निदेशक निविदा की स्वीकृति की सुचना तार या एक्सप्रेंस पत्न या सैविग्ग्राम से या निविदा की ययारीति स्वीकृति भेज कर देगा। यदि स्वीकृति की सूचना तार या एक्सप्रेंस पत्न या सैविग्ग्राम से भेजी जाती है तो निविदा की ययारीति स्वीकृति यथा-सम्भव ग्रीघ, ठेकेदार को भेज दी जाएगी किन्तु पहली सूचना पर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।
- 13. निविदाकार को निविदा-प्ररूप साफ-साफ और सही रूप में भरता चाहिए। किसी भी प्रकार के परिवर्तन, .उद्घर्षण या उपिरलेखन से निविदा अविधिमान्य हो आएगी किन्सु यदि ए सा परिवर्तन, उद्घर्षण या उपिरलेखन सफाई से किया जाता है और उसे निविदाक ार के पूरे हस्ताक्षरों द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित कर दिया जाता है तो वह अविधिमान्य नहीं होगी। इसी प्रकार निविदा में पहले से दी गई शर्तों से भिन्न अन्य शर्ते जोड़ने से भी निविदा अस्वीकार की जा सकती है। 8—25 OLLC/ND/83

14. निविदा के साथ संतम्न दस्तावेज—आय-कर समाधोधन प्रमाणपत, भाषीदारी विलेख, मुख्तारतामे जैसे दस्तावेज निविदाकारों को मूल रूप में प्रस्तुत करने चाहिए। सफल निविदाकारों की अर्थात् जिन निविदाकारों से संविदा की जाती है उनकी दस्तावेज तभी लौटाई आएंगी जब संविदा का पूर्ण रूप से निष्पादन हो जाता है और दोनों पक्ष कारों का एक दूजरे के विरुद्ध कोई दावा नहीं रहता है। असफल निविदाकारों को उनकी मूल दस्तावेजों जीटाई जा सर्केंगी, परन्तु यह तब जब कि ऐसी मूल दस्तावेजों की अनुष्माणित दो प्रतियों निविदा के साथ दी जाएं। यह ध्यान रखें कि दस्तावेजों की जो दो प्रतियों रख ली जाएंगी वे बाद में दी जाने वाली निविदाओं के संबंध में विधिमान्य नहीं मानी जाएंगी।

भवदोय,

(अनुभाग अधिकारो) भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से । प्ररूप सा० वि० नि० 34

[जियम 274 की मद (VII) देखिए]
भारतीय जीवन वीमा निगम

(जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 द्वारा स्थापित)

विश्वस्तता प्रत्याभूति पालिसी

भारतीय जीवन बीमा निगम, (जिसे इसमें आगे 'निगम' कहा गया है) प्रत्याभृति की रकम से अनिधिक ऐसी सभी धन की प्रत्यक्ष हानि की प्रतिपूर्ति करने का करार करता है और उसके लिए स्वयं को आबद्ध करता है, जो नियोजक को नियोजित व्यक्ति/नियोजित व्यक्तियों में से किसी द्वारा (क) इस बीमा के चालू रहने के दौरान, और (ख) ऐसे नियोजित व्यक्ति के नियोजिन के अविच्छिन्न स्प से जारी रहने के दौरान, और (ग) अपनी उपजीविका और अपने कर्तव्यों के संबंध में किए गए वेईमानी के किसी कार्य या कार्यों, व्यक्तिकम या उपका से होगी और जिसका पता इस बीमा के चालू रहने के दौरान या उसके परचात् युक्तियुक्त समय के भीतर या ऐसे नियोजिन के समाप्त कर दिए जाने के पश्चात् बारह मास के भीतर, जो भी पहले हो, चले। इस करार के लिए प्रतिकृत वह प्रथम प्रीमियम है जो प्रयम अनुसूची में दिखाया गया है। यह करार इसमें दी गई या पृष्ठीकित करेंगा या जिसका अनुसूरण नियोजिक करेगा इस नियम के दायित्व की पुरोभाव्य कार्ते समझा जाएगा।

नियोजक द्वारा या उसकी ओर से किए गए इस बीमा प्रस्ताव को उससे संबंधित पत्नाचार के साथ इसमें सम्मिलित किया जाएगा और वह इस संविदा और उसके नवीकरण का आधार होगा।

प्रथम अनुसूची

J	पता						
नियोजित व्यनितः			की मार्फ त				
			६०				
उपजीविका और कर्त व	4						
• • • • • •							
∽ि∞्ण की ठारीर	g		येक वर्षमें	के			के दि
नवाकरण का उत्तर	ने अक्षण : जिसेजित ह	प्रक्रियों के अध के	सामने लिखी तारीख से ले	कर जसकी	अगली नर	रीकरण	स्य जीव
	हा अवाध . । नया। जब ५	ત્યાયલાના નાન ન	सामन खिला पाराल त ल	11. 2411	ગમજા મ	11454	ai ci
स बीमा के चालू र हने व		C - C - C					
भिन्न जसके पश्चात उस व	वर्षतक जिसकी बाबत	इसकी द्वितीय अन्	सूची में विनिदिष्ट वाषिक !	प्रीमयम स्व	ाकार कर	ने की ला	र निग
केर जसके पश्चात उस व	वर्षतक जिसकी बाबत	इसकी द्वितीय अन्	सूची में विनिदिष्ट वाषिक ! या ।	प्रीमियम स्व	कार कर	ने की लग	र निग
के जसके पश्चात उस व	वर्षतक जिसकी बाबत	इसकी द्वितीय अन्	सूची में विनिदिय्ट वाषिक ! गा ।	प्रामियम स्व	कारकर	नंकीला	र निय
नवाकरण जा उर्रम इस बीमा के चालू रहने व भीर उसके पश्चात् उस व करार करेगा तथा जो नियोज	वर्षतक जिसकी बाबत	इसकी द्वितीय अन्	मा।	प्रामियम स्व	कार कर	नंकीला ——-	र निय
गैर उसके पश्चात् उस व करार करेगा तथा जो नियोज	वर्षतक जिसकी बाबत	इसकी द्वितीय अन् नियोजित व्यक्ति दे	मा।	ग्रामियम स्व वार्षिक प्र		न के लिए वास्त प्रीपि	र निगः
गैर उसके पश्चात् उस व करार करेगा तथा जो नियोज	वर्षेतक जिसकी बाबत तक तथा जो नियोजक्या	इसकी द्वितीय अन् नियोजित व्यक्ति दे द्वितीय अ उपजीविका	गा। नृसूची प्रत्याभृतिकी स्कम	वार्षिक प्र		वास्त श्रीगि	् निग विक नयम
ीर उसके पश्चात् उस व तरार करेगा तथा जो नियोज	वर्षेतक जिसकी बाबत तक तथा जो नियोजक्या	इसकी द्वितीय अन् नियोजित व्यक्ति दे द्वितीय अ उपजीविका	गा। नुसूची प्रत्याभृतिकी			वास्त	र निगः
गैर उसके पश्चात् उस व करार करेगा तथा जो नियोज	वर्षेतक जिसकी बाबत तक तथा जो नियोजक्या	इसकी द्वितीय अन् नियोजित व्यक्ति दे द्वितीय अ उपजीविका	गा। नृसूची प्रत्याभृतिकी स्कम	वार्षिक प्र		वास्त श्रीगि	् निग विक नयम
के जसके पश्चात उस व	वर्षेतक जिसकी बाबत तक तथा जो नियोजक्या	इसकी द्वितीय अन् नियोजित व्यक्ति दे द्वितीय अ उपजीविका	गा। नृसूची प्रत्याभृतिकी स्कम	वार्षिक प्र		वास्त श्रीगि	् निग विक नयम

												.द्वारा	तैयार	किया	गया	1
												द्वारा	जांच व	ती गई	ı	

ह्यान रें—आपकी संरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी पालिसी को और उसकी शतों को पढ़कर यह सुनिश्चित कर सें कि यह पालिसी आपके आशय के अनुसार तैयार की गई है।

शते

इस पालिसी में प्रयुक्त पदों के वहीं अर्थ हैं जो इससे संलग्न प्रथम अनुसूची में हैं।

- 1. यदि नियोजक के कारवार की प्रकृति अथवा, नियोजित व्यक्तियों के कर्तव्यों या सेवा की शर्तों में कोई परिवर्त किया जाता है या किसी नियोजित व्यक्ति के पारिश्रमिक में नियम की मंजूरी के बिना कमी की जाती है अथवा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखा यथार्य रूप में रखे जाएं, सम्यक् सावधानी नहीं बरती जाती है और जांच नहीं की जाती है तो नियम इसके अधीन कोई संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा।
- 2. यदि नियोजक या नियोजक के किसी प्रतिनिधि को, जिसे किसी नियोजित व्यक्ति के उगर अधीक्षण के कर्तव्य का भार सौंपा गया है, यह जानकारी हो जाती है कि किसी नियोजित व्यक्ति में बेंधिमानी, व्यक्तिम या उपेक्षा का कोई कार्य किया है या यह सन्देह करने का युक्तियुक्त कारण है कि उसकी ओर से ऐसा कार्य हुआ है या कोई अनुवित आचरण किया गया है, तो उसे ययाशीघ्र उसकी लिखित सुवना निगम के कार्यालय को देनी होगी। नियोजक प्रतिनिधि को ऐसी जानकारी हो जाने के पश्चात् किए गए किसी कार्य के कारण कोई रक्तम इस पालिसी के अधीन संदेय नहीं होगी। ऐसी जानकारी होने के पश्चात् तीन मास के मीतर नियोजक अपने दावे का पूरा व्यक्ति निगम को देगा और ऐसे दावे के सही होने का सबूत देगा। नियोजक की सब लेखा बहिया या उन पर किसी लेखाकार की रिपोर्ट निगम के निरीक्षण के लिए खुली रहेंपी और नियोजक ऐसी सभी जानकारी और सहायता देगा जिससे कि निगम ऐसे किसी धन के लिए जिसका निगम ने संदाय किया हो गित्रका वह इस पालिसी के अधीन संदाय करने के लिए दायी हो गया हो, बाद चला सके और नियोजित व्यक्ति या उसकी सम्पदा से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सके। परन्तु निगम को यह हक नहीं होगा कि उसे ऐसी कोई जानकारी या अभिनेख प्रकट किया जाए जिसके संबंध में नियोजक को न्यायालय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 124 के अधीन विशेषाधिकार का दावा करने का हक है।
- 3. यदि किसी नियोजित व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा किया जाता है तो उसका वह घन जो नियोजिक के हाथ में है और ऐसा धन जो यदि उस नियोजित व्यक्ति ने कपट या वेईमानी का कार्य न किया होता तो उसे नियोजिक व्यक्ति को नियोजिक द्वारा देय होता, पालिसी के अघीन संदेय रक्तम में से काट लिया जाएगा। परन्तु यह तब होगा जब नियोजिक को ऐसी कटोती करने का विधि के अघीन हक हो। परन्तु उन मामलों में जिनमें नियोजिक की हानि पालिसी के अधीन संदेय अधिकतम रक्तम से अधिक है, उन्त धन का उपयोग प्रयमतः ऐसे आधिक्य की प्रतिपूर्ति करने के लिए किया जाएगा और यदि कोई धन श्रेष रहता है तो उसकी कटौती इसमें उपबंधित रीति से की जाएगी। किसी हानि मद्धे नियोजिक या नियम द्वारा (नियम द्वारा वीमा और पुनः वीमा त्या दोहरी प्रतिमृति को छोड़कर) वसूल की गई कोई रक्तम उनके द्वारा आपस में उसी अनुपात में तोट ली जाएगी जो अनुपात उनमें से प्रत्येक के द्वारा उठाई गई हानि की रक्तम का हानि की कुल रक्तम के साथ है।
- 4. इसमें किसी प्रतिकृत बात के होते हुए भी, यह करार किया जाता है कि निगम नियोजक को यह प्रत्याभृति देता है कि नियोजित व्यक्ति नियोजिक को ऐसी सभी धनराशियों या मूल्यबान वस्तुओं था सम्पत्ति का ईमानदारी से और यथाय लेखा देगा जो उसे प्राप्त होंगी या जो उसे नियोजिक के लेखे उसकी निजी या वैयक्तिक हैसियत में अथवा अन्य सदस्यों के साथ संयुक्ततः काम करने वाले समूह के सदस्य के रूप में सौंपी जाएगी और यह कि निगम नियोजित व्यक्ति के, पूर्वोक्त हैसियत और नियोजि में, व्यतिक्रम या बेईमानी या उपेक्षा के किसी कार्य या कार्यों से नियोजिक को हुई हानि की प्रतिपूर्ति करेगा। प्रतिपूर्ति की रकम प्रत्याभूति की रकम से अधिक नहीं होगी, और यह कि यदि नियोजित व्यक्ति का व्यक्तित दायित्व सिद्ध नहीं होता है तो प्रतिपूर्ति की जाने वाली रकम वह होगी जो ऐसे समृह में सम्मिलित व्यक्तियों को कुल संख्या से हिसाब लगा कर अर्थात् कुल हानि को विशिष्ट कार्य में नियोजित व्यक्तियों को कुल संख्या से विभाजित करके नियोजित व्यक्तियों को हुल संख्या से विभाजित करके नियोजित व्यक्तियों को हुल

- 5. निगम यह भी करार करता है कि इस प्रत्याभृति के प्रवृत्त रहने की अवधि के दौरान, द्वितीय अनुसूची में अन्तिविष्ट विशिष्टियों नियोजक की सहमित से और निगम को पूर्व सूचना देकर तथा यदि नियोजित व्यक्तियों में प्रोन्नति के कारण किसी परिवर्तन के परिणामस्वरूप या अन्यथा कोई अतिरिक्त प्रीमियम निगम को संदेय हो जाना है तो वह देकर परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित की जाएंगी और अनुसूची में उल्लिखित नियोजिक द्वारा ऐसी अवधि में नियोजित ऐसे अतिरिक्त व्यक्ति, पूर्वोक्त सहमित से और निगम को पूर्व सूचना देकर और उसे उस समय लागू दर से अतिरिक्त जानुपातिक प्रीमियम देकर उक्त अनुसूची में जोड़े और सम्मिलित किए जाएंगे और उन तारीखों से जब वे नाम उक्त अनुसूची में सम्मिलित किए जाएंगे और इस पालिसी में सर्वत्र प्रयुक्त 'नियोजित व्यक्ति' पर का अर्थ यह समझा जाएंगा कि उसके अन्तर्गत ऐसे सभी व्यक्ति हैं चाहे अनुसूची में उनका नाम पहले सम्मिलित किया गया हो या पूर्वोक्त रूप में बाद में जोड़ा गया हो।
- 6. यदि इस विलेख या उसके अर्थान्वयन के संबंध में इसके पक्षकारों या उनके प्रतिनिधियों के बीच या इसके अधीन किन्हीं व्यक्तियों के ऐसे अधिकारों, कर्तव्यों या बाध्यताओं की बाबत या किसी अन्य ऐसे विषय के बारे में जो इस विलेख की विषय-वस्तु से या उसके संबंध में उत्पन्न होता है, कोई विवाद या मतमेद उठता है तो वह एकल मध्यस्य को निर्देशित किया जाएगा जो भारत सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा। इस प्रकार नामित मध्यस्य सरकारी अधिकारी होगा और उसे भारतीय माध्यस्यम् अधिनिधम के अधीन मध्यस्य के विवेषानुसार होगा। ऐसे मत-भेद की यावत निगम का दाशित्व या निगम के विदेद कार्यवाही करने का अधिनाग्य का खर्च मध्यस्य के विवेषानुसार होगा। ऐसे मत-भेद की यावत निगम का दाशित्व या निगम के विदेद कार्यवाही करने का अधिकार, ऐसे निर्देश में अधिनिध्य दे दिए जाने के पण्यात् ही उत्पन्न होगा। यदि निगम इसके अधीन कियी दावे को बाबत अपना दायित्व स्वीकार नहीं करता है और ऐसा दावा उतके इस प्रकार अस्वीकार किए जाने की तारीख से बारह कर्लंडर मास के भीतर मध्यस्थ को इसके उपवंधों के अधीन निर्देशित नहीं किया जाता है हो। सब प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि उस दावे का परित्याग कर दिया गया है. और तत्यव्यात् इसके अधीन उसकी वस्ती नहीं की जा सकेगी।
- 7. उपर्युक्त खंड 6 के प्रयोजन के लिए 'भारत सरकार' पद से अभिष्रेत है उस प्रशासनिक मंत्रालय में भारत सरकार का सचिव/विभाग का प्रधान जिसके अधीन यह नियोजित व्यक्ति काम कर रहा है।

प्ररूप सा॰ वि॰ नि॰ 26

[नियम 207 के नोचे भारत सरकार के विनिश्चय (1) का खण्ड (ख) देखिए] बीमा कंपनी की, मोटरगाडियों ग्रादि की बीमा पालिसियों में सरकार के हित की सचना देने वाला पत्र

प्रेषक--सेवा में, महोदय, आपको सूचना दी जाती है कि भारत के राष्ट्रपति आपको कम्पनी से प्राप्त मोटरगाड़ी/नाव/साइकिल बीमा पालिसी संमें हितबद्ध हैं। आपसे अनुरोध है कि आप उस पालिसी में निम्नलिखित आशय का खण्ड बीमा पालिसी में जोड़े जाने वाले खण्ड का प्ररूप (भोटरगाड़ी/नाव/साइकिल का स्वामी जिसे इसमें आगे इस पालिसी की अनुसूची में बीमाकृत कहा गया है)मोटर गाड़ी/नाव/साइकिस भारत के राष्ट्रपति को (जिन्हें इसमें आगे राष्ट्रपति कहा गया है) उस अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में आडमान कर दी है, जो उस मोटरगाड़ों/नाव/साइकिल के लिए लिया गया है। यह भी घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि राष्ट्रपति ऐसे धन में भी हितबद हैं जो, यदि यह पृथ्ठांकन न होता तो उक्त श्री.....(इस पालिसी के अधीन बीमा कृत) को उक्त मोटरगाड़ी/नाव/साइकिल की हानि या उसको हुए नुकसान की बाबत (जिस हानि या नुकसान की प्रतिपूर्ति, मरम्मत, यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की गई है) संदेय होगा। ऐसा घन राष्ट्रपति को उस समय तक दिया जाएगा जब तक कि वह इस मोटरगाड़ी/नाव/सोइकिल के बंधकदार हैं । राष्ट्रभित की रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसी हानि या नुकसान की बाबत कंपनी ने पूरा और अंतिम भुगतान कर दिया है। इस पृष्ठांकन द्वारा अभिव्यक्त रूप से जो करा रिकया गया है उसके सिवाय इसकी किसी भी बात से बीमा कृत के या कंपनी के, इस पालिसी के अधीन या संबंध में अधिकार या दायित्य का अथवा इस पालिसी के किसी निवंधन, उपबंध या शत का न तो उपातरण होगा और न उस पर प्रभाव पडेगा। भवदीय, स्यान अग्रेषित--कृपमा इस पत्न के प्राप्त होने की अभिस्वोकृति दें। यह भी अनुरोध है कि जब कभी इस पालिसी के अधीन किसी दावे का संदाय किया जाए तब और यदि नवीकरण के लिए कालिक रूप से प्रीमियम का संदाय नहीं किया जाता है तो उसकी भी सूचना मुझे देने की कृपाकरें। The second secon (मंजूरी देने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और उसका पदनाम) $c_{1,n}(\zeta)$ THE STATE OF THE S

प्ररूप सा॰ वि॰ नि॰ 33 (नियम 78 देखिए)

कार्यभार के ग्रन्तरण का प्रमाणपत्र

ययोस्यिति, सींप दिया है और ग्र				
(केवल लेखापरोक्षा कार्यालय में उपयोग के लिए)		कार्यभार छोड़ने वाला अधिकारी		
तेखापरीक्षा राजिस्टर में पृष्ठपर नोट कर तिया गया।		हस्ताक्षर		
•	पर नोट	(सप्ट अक्षरों में नाम)		
कर लिया गया।		पदनाम		
ङुट्टो-चेतन प्रमाण-पत्न/सेवा/दिव तारीख				
		:		
नेक एनीयक अधिक	सहायक महालेखाकार	स्थानांतरित होकर/छुट्टी पर/सेवानिवृत्त होकर जा रहे हैं		
तेखा-परीक्षक, अधीक्षक,	सहायक लेखा अधिकारी			
		·		
		जर्मकार गरम कारो काला अधिकारी		
लेखा परीक्षा रजिस्टर में पष्ठ.	पर नोट	कार्यभार ग्रहण करने वाला अधिकारी हस्ताक्षर		
-	पर नोट			
कर लियामया। छुट्टी खाते में पृष्ठ	पर नोट	हस्ताक्षर		
कर लिया गया। छुट्टी खाते में पृष्ठ लिया गया। वेतन स्लिप तारीख		हस्ताक्षर(स्पष्ट अक्षरोंमें नाम)		
कर ितया गया। छुट्टी खाते में पृष्ठ लिया गया। बेतन क्लिप तारीख की गई।	पैर मोट कर	हस्ताक्षर(स्पष्ट अक्षरोंमें नाम)		
कर लियागया। छुट्टी खाते में पृष्ठ लिया गया।		हस्ताक्षर(स्पष्ट अक्षरोंमें नाम)		
कर लिया गया । छुट्टी खाते में पृष्ठ लिया गया । बेतन स्लिप तारीख को गई । लेखा-परीक्षक, अघीक्षक,		हस्ताक्षर(स्पष्ट अक्षरोंमें नाम) पदनामस्थान		
कर ितया गया । छुट्टी खाते में पृष्ठ लिया गया । वेतन स्लिप तारीख की गई । लेखा-परीक्षक, अधीक्षक,		हस्ताक्षर(स्पष्ट अक्षरोंमें नाम) पदनामस्यान		
कर ितया गया। छुट्टी खाते में पृष्ठ तिया गया। वेतन स्तिप तारीख तेता गई। लेखा-पुरीक्षक, अधीक्षक, पृष्ठिन अतिसेषों का श्रापन जिस् नकद		हस्ताक्षर		
कर ितया गया । छुट्टी खाते में पृष्ठ		हस्ताक्षर		

प्ररूप सा॰ वि॰ नि॰ 27क

[नियम 221(घ) के नोचे दिया गया भारत सरकार का विनिश्चय (1) देखिए। यह विनिश्चय संशोधनों को प्रथम सूची के शुद्धि पत्र सं० 201 से बोड़ा गया है]।

टेबल पंखा खरीदने के लिए अग्रिम की मंजूरी के लिए आवेदन का प्ररूप

1. अविदक्त का नाम
2. पदनाम और उस कार्यालय का नाम जिसमें कार्य कर रहा है
3. घर का पता
4. अधिर्वीपता या सेवा-निवृति को तारीख
5. अग्रिम के रूप में कितनी रकम चाहते हैं
 अधिम को रकम को कितनी किस्तों में वापस करना चाहते हैं
7. क्या आपने ऐसे ही प्रयोजन के लिए पहले भी अग्रिम लिया था और यदि हां तो
(i) अग्निम प्राप्त करने की तारीख (ii) अग्निम की रकम और/या उस पर बकाया व्याजं
8. मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरेपास अपने घर में पहले से कोई पंखा नहीं है। मैं प्रमाणित करता हूं कि जिस घर में मैं रह रहा हूं उसमें टेबल पंखें के उपयोग के लिए बिजली और प्लग प्वाईट की व्यवस्था है
स्यान : ;
तारीख:

आवेदक के हस्ताक्षर

ं मुद्धिपत्र

विधिक दस्तावेजों के मानक प्ररूप—जिल्द I—28 सितम्बर, 1983 को प्रकाशित द्विभाषीय संस्करण का शुद्धि-पत्र

Corrigenda of the diglot edition of the Standard Forms of Legal Documents—Vol. I

published as on the 28th September, 1983.

ত/Page	সৰিতি/Entry	पन्ति/Line	केस्यान पर/For	पर्दे/Read
_	Contents	1 (Railway)	(N. F. Railway)
2	प्ररूप के तीचे जीवं		जान वाले	जाने वासे
4	प्रस्प के नीचे शी ष े.	2"	नियमके बीच	निर्मम के बीच
8	1(f)	7 27 i	nsolvant	insolvent
8	2(iii)	6 7	yhatsover	whatsoever
11	13	. 6 V 5	भीर जन्म	भौर अनन्य
. 14	2	. 2 ₹	वमाविक	स्वामाविक
17	पैस 5	. 2	(जिसमे	(নিষ্ট
17	पैराह	. 2 - 1	वे बि	লিবিব
17	4	. 5 7	रखगाजो	रखेगा जो
18	. 10		icesnseo	liconsco
20	पैश 2	. 10	उक्त का कार्यों	उपत कार्यों का
21	જોવં	:	वनसूची	अ नुनुभी
21		. संतिम चैपद्दली	ठेकेदार/ठकेदारीं के हस्ताक्षर	ठेकेदार/ठेकेदारीं के हस्तासर
. 24	देश 2	. 4	गम मोतर,	मास के भीतर,
24	च	, 1	सरकर देगी ।	सरकार देगी।
24	मंतिम पाद-टिप्पण	. 1	अ नुज्ञ य	अनुद्वेय`
25	3	9	omisison	omission
25	5	. 12	को कारकम,	की रकमका,
26	5	. 5	गवन, ख्यानत,	खयानत, गदन, '
26	6	. 6	।यचात्	पम्चात्
28	1 , .	. 2	लाग	अप गे
29	8 , .	. 1 1	। ने	होने
30	पैरा a			;रूपयों)
32	पैसा	. 3	उत्तरवती	उत्तरवर्ती
34	2	1	Bo rower	Borrower
34	2	2	नियमा	नियमी
3 4	2	. 5	मास के	मास से
36	Para 4	. 4	Finance	Financial
36	श्रंतिम पैरा .	. 2	श ल्क	शुरुक
37	अवसुची का पैरा .	. 1	लए	लिए}
37.			(उद्यार केने वाले के हस्ताक्षर) इ पदनाम	-,
				,

25 OLLC/ND/83

_	पुष्ड/Page	प्रविष्टि/Entry	पंक्ति/Line	के स्वान पर/For	पहें/Read
,	41 41	10 12	. प्रथम पंक्ति अन्तरन . 4 सव ऐसे	अन्तर	
* * ******* ***	41 44 44	17- Para 3	3 सम्बित संबि 8 Block No. 18 day o	in B	त प्रसंविदाएं, lock No
	44	I ()	1 Lesser	The with	OUE
•	44	1(3)	. 4 समाधीन है। . 2 पंजाब रेजेन्यू।		
-	46 46 52	6	5 पंजाब रेवेन्यू7 जिंधकरी	ऐक्ट, 1887 र् जाब जिस	लैंड रेवेन्स् ऐ न्ट , 1887
	52 57	4(ŋ) 1	 2 प्सा 3 क्वा 1 परिवर्त 	ऐसा केता प रिव ट	व
_	57 60	3	. 7 वांड . 11 किया गाय।	बांट किया	•
				y 12a Si	
4,114 T	११७ ४ड ६५ 	s Co ^l est — sele _{st} i Historia	in the specific figure with the s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
:	, -	nd year of		u mito. Sentro en	•

Ti gravi Ti gravi Historia Historia Ti H

....